STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of recommendations/observations contained in the One Hundred and Fiftieth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS; THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I lay a Statement regarding Status of implementation of recommendations/observations contained in the One Hundred and Fiftieth Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce on "Export of Organic Products: Challenges and Opportunities".

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I have to inform that the Business Advisory Committee, in its meeting held today, that is, the 24th of March, 2021, has allotted time for Government Legislative Business as follows:-

Business	Time Allotted
Consideration and passing of the following Bills, as passed by Lok Sabha:-	
(i) The Marine Aids to Navigation Bill, 2021.	One Hour
(ii) The National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021.	Two Hours

---

GOVERNMENT BILLS

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, yesterday evening, there was a meeting held in the Chamber of the Deputy Chairman, where it was discussed and then agreed upon that

we would not have the usual Zero Hour and Question Hour, that the Session would start at 10 o'clock, and the discussion on the Finance Bill would be taken up first. After the Finance Bill, the Government of NCT of Delhi (Amendment) Bill will be taken up. Then, these Bills, for which the time allocation has been made, will come up. So, keeping that in mind, I request all the Members: first, we will be taking up the Finance Bill. Hon. Finance Minister ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I want to say something. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: One minute. I have to inform that a Supplementary List of Business has already been issued today regarding consideration and return of the Finance Bill, 2021; and consideration and passing of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Bill, 2021. The Supplementary List has been uploaded on the Rajya Sabha website and also at the Members' Portal. Now, Manojji, you wanted to say something.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I have given notice under Rule 267. सर, एक जघन्य अपराध हुआ है। एक सदन में लोकतंत्र तार-तार किया गया है। महिला विधायकों तक के साथ ऐसा व्यवहार हुआ ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: I have gone through your notice and it is a matter concerning the State.

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, यह लोकतंत्र के मिज़ाज का सवाल है। ...(**व्यवधान**)... सर, महिला विधायकों के साथ ऐसा हुआ। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: You can take up the issue in the State itself. ...*(Interruptions)*... Please, no comments while sitting. If you have something, you can say ...*(Interruptions)*...

प्रो. मनोज कुमार झा: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाते हुए आपसे यह आग्रह करूंगा कि एक संदेश जाए कि यह कहीं से भी उचित नहीं है। ... (**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: It is not admitted. Please मनोज जी, आप बैठ जाएं।

SHRI PREM CHAND GUPTA: Sir, please, let him speak. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, that is not the practice. प्रेम जी, प्लीज़ आप बैठ जाइए। If I permit him, then he should be allowed to speak. Even then, again, there will be counter speeches. There is no end. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the LoP wants to say something. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Yes, LoP.

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे): सर, माननीय सदस्य ने important matter उठाया है, क्योंकि यहां पर किसी को बोलने का समय देना, आपका discretion है। जब किसी स्टेट में अन्याय होता है, तो हम उसके बारे में यहां पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि यह विषय के ऊपर depend करता है। माननीय सदस्य को अपनी बात कहने के लिए दो मिनट का समय दे दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Khargeji, I will just repeat. Next time, let us have a meeting of all the parties, not in the Business Advisory Committee but in the General Purposes Committee, and you all can come to a conclusion that the Rajya Sabha can take up issues of the States. The other day, some people wanted to take up the Maharashtra issue. I did not permit them. Now, somebody wants to raise the Bihar issue. Tomorrow, somebody else would like to raise some other State issue. We can discuss and have a common approach and common policy. 'If it suits me, I will raise this issue, otherwise, I will oppose' - I can't allow that approach.

Shrimati Nirmala Sitharaman to move a motion for consideration of the Finance Bill, 2021. ...*(Interruptions)*...

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, हम वॉकआउट कर रहे हैं।

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

MR. CHAIRMAN: Please. You have definitely got every right to do so. That is the dignified way of doing things - raising an issue and protesting. Now, Shrimati Nirmala Sitharaman.

The Finance Bill, 2021

THE MINISTER OF FINANCE AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I move:

"That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for

the financial year 2021-22, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, do you wish to say anything at this stage?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Not now, Sir.

MR. CHAIRMAN: Okay. Now, any Member desiring to speak may do so, after which the hon. Minister will reply.

Before that, once again, I would like to mention that first we are taking up the Finance Bill, for which nearly 8 hours have been allocated. So, you have time and you can discuss it. After that, the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021 will be taken up, and, if necessary, the House will sit till late in the night. Then, the remaining Bills, the Bills which have been added today, will be taken up tomorrow because we will not have enough time.

Now, Shri Deepender Singh Hooda to initiate the discussion on the Finance Bill, 2021.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (हरियाणा): सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक और कर नीति पर अपने विचार रखने से पहले इसका संदर्भ क्या है, उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। देश की अर्थव्यवस्था की क्या परिस्थिति है? हमारा यह मानना है कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था कोरोना से पहले ही पटरी से उतरने लगी थी।

*(**उपसभापति महोदय** पीठासीन हुए)*

सर, अफसोस इस बात का है कि इस बजट में या इस वित्त विधेयक में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, जिससे कि हम अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पर ला सकें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यह पहले ही पटरी से उतरने लगी थी? अगर हम कोविड से पहले के आठ क्वार्टर, मार्च, 2018 से मार्च, 2020 तक देखें, तो हर क्वार्टर में अर्थव्यवस्था के बढ़ने की गति, ग्रोथ रेट कम होता गया और वह आठ प्रतिशत से घटकर तीन प्रतिशत पर आ गया। वर्ष 2014 से 2021 तक सरकार का सात साल का कार्यकाल हो गया है। इन सात सालों में से अगर छह साल देखें, कोविड का साल न भी देखें, तो तुलनात्मक रूप से यूपीए के समय अलग-अलग पैमानों पर अर्थव्यवस्था की क्या गति थी और इनकी सरकार में कितनी गति हुई -- लोगों को यह उम्मीद थी कि और बढ़ेगी -- तो पिक्चर काफी क्लियर होती है। यूपीए के समय पुरानी सीरीज़ से 10 साल का औसत जी.डी.पी. ग्रोथ रेट 7.8 प्रतिशत रहा, अगर नई सीरीज़ में उसको ट्रान्सलेट किया जाए, तो economists का यह आकलन है कि 2011-12 की नई सीरीज़ में वह 11 प्रतिशत रहा, और आपके

छह साल में, प्री-कोविड, जो दस साल का औसत 11 प्रतिशत था, वह 6.8 प्रतिशत रहा। यह छह साल की अर्थव्यवस्था का आर्थिक ग्रोथ रेट है। यह उम्मीद थी कि और बढ़ेगा, लेकिन यह बढ़ने के बजाय कम हो गया है। किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी जी.डी.पी. के चार components होते हैं, उसकी कुर्सी के चार पैर होते हैं। पहला Consumption - अर्थव्यवस्था में कितनी डिमांड है, दूसरा, निवेश - Investment कितना हो रहा है, तीसरा, Export में कितनी ग्रोथ हो रही है और चौथा, Government Expenditure. अगर हम यूपीए के दस साल और आपकी सरकार के छह साल का आकलन करें और देखें कि अर्थव्यवस्था की क्या परिस्थिति बनी, तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। सर, यदि निवेश की बात करें, तो यूपीए के समय हर साल Industrial Investment Growth Rate 14 प्रतिशत था, वह 2014 से 2020 तक घटकर 2 प्रतिशत रह गया। महोदय, क्रेडिट और बैंक लोन के बारे में बात करते हैं। जब तक बैंक्स से कोई क्रेडिट नहीं लेगा, तब तक अर्थव्यवस्था में कैसे निवेश करेगा? यूपीए के समय हर साल 13 प्रतिशत ग्रोथ रेट था, वह घटकर 4 प्रतिशत ग्रोथ रेट पर आ गया। ये investment की पिक्चर दिखाते हैं। अब private consumption growth, यानी डिमांड पर आएं। ये इसी बजट में प्रकाशित आपके ही आंकड़े हैं। Private consumption growth में यूपीए के समय हर साल 24 प्रतिशत ग्रोथ रेट था, वह इन छह सालों में, कोरोना से पहले, घटकर अब 9 प्रतिशत रह गया है। कॉरपोरेट सेल्स ग्रोथ रेट, यह भी आकलन का एक नज़रिया है कि मार्किट में कितनी सेल्स हो रही है, कितनी खरीदारी हो रही है। उस समय 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ग्रोथ रेट होता था और अब वह मात्र 3 प्रतिशत पर आकर रुक गया है, तो डिमांड भी नहीं है। डिमांड के आगे आता है - एक्सपोर्ट। 'मेक इन इंडिया' का नारा दिया गया। पूरी दुनिया के अंदर 'मेक इन इंडिया' की बड़ी-बड़ी तस्वीरें लगाई गईं, मगर जो एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट 10 साल में, 2004 से 2014 तक 21 प्रतिशत प्रति वर्ष था, वह अब कम होकर 6 साल में, 2014 से 2020 तक, मात्र 3 प्रतिशत पर आकर ठहर गया, तो एक्सपोर्ट भी नहीं है। फिर बचा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वह भी यूपीए की तुलना में कम हुआ है, मगर जितनी ज्यादा तादाद में ये बाकी तीन पहलू अर्थव्यवस्था के लुढ़के हैं - गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में फिर भी ग्रोथ रेट 24 प्रतिशत प्रति वर्ष से 16 प्रतिशत प्रति वर्ष पर आया - मगर उतना नहीं लुढ़का जितना बाकी तीन पहलू लुढ़के हैं।

महोदय, इनके साथ-साथ अर्थव्यवस्था में stressed NPAs के बारे में हम सब जानते हैं। अभी भी जनवरी में RBI Financial Stability Report आई, जिसमें कहा गया कि सितम्बर, 2021 तक 13.5 प्रतिशत NPAs का ratio हो जाएगा। सरकारी बैंकों में और भी बुरा हाल है। इसी प्रकार से stressed corporate balance sheet है, ये कुछ structural problems हमारी इस अर्थव्यवस्था में रहीं। हमारा मानना है कि यह अर्थव्यवस्था पटरी से उतरनी कब शुरू हुई - सबसे पहले नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को हिलाया, उसके बाद जिस तरीके से आनन-फानन में जीएसटी लागू किया गया, उसने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी और उसके बाद कोरोना के अंदर अर्थव्यवस्था में जो आपका management रहा, उसने अर्थव्यवस्था को आज आईसीयू में पहुंचा दिया है। यह हमारा आकलन है, मगर विशेषज्ञ अर्थशास्त्री मानते हैं कि यह पहले से आईसीयू में थी। श्री अभिजीत बैनर्जी, नोबल पुरस्कार विजेता, उनका कोविड से पहले 2020 में मानना था कि अर्थव्यवस्था आईसीयू में है। आपके स्वयं जो Chief Economic Adviser रहे - अरविंद सुब्रमण्यन, उन्होंने कोरोना से पहले 2020 में क्या कहा - कि यह कोई आम मंदी नहीं है, तीस साल में ऐसी

मंदी नहीं देखी गई है। श्री रघुराम राजन ने आपके समय आरबीआई संभाला है, उनका कोरोना से पहले कहना था कि अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो गई है और अर्थव्यवस्था की अत्यंत गंभीर स्थिति है, तो लोगों का मानना था कि स्थिति पहले ही खराब थी। फिर कोरोना आया और आपने अपनी विफलताओं को कोरोना के माथे पर चिपकाने का एक विफल प्रयास किया। मगर कोरोना में भी आपकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था जितनी खोखली हो गई थी, उसकी पोल कोरोना के एक साल में भी खुली। कैसे खुली - इस कोरोना के अंदर चार रिकॉर्ड बने। पहला रिकॉर्ड - विकासशील और विकसित देशों में जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, कोरोना के समय अगर सबसे ज्यादा negative GDP growth rate रहा, सबसे ज्यादा जीडीपी किसी देश का लुढ़का, तो वह हिन्दुस्तान का लुढ़का। आप किसी भी देश से कम्पेयर कर लें, जब कोरोना चरम में था, अप्रैल से जून की तिमाही में हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था माइनस 23.9 प्रतिशत और पूरे साल में माइनस 7.9 प्रतिशत थी। पूरे विश्व के अंदर यह रिकॉर्ड आपके नाम आया। दूसरा रिकॉर्ड आपने बनाया - कोराना के समय में गरीब और अमीर में अगर सबसे ज्यादा अंतर कहीं बढ़ा - आपकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था खोखली हो चुकी थी - तो सबसे ज्यादा गरीब और अमीर में अंतर हिन्दुस्तान में बढ़ा। जहां जिस तिमाही में हमारी अर्थव्यवस्था 23 प्रतिशत लुढ़क गई थी, उसी तिमाही में जो हमारे 100 सबसे अमीर भारतीय हैं, उनकी इन्कम के अंदर 35 प्रतिशत इज़ाफा हुआ। हिन्दुस्तान के जो 100 सबसे बड़े अरबपति हैं, उनकी कमाई 13 लाख करोड़ की हुई - तो उनकी कमाई में 35 प्रतिशत इज़ाफा और अर्थव्यवस्था 23 प्रतिशत लुढ़क रही है। दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ। तीसरा रिकॉर्ड बना - जो अलग-अलग आंकड़े हैं, उनके आधार पर कोरोना में सबसे ज्यादा बेरोज़गारी हुई और 12 करोड़ के करीब लोग बेरोज़गार हो गए, 35 प्रतिशत एमएसएमई बंद हो गए। तो हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोज़गारी कोरोना में हुई, किसी भी देश के मुकाबले हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा लुढ़की और कोरोना के समय गरीब-अमीर में अंतर सबसे ज्यादा बढ़ गया। यह आपकी नीतियों की देन है। चौथा रिकॉर्ड भी बना। वह ऐसे बना कि कोराना में अलग-अलग देश पैकेज लेकर आए, financial stimulus package - जापान अपने जीडीपी के मुकाबले में 20 प्रतिशत fiscal package लेकर आया, कनाडा ने 20 प्रतिशत दिया, ऑस्ट्रेलिया ने 18 प्रतिशत, ब्राज़ील ने 18 प्रतिशत और टर्की ने 14 प्रतिशत दिया। हमारे देश में आपने 20 लाख करोड़ की घोषणा की, मगर इसके अंदर जो फिस्कल कम्पोनेंट है, वह कुल-मिलाकर जीडीपी का मात्र 3.2 प्रतिशत है। आपने पैकेज भी उतना नहीं दिया। कोरोना से जो लोग बेरोज़गार हुए, जो लोग गरीब थे, उनके घाव पर मरहम लगानी चाहिए थी, मगर आपने उनको भी राहत नहीं दी। अगर हम जीडीपी constant prices पर देखें, तो जब आपकी सरकार देश में 2014-15 में आई, उस समय देश की 104 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी, वह बढ़कर 2019-20 में 145 लाख करोड़ की हो गई। कोरोना के बाद जब यह कम हुई, जब यह गिरी, तो वह अब गिर कर 132 लाख करोड़ की हो गई, इस साल के अंत में हो गई, यानी 132 लाख करोड़ - 2016-17 में जितनी अर्थव्यवस्था थी - उसके बराबर है। आप कह रहे हैं कि इसकी V-shape recovery हो रही है और हम कोरोना से पहले की स्थिति में आ रहे हैं, मगर आपके आंकड़े यह नहीं बताते हैं। अगर हम RBI का growth rate देखें कि 11 परसेंट ग्रोथ रेट इस साल हो जायेगा, तो भी 145 लाख करोड़ नहीं होगा, ऐसा होने में दो साल लगेंगे। अगर UNCTAD, जो यूनाइटेड नेशन्स की एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गनाइज़ेशन है, उनका आकलन देखें,

तो ग्रोथ रेट की मात्र पांच प्रतिशत की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में पहले जैसी अर्थव्यवस्था, पहले के बराबर की अर्थव्यवस्था, जो 2019-20 में थी, वह 2026 तक पहुंचेगी। अगर हम डॉ. गीता गोपीनाथ का लेख देखें, तो उसके अनुसार 2025 में हमारी अर्थव्यवस्था उस लेवल पर पहुंचेगी, जो कोरोना से पहले था, जिसको गंभीर बताया गया। तो यह गंभीर से अत्यंत गंभीर हो गई और अब अत्यंत गंभीर से वापस गंभीर स्थिति में लाने के लिए - आपके कार्यकाल में दोबारा गंभीर स्थिति में आ पायेगी या नहीं आ पायेगी, इस पर आकलन चल रहे हैं। बहरहाल अब स्थिति यह है कि जैसे गर्मी के महीने में कोई नौसिखिया मिस्त्री - कोई वॉटर कूलर किसी घर में लगा हो, उसकी आकर मोटर खोल दे, मगर उसको बांधना न आए और सबके पसीने छूट जाएं - आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा?

सर, मैं अब टैक्सेशन पॉलिसी पर आता हूं। किसी भी वित्त मंत्री के पास दो स्रोत होते हैं - राजस्व और व्यय, revenue और expenditure. किससे पैसा लेंगे और किसको पैसा देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर, जब राम राज्य की कल्पना की थी, तब वे ऐसा कुछ लिखकर गए थे, जो आज भी हमारे लिए guiding principle है, जिसके अनुसार हम काम कर सकते हैं। ..(**व्यवधान**)..

श्री उपसभापति: प्लीज़, प्लीज़।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: उन्होंने लिखा है,

"*बरसत हरसत सब लखें,*
करसत लखे न कोय
तुलसी प्रजा सुभाग से,
भूप भानु सो होय।"

मतलब, जब किसी भी राजा को कर लेना हो, तो ऐसे लेना चाहिए जैसे सूर्य नदियों से लेता है, किसी को पता न चले और जब अपनी प्रजा को देना हो, तो ऐसे बरसे कि सृष्टि हर्षोल्लास में समा जाए। मगर आपकी नीतियां इसके विपरीत हैं। जब लेना होता है, तो ऐसे लेते हैं कि जेब पर ऐसी भारी चोट पड़ती है कि विश्व कीर्तिमान बन जाते हैं - जैसे आज डीज़ल, पेट्रोल, कुकिंग गैस के ऊपर, रसोई गैस के सिलेंडर के ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा कर आप ले रहे हैं। जब आपको देना होता है ...(**व्यवधान**)... जब देना होता है, तो ऐसे देते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: प्लीज़, प्लीज़।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: जैसे आपने कोरोना में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। आज तक उस पैकेज का क्या हुआ, किस घर में कितना पहुंचा, इसका जवाब नहीं होता है, यह अदृश्य हो जाता है। आप बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... आपके कार्यकाल में consumption की हवा निकल गई, निवेश की हवा निकल गई, एक्सपोर्ट की हवा निकल गई और थोड़ा-बहुत

Government expenditure की गति में कमजोरी आई है, मगर Government expenditure अभी है। आपने इस बजट में भी Government expenditure, खास तौर पर capital expenditure की तरफ, CAPEX की तरफ अपनी दया दृष्टि रखी है, जिसकी नीति पहले से चली आ रही है। हमारा मानना है कि जब supply side economy की बात की जाए, जब तक इकोनॉमी के अंदर demand नहीं है, वह sustainable नहीं है, क्यों? क्योंकि जब डिमांड होती है - आपका focus केवल Government expenditure और CAPEX पर है, जब तक डिमांड नहीं है, तो आपके टैक्स रेवेन्यूज़ इतने नहीं होते, आपकी कलेक्शन इतनी नहीं होती कि उसको अच्छे से फंड किया जाए। इसका सबसे बड़ा सबूत tax to GDP ratio दिखाई देता है। वर्ष 2004-05 में जब हमारी सरकार बनी थी, यूपीए में उस समय tax to GDP ratio 10 प्रतिशत था और वह बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया था। कोई भी advanced economy होती है उसका tax to GDP ratio बढ़ता रहता है। यह चीन के अंदर 17 प्रतिशत है, ब्राज़ील के अंदर 33 प्रतिशत है, अमेरिका के अंदर 20 प्रतिशत है, यहां तक कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश के अंदर भी 12 से 15 प्रतिशत की रेंज में है। वह बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया था, बाद में आपकी सरकार आई, तो tax to GDP ratio - आप कह रहे हैं कि returns बहुत फाइल हुए हैं, record returns फाइल हुए हैं - मैं मानता हूं कि returns फाइल हुए हैं। मगर डिमांड ही नहीं है। इकोनॉमी में जब डिमांड ही नहीं है, तब रिटर्न्स तो फाइल कर रहे हैं, टैक्स बेस तो बढ़ रहा है, मगर Tax to GDP ratio घट-घट कर 9.8 प्रतिशत रह गया है। हम 2004-05 से शुरुआत करके आपको 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत पर सौंपकर गए थे, मगर अब वह घटकर 9.8 प्रतिशत हो गया है। यह Tax to GDP ratio किसी भी विकसित देश से और विकासशील देश के मुकाबले में कम है। जब टैक्स नहीं होगा और आपको अपना CAPEX फंड करना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंड करना है, तब आप क्या करेंगे - आप मार्किट बॉरोइंग करेंगे। आप मार्किट बॉरोइंग बढ़ाते गए और मार्किट बॉरोइंग बढ़ाते-बढ़ाते यह इस कदर बढ़ी कि Debt to GDP ratio अर्थव्यवस्था में कर्ज़ कितना आया - यह आज 91 प्रतिशत पर पहुंच गया है। आपके जितने peer मुल्क हैं, जो आपकी बराबर की परिस्थिति में हैं, उनका average Debt to GDP ratio 42 प्रतिशत है, लेकिन आप 91 प्रतिशत पर पहुंच गए हैं। 91 प्रतिशत - इतना बड़ा debt! अमरीका में 100 प्रतिशत का रेश्यो है। जितना विकसित देश होता है, जितनी तेजी से कोई अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही होती है, वह देश उतना ज्यादा debt लेता है। हमारी दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत यह है कि ग्रोथ हो नहीं रही है, debt ले रहे हैं और CAPEX उससे फंड कर रहे हैं। ..(**व्यवधान**).. विश्व बैंक के द्वारा एक बात मानी गई है कि अगर Debt to GDP ratio 77 प्रतिशत से ऊपर हो जाए, कर्ज़ का जीडीपी के 77 प्रतिशत से ऊपर हो जाए, तो आप आने वाले समय के ग्रोथ रेट को मॉर्टगेज़ कर रहे हैं। उसके बाद जितना प्रतिशत भी बढ़े, आपका उतना ग्रोथ रेट आने वाले समय में कम होगा। यही कारण है कि पिछले साल के बजट के बाद जून में three big credit rating agencies-Standard & Poor's, Fitch और Moody's, इन तीनों ने भारत को पहली बार डाउनग्रेड किया है। इन तीनों credit rating agencies ने ऐसा किया है। मैं जून-जुलाई की बात कर रहा हूं, इन तीनों ने भारत को डाउनग्रेड किया है। देश के अंदर एक संदेश गया, यद्यपि आपने उसको ख़ारिज कर दिया कि हमें इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। महोदय, इससे फ़र्क़ पड़ता है, क्योंकि आने वाले समय में जब आप और ज्यादा मार्किट बॉरोइंग करेंगे तो वह मार्किट बॉरोइंग और ज्यादा महंगी हो जाएगी। आपने पिछले साल की तुलना में इस साल की मार्किट बोरोइंग 55

प्रतिशत से भी ज्यादा करने का फैसला किया है। वह इससे और महंगी हो जाएगी। जब यह और महंगी हो जाएगी, तो रुपया कहाँ जाएगा? इस साल 1 रुपये में से 23 पैसे ब्याज में जा रहे हैं और आने वाले समय में और भी ज्यादा पैसा ब्याज में जाएगा। इन तीनों एजेंसीज़ ने भारत को डाउनग्रेड कर दिया है।

महोदय, डाउनग्रेड करने के बाद इस साल आप उसी नीति को दोबारा लाए। कोरोना काल में हम मांग करते रहे कि लोगों के हाथ में पैसा दीजिए, आप डिमांड को rejuvenate कीजिए, मगर आपने CAPEX पर दोबारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने का काम किया, जिसकी वजह से बजट के अगले दिन, जो Japnese brokerage firm है, नोमुरा, उसने दोबारा से वॉर्निंग दी है कि इस साल आपकी की जो credit rating agencies हैं, उनसे हिंदुस्तान पर junk rating देने का खतरा मंडरा रहा है। यह बजट से अगले दिन Japanese brokerage firm ने कहा है। आप बजट के चाहे जितने गुणगान कीजिए, लेकिन इसके fallout हैं। इकोनॉमी में इसके दो-तीन fallout हैं। पहला fallout है - ग़रीब-अमीर में अंतर। जैसा कि मैंने कहा है कि हमारे देश की 1 प्रतिशत आबादी देश की 73 प्रतिशत संपत्ति को काबू कर रही है, लेकिन इतनी तेजी से यह जो ग़रीब-अमीर में अंतर बढ़ा है - यह सोचने का विषय है।

महोदय, कोरोना संकट से पहले 2019 तक अगर Gini coefficient को देखें, जिससे किसी भी देश में असमानता का आकलन किया जाता है कि सबसे अमीर 10 प्रतिशत और सबसे ग़रीब 10 प्रतिशत में कितना अंतर है, यदि उसके हिसाब से आकलन करें, तो हिंदुस्तान आपकी छह साल की सरकार के बाद दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे असमान अर्थव्यवस्था बन गया था। ग़रीब-अमीर में सबसे ज्यादा अंतर रूस में है, उसके बाद दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान में है। कोरोना संकट के बाद Gini coefficient का जो preliminary estimate आया, उसके अनुसार मैं आपको इसके लिए भी मुबारकबाद देता हूं कि यह आपकी अर्थशास्त्रीय नीतियों का नतीजा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा असमानता के क्षेत्र में आप रूस को भी ओवरटेक करने जा रहे हैं। इसमें Thomas Piketty, जो इस सदी के ग़रीब-अमीर की असमानता के सबसे बड़े अर्थशास्त्री माने गए हैं, उनका कहना है कि इसका मुख्य कारण यह रहता है कि अगर किसी भी देश में return on investment वहाँ के जीडीपी ग्रोथ रेट से ज्यादा हो तो असमानता बढ़ती रहती है। Return on investment कैसे होता है? जैसे stock market में अगर return on investment ज्यादा है, जो हम देख भी रहे हैं कि stock market में क्या हो रहा है, अगर वह हमारे देश के ग्रोथ रेट से ज्यादा है तो यह अंतर बढ़ने की संभावना है।

महोदय, जैसे मैंने मुख्य तौर पर कहा है कि इसके दो कारण हैं - एक तो आपने सप्लाई साइड पर फोकस किया है और दूसरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेज़ में इनडायरेक्ट टैक्सेज़ पर फोकस किया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेज़ क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेज़, यानी कि इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, जो देश की अर्थव्यवस्था को कहीं न कहीं समानता की तरफ लेकर जाते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेज़ - जो ग़रीब पर ज्यादा लगते हैं, जैसे पेट्रोल पर, डीज़ल पर। पेट्रोल पर एक लीटर में मुकेश कुमार को भी उतना ही टैक्स देना पड़ता है जितना मुकेश अंबानी को देना पड़ता है, मगर आप इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स में फ़र्क कर सकते हैं। जब से आपकी सरकार आई है, तब से आपने क्या किया है? आपने यह किया है कि आपने कॉरपोरेट टैक्स को घटाया है। आपने इसको 25 प्रतिशत तक यह कहकर घटाया कि इससे निवेश होगा,

मगर डिमांड है नहीं, निवेश हो नहीं रहा है, इसीलिए कॉरपोरेट टैक्स का कलेक्शन, जो 2014-15 में अर्थव्यवस्था में Corporate tax to GDP ratio 3.4 प्रतिशत था। आज वह कलेक्शन घटकर 2.3 प्रतिशत तक आ गया। आपके अनुसार Corporate Tax बढ़ना चाहिए था और निवेश होना चाहिए था, मगर Corporate Tax का collection down आ गया। इसी तरह से इनकम टैक्स का कलेक्शन भी डाउन आ गया। आप पैसा कहां से निकाल रहे हैं? आप पैसा निकाल रहे हैं गरीब आदमी की जेब से। जिन लोगों की सम्पत्ति बढ़ रही है, उन पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन आप गरीब आदमी के पेट्रोल, डीज़ल और रसोई गैस पर टैक्स लगा रहे हैं। आप यह कहते हैं कि Corporate Tax तो दुनिया में बराबर होना चाहिए, तब हमारी कम्पनीज़ की competitiveness बनेगी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि फिर Indirect Tax पेट्रोल और डीज़ल पर क्यों नहीं बराबर होना चाहिए? हमारे आम आदमी की competitiveness क्यों नहीं होनी चाहिए? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: कृपया आपस में बैठे-बैठे बात न करें।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: आज पेट्रोल और डीज़ल पर क्या स्थिति है, यह मैं बताना चाहता हूं। अगर कोई पेट्रोल भरवाने जाए तो पेट्रोल पर 100 रुपए में से 63 रुपए सरकार की जेब में जाते हैं। जेटली जी के पहले बजट में, 2014-15 में डीज़ल पर तीन रुपए की एक्साइज़ ड्यूटी थी, जो अब बढ़ कर 31 रुपए तक हो चुकी है। आपके पहले बजट में पेट्रोल, डीज़ल और रसोई गैस पर कुल मिलाकर 75 हज़ार करोड़ की collection थी, इस बजट में वह बढ़ कर साढ़े 3 लाख करोड़ रुपए हो गई है, यानी आप इतनी कमाई उसी गरीब जनता से कर रहे हैं और अच्छे दिन बता रहे हैं! आप उस बूढ़ी माँ का दर्द समझिए, जिसने कोरोना में दीया जलाया था, आज उसके घर में खाली गैस सिलेंडर पड़ा है। आज वह चूल्हे में लकड़ी जलाकर रोटी बना रही है और उसके धुएँ से उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं।

एक और fallout है- बेरोज़गारी का। देश में बेरोज़गारी भयावह रूप ले चुकी है। NSSO के अनुसार 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोज़गारी है। CMI के अनुसार 70 साल की बेरोज़गारी का रिकॉर्ड पिछले वर्ष टूटा है। केवल कोरोना काल में 12 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए। Azim Premji University के अनुसार demonetization के कारण उस समय 50 लाख लोग बेरोज़गार हो गए थे। आपने दो करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था, यानी सात साल में 14 करोड़ रोज़गार उपलब्ध होने चाहिए थे, लेकिन कोरोना और demonetization के कारण साढ़े 12 करोड़ रोज़गार कम हो गए। हर घर में एक बेरोज़गार हो गया है और आप कह रहे हैं कि पकौड़े तलिए! मैं मानता हूं कि वह भी हो सकता है, मगर जब हर घर में बेरोज़गार है, अगर हर घर में कढ़ाई चढ़ा कर पकौड़े तलने का काम होगा, तो कौन खरीदेगा? अगर कोई खरीदेगा नहीं तो अगले दिन के लिए वे बेसन और तेल का इन्तज़ाम कैसे करेंगे? इसलिए हर घर में बेरोज़गारी है।

महोदय, अब मैं किसान की परिस्थिति पर आना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि चार महीने से किसान क्यों बैठा है? यह वही किसान है जिसने कोरोना के काल में भी अर्थव्यवस्था को जीवित रखा। इस किसान को आपसे उम्मीद थी कि आप अपने वादे के अनुसार किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे और अपना वादा निभाएंगे, लेकिन हुआ क्या? आपने इस बजट में कृषि क्षेत्र का

आवंटन 8.5 प्रतिशत घटाने का काम किया, इसीलिए यह आंदोलन चल रहा है। स्वामीनाथन आयोग के C2 खर्चे के आधार पर किसानों के उत्पादों का एमएसपी बढ़ाने के बजाय, उसकी आमदनी दोगुनी करने के बजाय, उनके एमएसपी पर ही वार कर दिया, इसीलिए किसान एमएसपी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरह देखा जाए तो आपने एकदम उलटा कर दिया।

आपने किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही थी, मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसका क्या ब्रेकअप है ? कौन सा बेस है, जिसके आधार पर आप किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे ? मैंने इसे समझने की कोशिश की और वह मैं बताना चाहता हूं, आप इसका बाद में जवाब दे सकते हैं। वर्ष 2015-16 में किसान की आमदनी का लगभग 8,000 रुपए प्रति माह का आकलन किया जा सकता है। इस आधार पर 2022 तक, यानी नौ महीने रह गए हैं, 8,000 रुपए प्रति माह से 16,000 रुपए प्रति माह होनी चाहिए, एक तो यह आधार हो सकता है। दूसरा आधार यह है कि किसान को गेहूं, धान पर जितना न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015-16 में मिल रहा था, जैसे धान पर 1,410 रुपए प्रति क्विंटल, तो 2022 तक वह दोगुना होना चाहिए, क्योंकि किसान की आमदनी तो तब दोगुनी होगी, जब दाम दोगुना होगा। वर्ष 2022 तक यह 1,400 से बढ़ कर 2,800 या 3,000 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए, लेकिन अभी यह उसके आस-पास भी नहीं है। अभी धान का भाव 1,868 रुपए प्रति क्विंटल है। इसी तरह से गेहूं की बात है। इन पांच सालों में आपने आमदनी दोगुनी करने के लिए भाव 30 प्रतिशत बढ़ाया है। अगर भाव नहीं बढ़ रहा है, तो आमदनी कैसे बढ़ रही है? आपने डीज़ल का मूल्य 94 प्रतिशत बढ़ा दिया, जिस डीज़ल की आवश्यकता है। आप diesel input cost तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप भाव बढ़ा नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आमदनी दोगुनी करेंगे। फिर मैंने देखा और खोजने की कोशिश की कि सरकार में इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वैसे सभी जिम्मेदार हैं, मगर कृषि मंत्रालय में एक अशोक दलवई जी हैं, Chairman of the Committee on Doubling Farmers' Income. इस 'doubling farmers' income' में क्या strategy है, इसके बारे में हमने यह सवाल पूछा कि इसका क्या break-up है, आप कुछ बताइए, तो उन्होंने दो-तीन चीजें बताईं। उन्होंने कहा कि प्रमुखता से हमारी एक strategy है - 'shifting from farm to non-farm occupations'. यानी अगर कोई किसान दो भाई हैं, तो आप एक को मजदूरी पर लगा दो, तो अब जो दूसरा रह गया है, उसकी income दोगुनी हो गई। क्या यह आपका formula है? इसके बारे में आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपने सोचा कि किसान यह बात भूल जाएगा, मगर किसान की याददाश्त बहुत तेज है, इसीलिए वह 4 महीने से बैठा है, 300 जानें क़ुरबान करने के बाद।

उपसभापति महोदय, एक और चीज हुई। बात तो थी MSP दोगुनी करने की, बात तो थी income दोगुनी करने की ...(**समय की घंटी**)... उपसभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। बात तो थी income दोगुनी करने की, मगर अब क्या हुआ, जैसे एक छोटा सा बच्चा चिल्ला रहा था और अपनी मम्मी से कह रहा था कि मलाई दो, मलाई दो। वह रोटी लेकर गई, लेकिन वह कह रहा था कि मलाई दो। उसके दादा ने पूछा कि वह क्यों चिल्ला रहा है, तो उसने बताया कि वह मलाई माँगता है। उसके दादा ने कहा कि एक काम करो, इसकी रोटी छीन लो, फिर वह मलाई छोड़ देगा और रोटी-रोटी चिल्लाएगा। इसलिए MSP double करने की बजाय अब MSP छीनने की बात आ गई।

उपसभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से अपनी बात को conclusion की तरफ लेकर जाने के लिए एक और बात कहना चाहता हूँ कि 26 तारीख को किसानों को 4 महीने हो जाएँगे। वे 4 महीने से बैठे हैं, 300 से ज्यादा जानों की क़ुरबानियाँ हो गईं। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ...

श्री उपसभापति : दीपेन्द्र सिंह जी, आप conclude करें। नहीं तो फिर दूसरे स्पीकर का समय जाएगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपसभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार इन किसानों की बात सुने, संवेदनशीलता दिखाए। इस सदन से कम से कम सहानुभूति का एक वाक्य, संवेदना का एक शब्द -- वहाँ 300 लोगों ने जानें क़ुरबान कीं, क्या कभी किसी ने ऐसा आंदोलन देखा है, इतनी जानें क़ुरबान करने के बाद भी आज 20-20 किलोमीटर का धरना है -- आप संवेदना का एक शब्द कहिए। आप किसानों की बातों को मानें और जो 300 किसानों की जानें गई हैं, उनके लिए, उन परिवारों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करें, उनके लिए कुछ रोजगार का प्रबन्ध करें और उन किसानों को खुशी-खुशी घर लौटने का प्रस्ताव दें। मैं हाथ जोड़ कर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि देश की सरकार, देश का सदन किसानों की खिल्ली न उड़ाए। आपको किसानों की खिल्ली उड़ानी बहुत महँगी पड़ेगी, आज मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये चेहरे देख रहा हूँ, जिस तरह से ...

श्री उपसभापति: माननीय दीपेन्द्र सिंह जी, धन्यवाद।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: आप किसान को खुशी-खुशी घर लौटने का मौका दें, ताकि हम भी सदन से खुशी-खुशी घर वापस लौट सकें और आप इस अर्थव्यवस्था को भी इस वित्त विधेयक में बदलाव करके दोबारा से पटरी पर लौटाने का रास्ता प्रशस्त करें। आपका धन्यवाद।

श्री उपसभापति : माननीय सुशील कुमार मोदी।

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार): उपसभापति महोदय, मैं देश की वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्ष 2020-21 महामारी के दौर से गुजरा है और पिछला एक वर्ष जिस प्रकार से गुजरा है, यह सोच कर आदमी की देह में सिहरन पैदा हो जाती है। It was like a nightmare. लेकिन मैं देश के प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से इस महामारी का मुकाबला किया है। महोदय, शायद सदन को यह नहीं ज्ञात होगा कि इस pandemic के दौरान देश के प्रधान मंत्री ने केवल विदेश के मंत्रियों के साथ, यानी विदेशों में रहने वाले प्रधान मंत्रियों और राष्ट्रपतियों के साथ 120 meetings की हैं। महोदय, 2020-21 के अन्दर 20 लाख, 20 हजार करोड़ रुपए Budget estimate था कि हम revenue collection करेंगे, लेकिन इस महामारी के कारण इसमें लगभग 23 प्रतिशत की कमी आ गई और संभावना है कि हम मात्र 15 लाख, 55

हजार करोड़ रुपए ही संग्रह कर पाएँगे। There is a revenue shortfall of more than 23 per cent in the financial year 2020-21. Corporate Tax में लगभग 34 प्रतिशत, Income-tax में 28 प्रतिशत तथा GST के कर संग्रह में लगभग 12 प्रतिशत की कमी आने की सम्भावना है। लेकिन महोदय, मैं देश के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जब लोगों को यह लग रहा था कि कोई नया टैक्स लगेगा, कोई COVID Tax लगेगा अथवा टैक्स की दर में वृद्धि की जाएगी, क्योंकि सरकार को राजस्व की भारी आवश्यकता है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जनता पर किसी भी प्रकार के करों का बोझ नहीं लादा गया। यहां कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। हम लोगों ने 2019-20 में ही Corporate Tax, Income Tax और Dividend Distribution Tax में रियायत देने का काम किया था।

उपसभापति महोदय, कोरोना काल में कोई नया टैक्स लगा, तो वह Agriculture Infrastructure and Development Cess लगा। जब हम लोगों ने यह सैस लगाया, तो इस बात का ध्यान रखा कि जिन चीज़ों पर हम सैस लगाने जा रहे हैं, उन चीज़ों पर जो excise duty या customs duty थी, उसको कम किया जाए और उसको कम करने के बाद ही यह सैस लगाया जाए। जनता पर हमने किसी भी प्रकार का कोई बोझ नहीं आने दिया।

उपसभापति महोदय, इस सैस से सरकार को करीब 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा प्राप्त होगा। यह जो सैस लगाया गया है, It is not a part of the divisible pool. यह पैसा राज्यों के हिस्से में नहीं जाएगा। यद्यपि यह divisible pool का पार्ट नहीं है, लेकिन निर्मला जी ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया है, that this would be made available to APMC's *mandi* and for infrastructure of local *mandi*. यानी यह 30,000 करोड़ रुपया कृषि की आधारभूत संरचना पर खर्च किया जाएगा, जो APMC की मंडियां हैं या जो अन्य मंडियां हैं, उन पर खर्च किया जाएगा। इस तरह अंततः यह सारी राशि राज्य ही खर्च करेंगे। ऐसा नहीं है कि यह 30,000 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार अपने खज़ाने में रख लेगी। उपसभापति महोदय, इस तरह Agriculture Infrastructure and Development Cess के रूप में अगर हमने एक नया टैक्स लगाया है, तो वह भी राज्यों के माध्यम से ही खर्च किया जाएगा।

महोदय, चूंकि यह Finance Bill है, इसलिए मैं माननीय सदस्यों से यह आग्रह करूंगा कि हम अपने भाषणों को Finance Bill पर केन्द्रित करें, न कि General Budget पर, क्योंकि General Budget पर तो पहले ही यहां घंटों चर्चा हो चुकी है।

उपसभापति महोदय, direct tax का एक बहुत बड़ा हिस्सा है - income-tax. मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि दुनिया के जो developing and developed economies हैं, उन सबके मुकाबले income-tax की दर सबसे कम भारत में ही है। अमरीका में income-tax की maximum दर 40 प्रतिशत है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सभी देशों में income-tax का highest slab 45 per cent है, जबकि इंडिया में यह केवल 30 प्रतिशत है। जहां तक minimum slab की बात है, तो United States में यह 10 per cent है, साउथ अफ्रीका में 18 प्रतिशत है, लेकिन भारत में income-tax का lowest slab केवल 5 प्रतिशत है। महोदय, 1960-70 के दशक में इस देश के अन्दर income-tax की दर 90 प्रतिशत थी, लेकिन आज हम उसको घटा कर 30 प्रतिशत पर ले आए हैं। दुनिया के तमाम विकसित देशों की तुलना में भारत में

income-tax रेट, चाहे वह minimum हो या maximum हो, हमने उसे सबसे कम रखने का काम किया है।

महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि income-tax से जो आमदनी होती है, तो जो salaried लोग हैं, जिनकी आमदनी वेतन से होती है, they account for about 59 per cent of declared income and only 27 per cent was from business income. यानी आज भी income-tax में बहुत बड़ी सम्भावना है, क्योंकि income-tax collection का 59 प्रतिशत भाग salaried लोगों से प्राप्त होता है, वहीं केवल 27 प्रतिशत business income से प्राप्त होता है।

उपसभापति महोदय, पिछले वर्षों में 5 करोड़ 53 लाख individuals ने रिटर्न फाइल किया है. More than 5 crores 53 lakhs individuals filed the return and out of that, 40.5 per cent did not pay any tax. क्योंकि उनकी टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती थी, और 53 परसेन्ट ऐसे लोग हैं, whose average Annual income was only Rs. 5.6 lakhs और जिन्होंने केवल एवरेज पे किया, वह 22,538 रुपये है, यानी एवरेज पेमेन्ट केवल 22 हज़ार 538 रुपये है और केवल 6.3 परसेन्ट लोग हैं, जिनके माध्यम से 79 परसेन्ट का रेवेन्यु प्राप्त हुआ। मैं ये आंकड़े इसलिए दे रहा हूं, यद्यपि हमारे रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या जहां 2013-14 में 3 करोड़ 31 लाख थी, वह 2018-19 में बढ़कर 6 करोड़ 33 लाख हो गई है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स देने वाले लोगों की संख्या और जिन्होंने एक्चुअल इनकम टैक्स दिया है, उनकी संख्या में काफी वृद्धि होने की गुंजाइश है। टोटल टैक्स रेवेन्यु का 22.7 परसेन्ट हमें इनकम टैक्स से प्राप्त होता है।

महोदय, दूसरा डायरेक्ट टैक्स का सोर्स ऑफ इनकम है - कॉरपोरेशन टैक्स। हमें टोटल रेवेन्यु का 32 परसेन्ट कॉरपोरेशन टैक्स से प्राप्त होता है। सदन को यह मालूम है कि हमनें सितम्बर, 2019 में कॉरपोरेट टैक्स को ब्रिक्स नेशन्स और ओईसीडी देशों के समकक्ष लाने का प्रयास किया है, ताकि यहां पर मैन्युफेक्चरिंग हो, दुनिया से लोग यहां पर इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए आएं, जब उद्योग लगेंगे और मैन्युफेक्चरिंग होगी, तब लोगों को रोजगार मिलेगा। दुर्भाग्य से सितम्बर, 2019 में हमने कॉरपोरेट टैक्स की दर को कम किया और 4-6 महीने के बाद ही महामारी का दौर प्रारम्भ हो गया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले पांच सालों में इसके दूरगामी परिणाम दिखाई पड़ेंगे।

महोदय, इसी प्रकार हम जो इन्सेन्टिव्ज़ देते हैं, केवल इनकम टैक्स में 80- सी में 71 हज़ार करोड़ का incentive देते हैं। अगर हमने यह इन्सेन्टिव नहीं दिया होता तो Government of India could have earned Rs. 71,000 crores. लेकिन हमें इनकम टैक्स में, कॉरपोरेट टैक्स में इन्सेन्टिव देना होता है, हम यूं ही फ्लैट टैक्स नहीं लगा सकते। परन्तु उसका रेवेन्यु इम्पैक्ट क्या हुआ। 2018-19 में कॉरपोरेट सेक्टर को 99,842 करोड़ रुपये का टैक्स इन्सेन्टिव दिया गया। इनडिविजुअल्स को 1 लाख 6 हज़ार करोड़। अगर कॉरपोरेट और इनडिविजुअल्स दोनों को हम जोड़ लें, तो we have given an incentive of more than Rs. 2 lakh crores to the Individual tax payers for Income Tax and for the Corporate Tax और यह काम केवल हमने ही नहीं किया, इसके पहले आपकी सरकार भी यह काम करती थी। अभी माननीय सदस्य टैक्स जीडीपी रेश्यो की बात कर रहे थे तो मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 2011-12 में टैक्स जीडीपी रेश्यो जहां 10.2 परसेन्ट ऑफ जीडीपी था, हमारी सरकार आने के बाद 2018-19 में it has increased to 11 per cent. There is an increase of 0.8 per cent in tax-GDP ratio.

महोदय, हम जो डायरेक्ट टैक्स के प्रपोज़ल्स लाये हैं, उसमें देश के जो बुज़ुर्ग हैं, जो 75 साल से ज्यादा उम्र के हैं और 2011 के सेन्सस के अनुसार इस देश में 10 करोड़, 40 लाख एल्डरली लोग हैं, जो साठ साल से ज्यादा उम्र के हैं, मैं निर्मला जी को धन्यवाद दूंगा कि 75 साल से ऊपर के जो इंडियन रेज़िडेन्ट्स हैं और केवल पेन्शन और इंटरेस्ट से जिनकी आमदनी होती है, उनको रिटर्न फाइल करने से मुक्त कर दिया गया है, उनको कोई रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। The bank will compute his income and deduct Income Tax, it will reduce compliance burden on senior citizen tax payers.

महोदय, हमने 2019-20 के बजट में senior citizens को जो tax incentive दिया, वह Rs.1800 crores था। सदन को मालूम है कि Direct Taxes में बड़ी संख्या में disputes हैं। मार्च, 2020 तक का फिगर है कि about Rs.10,00,000 crores is in tax disputes, जबकि मार्च, 2012 में tax disputes केवल 2 लाख, 86 हज़ार करोड़ था। महोदय, Direct Taxes के अन्दर Corporate Tax और Income Tax में tax disputes की जो संख्या बढ़ रही है, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि Corporate Tax में 4 लाख, 34 हज़ार करोड़ और Income Tax में 4 लाख, 49 हज़ार करोड़ tax disputes हैं। इसके लिए मैं निर्मला जी को धन्यवाद दूँगा कि ये जो tax disputes हैं, इनको resolve करने के लिए सरकार ने अनेक नये कदमों की इस बजट के अन्दर, इस Finance Bill में घोषणा करने का काम किया है।

महोदय, Ease of Doing Business में compliance को कैसे सरल किया जाए? Income Tax और Corporate Tax में जो assessment होता है - assessment, reassessment and re-computation की समय-सीमा 21 माह थी। हमारी सरकार ने 2018-19 में 21 महीने से घटाकर 18 महीने किया, 2019-20 में फिर घटाकर 12 महीने किया गया और अब further reduced by three months, and now nine months from the end of the Assessment Year. यानी पहले जहाँ assessment को पूरा करने की समय-सीमा 21 महीने की थी, हमने उसको घटाकर 18 महीने, उसके बाद 12 महीने और फिर अब उसकी समय-सीमा को 9 महीने निर्धारित किया है, ताकि assessment के मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन हो सके।

महोदय, नरेन्द्र मोदी जी tech-savvy आदमी हैं। इन्होंने DBT या IT platform का जिस बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है, उसी प्रकार faceless proceedings हैं। assessment, appeal, penalty के लिए 13 अगस्त, 2020 को इस देश के अन्दर faceless scheme introduce की गयी है। यह faceless scheme क्या है - यानी अब आमने-सामने बैठ कर उसका समाधान नहीं होगा। कौन आदमी Assessing Officer होगा, यह किसी को पता नहीं होगा और जिसका assessment किया जा रहा है, वह व्यक्ति कौन है, उसको कोई नहीं जानता, it is faceless. इसके साथ ही जो old age territorial system था, उसको खत्म कर दिया गया और अब यह randomly choose किया जाता है। किसी को पता नहीं होता कि कौन हमारा assessment कर रहा है - assessment एक आदमी करेगा, ऑर्डर दूसरा आदमी पास करेगा। महोदय, मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि assessment, appeal and penalty में faceless proceedings आरम्भ किया गया था, 7 मार्च तक 78,950 orders have been passed under the faceless assessment scheme. इस प्रकार इतनी बड़ी संख्या में faceless scheme के तहत orders पास किये गये हैं। साथ ही Tribunal के तहत जो कार्रवाई होती है, अब भारत सरकार ने उसमें भी

faceless proceedings लागू करने का काम किया है। महोदय, जब faceless assessment नहीं था, जब manual तरीके से इसका सम्पादन होता था। उसमें large additions were made in 60 per cent of cases. लेकिन जब से faceless assessment प्रारम्भ हुआ है, additional tax, demand were in 4,000 cases and 8 per cent of the total cases. उसी प्रकार tax disputes के निष्पादन के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने 'विवाद से विश्वास' नामक एक योजना 17 मार्च, 2020 को प्रारम्भ की थी। दुर्भाग्य से pandemic आ गया, लेकिन मैं सदन को बताना चाहूँगा कि योजना का उद्देश्य reducing pendency of tax litigation, generating timely revenue for the Government and giving benefit to taxpayers, giving them peace of mind है। इस योजना को ऐतिहासिक जनसमर्थन प्राप्त हुआ है और 'विवाद से विश्वास' योजना के तहत अभी तक 1 लाख, 30 हज़ार declarations have been filed of Rs.98,500 crores of disputed tax. Till now already Rs. 53,000 crores have been credited in the Treasury of India.

महोदय ,इस बार के Finance Bill में clarification के तहत कुछ चीज़ों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार से मैंने dispute की चर्चा की ,जो छोटे टैक्सपेयर्स हैं ,उनके लिए Finance Bill में Disputes Resolution Committee का प्रावधान किया गया है। जिनकी return income 50 लाख रुपए की है और जिनका disputed tax 10 लाख रुपए तक का है ,वैसे छोटे ,small and medium tax payers के लिए DRC has the power to grant immunity from penalty and prosecution to tax payers whose dispute is resolved. एक प्रकार से यह टैक्स अदालत के रूप में काम करेगा।

महोदय ,मैं एक और विषय की चर्चा करना चाहूँगा और वह EPF को लेकर है। पहले Employees' Provident Fund में कोई भी व्यक्ति कितना भी contribute कर सकता था ,8 per cent assured interest मिलता था ,लेकिन इस तरह के मामले सामने आए कि an individual has deposited Rs.103 crore in EPF और 20top लोगों के कुल 824.53 करोड़ रुपए EPF में जमा हैं। महोदय ,यह Employees' Provident Fund साधारण लोगों के लिए बना है और अगर एक आदमी इसमें 103करोड़ रुपए जमा करता है और उसको tax-free ब्याज incentive के तौर पर मिलता है ,तो क्या यह उचित था ?मैं निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बिल में यह प्रावधान किया है कि अब कोई व्यक्ति एक साल में अधिकतम ढाई लाख तक ही जमा कर पाएगा और आज मैंने अखबार में पढ़ा कि इन्होंने इसको बढ़ा कर पाँच लाख रुपए तक निर्धारित किया है। यह जो लिमिट लगाई गई है ,चाहे वह ढाई लाख रुपए की हो या पाँच लाख रुपए की हो , इसमें बड़े लोग कितने थे ?EPF के अंदर कुल मिला कर contributors की संख्या चार करोड़, पचास लाख की है। Out of 4.5 crore contributors, only 1.23 lakh were total subscribers contributing more than Rs.2.5 lakh. महोदय ,अगर हम उनको tax का incentive दे रहे हैं , assured interest दे रहे हैं ,तो क्या यह EPF एक करोड़ ,दो करोड़ ,दस करोड़ रुपए जमा करने वालों के लिए है ?इसलिए मैं निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने EPF की capping करने का काम किया है।

महोदय ,उसी प्रकार से tax audit का मामला है। जिनका टोटल टर्नओवर एक करोड़ रुपए से ज्यादा था ,उनको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता था ,अन्य को tax audit से exemption

था। इस राशि को बढ़ा कर पाँच करोड़ रुपए किया गया ,अब और बढ़ा कर दस करोड़ रुपए किया जा रहा है। यह सुविधा उन्हें मिलेगी ,जो अपने total receipt and total expenditure का 95 प्रतिशत भुगतान online करेंगे और जिनका turnover 10 करोड़ से कम होगा उनको tax audit से exempt किया जा रहा है।

महोदय ,जीएसटी में जो संशोधन किया गया है ,मैं उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि prior to GST, there were only 65 lakh registered dealers in VAT, Central Excise and Service Tax. But, after the implementation of the GST, the number is 1.30 crore ,यानी 65लाख नए लोगों ने जीएसटी में अपना निबंधन कराया है। मैं सदन को यह भी बताना चाहूँगा कि जब 16-2015में 13टैक्सेज़ को subsume करके जीएसटी लागू किया गया ,तब राज्यों का ग्रोथ रेट क्या था ?उस समय राज्यों का ग्रोथ रेट सिर्फ सात से आठ परसेंट था और आज ग्रोथ रेट कितना है ?जीएसटी आने के बाद वर्ष 20-2019में राज्यों को 12परसेंट ग्रोथ रेट प्राप्त हुआ है। आज जीएसटी का कितना बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है ?आज किसी बॉर्डर पर चेकपोस्ट नहीं है ,सारे चेकपोस्ट्स खत्म कर दिए गए। ट्रेड की जो logistic cost है ,वह 25परसेंट कम हो गयी, Time saving हुई है -गाड़ियों की आवाजाही में 40 परसेंट समय की बचत हुई है।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर**) *पीठासीन हुए*]

महोदय ,जब जीएसटी लागू हुआ ,तब कुछ लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया और एक उदाहरण कनाडा का दिया गया। कनाडा में 1992में जीएसटी लागू किया गया और एक साल बाद जब चुनाव हुआ ,तब वहाँ के मुख्य विपक्षी दल ने जीएसटी का विरोध किया और सत्ताधारी दल चुनाव हार गया।

और कहा जाने लगा कि नरेन्द्र मोदी जी ने जीएसटी लागू किया है, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, जीएसटी लागू करने के बाद नरेन्द्र मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से लौटकर आई और जिस सूरत के अंदर जीएसटी का भारी विरोध हो रहा था, वहाँ काँग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। महोदय, आज दुनिया के 160 देशों में जीएसटी लागू है और अब next phase of reforms में जाने की आवश्यकता है। 15th Finance Commission ने यह सुझाव दिया है कि थ्री-रेट स्ट्रक्चर होना चाहिए, 12 परसेंट और 18 परसेंट के टैक्स स्लैब को merge करके 15 परसेंट का एक नया टैक्स स्लैब बनाए जाने की आवश्यकता है। महोदय, जीएसटी में भी कई तरह के सुधार जा रहे हैं। मैं संक्षेप में उनका ज़िक्र करूँगा। पहला, Interest will be limited only to the cash component of the tax. जो लोग जीएसटी को जानते हैं, उन्हें पता है कि जब कोई अपने कर का भुगतान करता है, it includes input tax credit as well as cash tax also. जो late payment करने वाले लोग थे, उन्हें दोनों पर penalty interest का भुगतान करना पड़ रहा था, लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। वर्ष 2017 से जो भी टैक्स की liability है, उस पर जो cash component है, उन्हें केवल उसी पर कर का भुगतान करना पड़ेगा। इसी प्रकार, जीएसटी में जिनका टर्नओवर दो करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने का प्रावधान था। उन्हें वह ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने से मुक्त कर दिया

गया है। साथ ही साथ, reconciliation statement, जिसे दाखिल करना होता था, उसे भी एनुअल रिटर्न में merge कर दिया गया। महोदय, एक आकलन के अनुसार, टैक्सपेयर्स को Charted Accountants से ऑडिट में हर साल लगभग 4 हज़ार करोड़ वहन करने पड़ते थे, लेकिन अब उन्हें टैक्स ऑडिट से मुक्त कर दिया गया है। इसके द्वारा उन्हें एक बहुत बड़ी राहत प्राप्त होगी।

महोदय, मैं पेट्रोल-डीज़ल के बारे में एक ही बात कहना चाहता हूँ। पेट्रोज-डीज़ल की बात बार-बार होती है और कह दिया जाता है कि टैक्स सरकार की pocket में चला गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार की pocket कोई अलग pocket है? आज excise duty और अन्य taxes से जो पैसा आता है, वह सरकार के खजाने में ही जाता है। आज घर-घर बिजली पहुंची है, घर-घर शौचालय बना है, हर घर नल-जल दिया जाना है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? हम डीज़ल और पेट्रोल से होने वाली आमदनी को देश के विकास के कामों में खर्च कर रहे हैं, तो उसे भी चुनौती दी जा रही है। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि अगर पेट्रोल या डीज़ल की कीमत सौ रुपए है, तो उसमें 60 रुपए टैक्स के रूप में लगते हैं और यह 60 रुपये केवल केंद्र को ही नहीं मिलते हैं, इसमें से 35 रुपये केंद्र को और 25 रुपये स्टेट को मिलते हैं और जो केंद्र के 35 रुपये हैं, उसमें से भी 42 परसेंट पैसा राज्यों को प्राप्त होता है।

महोदय, बार-बार एक बात कही जाती है कि पेट्रोल-डीज़ल को जीएसटी में डाल दिया जाए। चूँकि मैं जीएसटी से लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ, मैं सदन से यह जानना चाहूँगा कि अगर पेट्रोल-डीज़ल को जीएसटी में डाल दिया गया, तो राज्यों को जो दो लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा, उसकी भरपाई कहाँ से होगी? पेट्रोल और डीज़ल का 60 परसेंट रेवेन्यू -- प्रतिवर्ष लगभग पाँच लाख करोड़ रुपया स्टेट और सेंटर को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेवेन्यू से प्राप्त होता है। अगर उसे जीएसटी में डाल दिया गया, तो जीएसटी का तो highest slab 28 परसेंट है और अभी 60 परसेंट टैक्स दिया जा रहा है, तो जो दो-ढाई लाख करोड़ का नुकसान होगा, उसकी भरपाई कहाँ से होगी?

महोदय, 28 परसेंट टैक्स का मतलब है कि केंद्र-राज्य, दोनों को मिलाकर केवल 14 रुपये टैक्स के रूप में प्राप्त होंगे। The States will gain only Rs. 14 as GST if petroleum products are put in the GST regime. आज जहाँ उन्हें 60 रुपये मिल रहे हैं, वहाँ कल उन्हें 12-14 रुपये मिलेंगे, तो 48 रुपए का जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई कहाँ से होगी? मैं सदन के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले आठ-दस वर्षों तक पेट्रोल और डीज़ल को जीएसटी में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि चाहे काँग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कोई भी राज्य दो लाख करोड़ से ज्यादा के नुकसान के लिए तैयार नहीं होगा। महोदय, आगे आने वाले दिनों में भी यह जीएसटी में शामिल नहीं हो सकेगा। महोदय, जब जीएसटी की बात आती है, तब हमारे विपक्ष में बैठे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। किसी ने कह दिया कि यह 'गब्बर सिंह टैक्स' है। अगर हिम्मत है, तो -- जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों के लोग आते हैं, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, आज तक किसी मुख्य मंत्री या वित्त मंत्री ने जीएसटी के स्ट्रक्चर का विरोध नहीं किया। आप प्रोसीडिंग्स निकालकर देख लीजिए। बाहर बयान देना आसान है, लेकिन जीएसटी लागू करने के लिए नरेन्द्र मोदी जी जैसी हिम्मत चाहिए। अगर कोई दूसरा प्रधान मंत्री होता, तो वह इस देश में जीएसटी को लागू नहीं कर पाता।

महोदय, अरुण जेटली जी ने consensus पैदा किया। मैं निर्मला जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। I had attended more than one dozen meetings presided over by Nirmala Sitharamanji. The way she conducted the meetings, अरुण जेटली जी जिस तरह से मीटिंग्स को चलाते थे, उसी तरह से निर्मला जी ने consensus पैदा करके और राज्यों के साथ मिलकर इस देश में जीएसटी को चलाने का प्रयास किया है।

महोदय, यह जो कहा जाता है कि single GST का रेट होगा, तो आप ही बताइए कि क्या हवाई चप्पल का रेट वही होगा, जो पेट्रोल और डीज़ल का रेट होगा? क्या कपड़े का रेट वही होगा, जो गाड़ी का रेट होगा? लेकिन, मुझे पता नहीं, विपक्ष के लोग किस तरह से इस प्रकार की बात करते हैं कि it is an attack on poor. It is an attack on small and medium industries.

महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि केन्द्र सरकार Finance Bill के द्वारा जिस प्रकार के संशोधन लाई है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने pandemic के समय जिस तरह देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया है, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि अगले वित्तीय वर्ष के अंदर पूरी दुनिया में highest growth rate हिन्दुस्तान को प्राप्त होगा। अभी जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जितनी स्टडीज़ आ रही हैं, उनमें कहा जा रहा है कि India will have the highest growth rate in 2021-22.

महोदय, मैं फिर से एक बार निर्मला सीतारमण जी और आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिन्द, जय भारत।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : धन्यवाद, सुशील कुमार मोदी जी। अब, मिसेज़ दोला सेन, आप बंगाली में बोलेंगी।

MS. DOLA SEN (West Bengal): Sorry, Vice-Chairman, Sir. Incidentally, I am Ms. Dola Sen.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Yes; Ms. Dola Sen. ...*(Interruptions)*...

MS. DOLA SEN: What to do? They repeatedly call me 'Mrs. Dola Sen.'

Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Finance Bill, 2021. I take this opportunity to speak in Bengali, my mother-tongue, as permitted by the hon. Chair.

* "Firstly, I want to say that the way the Central Government, through this Finance Bill, is continuously reducing the budget allocation in different sectors related to public interest like education, health, 100 days' job and so on, the economic situation of the country will worsen gradually. The poor will become poorer. The

* English translation of the original speech delivered in Bengali.

economic condition will touch the lowest point. Unemployment will increase. I am happy to say that in a small State like West Bengal, the rate of unemployment is 17.41% whereas the national average of unemployment is 23.48%. The situation will be worse. The rate of unemployment has never been in such a bad condition in the last 45 years since Independence. Since 2014, the Modi Government has been continuously depriving the States on the fiscal front. Compared to federalism with the States, Modi Government feels happier and more comfortable to continue fiscal federalism with its corporate friends. Why am I telling so?

Modi Government has failed to keep its promises and announcements in the matter of GST. They are now denying giving 70% in the matter of taxation power as per Central assurance. What was told by the able Finance Minister of BJP in 2017? Let me quote, Sir: "When you are in a federal structure, the Centre should set an example and lead from the front in that system." It is shameful and unfortunate that the Centre does not have the money to repay GST dues to the States. Centre is asking the States to borrow for GST payment. Lajja, Lajja.

The Centre's GST collection from West Bengal increased from Rs. 12000 Crore in 2017-18 to more than double at Rs. 28000 Crore in 2019-20. Despite that, the tax devolution to the State has decreased from Rs. 49000 Crore in 2017-18 to Rs. 48000 Crore in 2019-20. This was the picture well before Covid pandemic set in. As a result, the States are being deprived of tax collection.

Who is reaping the benefit vis-à-vis the expenditure incurred by the poor people? While the price of oil is declining all over the world, in our country the revenue on oil has been raised by 32%. It is a matter of shame. In 2020, the excise duty on petrol per litre has increased by Rs.13 and on diesel by Rs.16 per litre. This is happening when in the international market the price of oil has recorded the lowest in the last two decades.

So, the obvious question arises, where is the money going? There is a price escalation every day. Centre is not paying the dues to the State. They have not paid the dues for the migrant labourers, aid for Coronavirus or Rs. 1.02 lakh Crore aid for the Amphan cyclone disaster.

I want to highlight some of the deprivations faced by Bengal. Rs.32,310 Crore is pending towards Amphan cyclone under SDRF. The financial loss incurred was to the tune of Rs.1.02 lakh Crores; Centre has given just Rs. 3700 Crores.

As per the estimates in November 2020 related to the sponsored schemes of the Centre, the State has pending dues of more than Rs. 33,000 Crore. They have not even paid for mid-day meal scheme for the children. The Centre has not paid for the

SC/ST children's education. But they have the money to spend thousand crore rupees, with due respect Sir, for the foreign trips undertaken by Modiji. Lajja, Lajja.

Let me give some account of the deprivation faced by Bengal. It is an account of Rs.1.87 lakh Crores – the allocation is as follows: Amphan cyclone, more than Rs.1.10 crores; Sarva Shiksha Abhiyan Rs.14520 crore; Samagra Shiksha Mission Rs.970 crore; Mid-day meal Rs.233 crore; Swachh Bharat Mission Rs.275 crore; MGNREGA, which is mean for jobs for poor people, Rs.631 crore; Amrut Rs.254 crore; Exchange of Enclaves Rs.188 crore; BRGF Rs.2330 crore; Performance Grant Rs.1017 crore; Basic Grant Rs.438 crore; Drainage and Flood management Rs.1238 crore; Irrigation and Waterways Rs.382 crore; Funds for Bulbul cyclone damage Rs.6334 crore; Health and Family Welfare Rs.358 crore; Rashtriya Krishi Vikas Yojana Rs.405 core; Centrally Sponsored schemes Rs.3942 crore; Less devolution in 2019-20 Rs.11000 crore; GST Compensation (upto October 2020) Rs.8894 crore; SDRF dues for Amphan Super Cyclone (Estimated damage Rs.1.02 lakh crore) and given Rs.32310 crore.

Let me tell about the deprivation faced by Bengal in terms of Railways. No allocation was made in the budget of 2021 for the 12 rail factories initiated by Ms. Mamata Banerjee. The expansion of railway line from Tarakeshwar to the birthplace of Mother Sarada Devi, Jairambati, has not been fulfilled. The assurance was not honoured and a small sum of Rs.1000 only has been allocated. What was the need for this allocation? It was best left out without any allocation. BJP understands elections only. East-West Metro Corridor that goes under the river Ganges - the dream project of Mamatadi while she was the Railway Minister - has been allocated Rs.850 Crore in 2019-20 and Rs.750 Crore in 2021-21.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : दोला जी, अभी आपकी पार्टी के दो स्पीकर्स और हैं, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

सुश्री दोला सेन : सर, हमारे पास कुल 26 मिनट का समय है, हमारे तीन स्पीकर्स हैं। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी, हम आपस में adjust कर लेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : ठीक है।

सुश्री दोला सेन : सर, ठीक है, हम adjust कर लेंगे।

* "This project has been delayed too and they are allocating something more only in the election year. Lilua Railway workshop, Kanchrapara Railway workshop, and Chittaranjan Locomotive Workshop – all are being handed over to private parties. The ancillary units of Railways like Burn Standard, Braithwaite, Jessop's and Dunlop are being closed.

The BJP government is planning to sell 46 nationalised companies, national companies, PSU/PE in the garb of disinvestment/privatization/ corporatization/FDI etc. for the price of lakhs of crore rupees. To sum it up, it can be said that the companies like Rail to BHEL, SAIL to BSNL, and other national companies have been put for sale. It is like selling all that had been our own, and that belonged to our nation. It is tantamount to selling the country.

It is not just about selling, the Centre is treating the corpus fund of EPF and ESI worth Rs. 1 lakh thousand crore as its own property. I am a member of EPF and ESI at national level and so I know about it. They are investing the money into share market and also incurring losses. On the other hand, the owners of these sick organizations, those who happen to be their friends, have fled away without repaying the dues."

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर) : दोला सेन जी, आप समाप्त कीजिए। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, अब आप समाप्त करिए। ...(**व्यवधान**)...

MS. DOLA SEN: * "As a result, we cannot pay the labourers their money from PF, ESI Trust."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): The next speaker is Dr. Amar Patnaik.

MS. DOLA SEN: * "This money actually belongs to the labourers."

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): आपके दो स्पीकर्स हैं और आपकी पार्टी का समय 19 मिनट है।

MS. DOLA SEN: * "Corpus fund is being utilized for spending. I condemn this." Thank you, Sir.

* English translation of the original speech delivered in Bengali.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, the economy was facing a huge crisis the world over and in the country. Hence, we have to evaluate the Finance Bill and, as I also said during the discussion on the Budget, against the backdrop of the fact that economy had taken a hit all over. Against that background, the Finance Minister and the Government were saddled with a situation where there were reports of a huge number of people in India probably falling back below the poverty line due to the crisis. Therefore, raising resources through two methods, the direct taxes and indirect taxes, had huge limitations. Against such limitations, the effort made by the Government and the hon. Finance Minister is, I think, praiseworthy.

Sir, I would like to say that it is out of these taxes collected, directly or indirectly, that a portion goes to the States as shareable and divisible taxes. So, I think, the goal of the Finance Bill should be to increase this pool. The way to increase this pool is not to chip away at it by various means. One of those means is increasing cess and surcharges. If you increase the cess and surcharges, which are indivisible, it eats away at this shareable and divisible pool. If you have funds which are created out of the taxes that have been collected for devolution purposes, then again it eats away at the bulk of the shareable and divisible taxes. Now, in such a situation, in the true spirit of cooperative federalism, it is actually necessary that this shareable and divisible pool is increased. But what has happened -- Cess and surcharges, which were Rs. 0.23 trillion in 2009-10, have increased to Rs. 2.32 trillion, ten times, in 2019-20, an increase of 11.1 per cent, and increased to 15.6 per cent in 2020-21. In 2021-22, the cess and surcharge on 17 commodities will be roughly around Rs. 0.70 trillion. Hence the total cess and surcharges are pegged at more than three trillion rupees. This is equivalent to 45 per cent of the aggregate shared taxes. Therefore, after readjustment of cess and non-shareable excise, the divisible pool has been effectively reduced to 30 per cent. The 41 per cent recommended by the 15th Finance Commission is, therefore, a delusion. I will give the figures. The Centre has pegged tax revenue at Rs. 22.17 lakh crore in the Budget. Against that, the share of the States has been pegged at Rs.6.65 lakh crore, which is just 29 per cent. If you look at the latest data, the total devolution to the States, as a percentage of Gross Tax Revenue, has declined from 32.36 per cent in 2020-21 Budget Estimates to 30.02 per cent in 2021-22. If you look at our State, Odisha, which I have to refer to, I state these figures; the devolution to Odisha has gone down from 1.50 per cent of the Gross Tax Revenue in 2020-21 to 1.36 per cent of the Gross Tax Revenue in 2021-22. So, there is a centralisation of revenue. This is one particular aspect which militates against actual or true meaning of cooperative federalism. The State is losing to the tune of Rs. 4,673 crores every year due to the impact of the Fifteenth Finance

Commission. A mention was made that the Agriculture Fund, which has been created, would be given to the APMCs and would be spent there. But the point is: Would that be given without any conditionalities? Most of the leeway that is being given to the States is coming with conditionalities. Several of those conditionalities would probably not be one-size-fit-all kind of conditionalities which should actually be left to the State Governments to decide. For example, you can take it in case of renewable obligations; you can take it in terms of raising resources for power sector reforms. In any case, there are always conditionalities. So, the States have lost the leeway to actually generate resources.

Now, I come to the point related to the direct taxes. The most important thing in the direct taxes would be to increase the tax base. Now, what has been done to increase the tax base? In our country, out of 130 crores of Indians, only 1.5 crores pay income tax. Those who pay tax have to earn a threshold amount of Rs.5 lakhs in order to take the standard deduction. The problem is that India's per capita income is around Rs.1.4 lakhs. To put this in perspective, an average American pays 22 per cent income tax; an average Chinese pays 10 per cent; an average Mexican pays 15 per cent and an average German pays 14 per cent. Most nations in the world have an income tax threshold that is lower than their per capita income. India is a complete outlier. Therefore, there is a structural problem here. Unfortunately, I think this particular aspect has to be addressed, and unless this is addressed, our kitty of the direct taxes will not improve substantially even in the years to come.

I then come to some specific points relating to direct taxes which have been mentioned in the Finance Bill. One is, Equalisation Levy. It is a good move. But, I think, it requires clarification whether financial services transactions, business to business transactions, non-profit businesses such as education, healthcare, etc., and inter-company transactions fall within the scope of this Equalisation Levy. Another is depreciation on goodwill. This was a settled issue by the hon. Supreme Court in the case of CIT Vs. Smifs Securities Ltd. But this has been unsettled now by this Finance Bill by having this amendment in which it effectively overrules a tax pay-off friendly ruling of the Supreme Court. Similarly, in case of the much talked about restriction relaxation for senior citizens, if you read the fine lines, the procedural flaw in this change is that the interest income must be from the same pension paying bank only and the pension paying bank must be notified by the Government, and for claiming refund, if any, the return has to be filed. This actually brings in the rigour back to the senior citizen. This needs to be withdrawn.

There is the question relating to faceless assessments. It is really a welcome development. The faceless e-assessment, at various stages, is, probably, unique in

the world and this is to be commended. But the point is that in tax administration, we have to see the cost of administering a tax. On the face of it, prima facie, it would appear that because of introduction of faceless transactions, the cost of administration or cost of collection of tax would have gone down. I would like to know whether any such assessment has been made as regards the cost of collection, the manpower savings and the decrease in time that has taken place. Now, the point here is that we have got data from CBDT which says that whatever cases were referred to them in this faceless transaction method, only 20 per cent have been settled till now. So, I do not really know whether this is giving the kind of dividends that it was supposed to give. *(Time bell rings).* Sir, we will take care of time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Okay.

DR. AMAR PATNAIK: The hon. Finance Minister in the Finance Bill has talked about data analytics, but the point is that data analytics would have value only if you have a large pool of data. We know for certain that huge amount of data with the State Governments is not being used by the Centralised agencies for analytics purpose or for collection of tax. All these have meaning in the context of the fact that our tax base is very less and, therefore, we have to increase efficiency in tax administration.

Regarding the inter-agency co-ordination for enforcement of taxes, I think, that requires a relook because even though the data between various agencies has improved, as I gave the example, the data between the Centre and the States enforcement agencies is not being used.

Another canon of tax regime, or, canon of taxation, is stability. I do not really understand as to why the hon. Finance Minister missed this opportunity to completely migrate to the new regime of an exemption-free system that she had devised in the last Budget. I think this was an opportune moment to fix it at that particular structure and follow through, so that there would have been stability in the direct tax system.

We talked about the EPF. Regarding GPF, I am also not very clear whether the General Provident Fund, to which the Government servants contribute to, would be brought under this regime of a cap beyond which they will be taxed.

The textile sector requires a different kind of treatment. It employs the second largest number of people in the country. Unfortunately, despite the input assistance that is being given to them, there is no tax concession on their products which are to be sold outside. It has to be thought of as a part of the creative economy of the country and ready for export basket and, therefore, concessions have to be extended. I think, the hon. Finance Minister would consider that. (*Time bell rings.*)

Regarding the climate change products and the SHG products, the self-help groups, in our country, have really taken off, particularly in our State under the leadership of hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik. Keeping in view the kind of products that they produce at a micro level, they need to be treated separately, as far as taxation is concerned.

Now, I come to the indirect taxes. The *Kar Vivad Scheme*, which was talked about and has been very successful in the direct tax regime could actually be extended to the indirect tax regime which is an opportunity which the hon. Finance Minister would kindly consider. (*Time bell rings.*) Sir, we will take care; don't worry.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): It is okay, लेकिन अभी आपकी पार्टी के एक स्पीकर और हैं।

DR. AMAR PATNAIK: There is another aspect relating to 'backstop facility' that the hon. Finance Minister has introduced. It is a brilliant kind of effort to shore up the corporate bond regime.

But, unfortunately, the guidelines have not come out. It is not yet clear whether the moral hazard issue which is probably involved in this kind of situation would be taken care of or not. On arbitration rulings, I think, as a country, we have to take a decision as to what our stand would be. In 2015, in 2017 and in the recent amendments, we are actually nowhere as far as stability is concerned, and, that is the cause of concern for any Foreign Direct Investment. We have to have a view in this particular regard.

As far as disinvestment is concerned, the risk is huge. The risk is from the second wave of Covid-19. The private investment also may have been crowded out due to the huge borrowings on the Government side and by the State Governments, and, therefore, this is the risk, which the hon. Finance Minister has to take into account.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): डा. अमर पटनायक जी, आपकी पार्टी के लिए 19 minutes का टाइम है और आपने 14 minutes consume कर लिए हैं।

डा. अमर पटनायक: जी, ठीक है। Sir, on the issue of indirect taxes, there is one more point, which I would like to mention. It is relating to replacing AAR with BAR. The Authority for Advance Rulings consisting of three Members with its Chairman being a retired Judge of the Supreme Court/High Court is being replaced by the Board of Advance Rulings consisting of two Members, not below the rank of Chief

Commissioner. However, it is unclear how the BAR would qualify as a Tribunal carrying out judicial proceedings in the absence of appointment of Judicial Members.

Lastly, I would like to say that the Finance Bill, while considering several aspects, had to also look at the equity issue. I have talked about the equity issue at length at various places, both inside the House as well as outside in the print and electronic media. I was wondering if a tax could have actually been imposed on the very rich in the form of a Covid tax which could actually have contributed to the shareable divisible pool of the entire country and that could actually have been shared with the States.

Lastly, several things which are happening relating to Wholesale Price Index and the Consumer Price Index need to be fixed too. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Thank you. Now, Shri T.K.S. Elangovan. You have 15 minutes.

SHRI T.K.S. ELANGOVAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I do not know what to speak on the Budget because since 2014, there has been a consistent claim by the Government that this country is going to witness better times next year. Now, this year, because of Covid, we may have faced many problems like unemployment, etc. Sir, this country is affected by three diseases. The Covid disease came from outside India but the other two diseases were created by us only. One is the demonetization and the other is the GST. Sir, effective or good governance can be done only by division of work. Taxes are collected by the State Governments. The State Government can fix the taxes according to the area and according to the products. Now, taxation has become the Central subject and it has gone to the Centre. This is one disease. Secondly, demonetization is a disease where there is no Covaxin or Covishield as yet and, therefore, it will continue to affect the country.

Sir, as per simple logic, whenever the input cost comes down, the product cost will also go down. That is the general rule in any industry. Now, the input cost of crude has come down but the product cost is going up. That is the situation of economy in India and that is why we are suffering.

Sir, as discussed earlier and as I mentioned earlier during the Budget discussion, 70 per cent of the Indian population consists of daily wagers. 70 per cent have been left without wages for the past one-and-a-half years, and for another six or seven months, they are going to be without jobs. What has this Budget done or what is this Finance Bill going to do for them? Unemployment has not started with Covid. In fact, it started with demonetisation. Since 2014, unemployment has started

increasing. NSSO has said this. The Government has not considered the statements of its own organisation, like NSSO. Domestic consumption has come down. Increase in unemployment and decrease in consumption will fail other industries. Other industries cannot survive when people cannot buy anything. So, what is the use of pumping funds into the MSMEs and other major industries when people cannot buy anything? That is what is happening. Since 2014, the Government has been presenting beautifully-decorated Budgets. It is very interesting to see the Budgets with colourful paper, nylon ribbon and other things. But when we open it, there is nothing. I think our hon. Finance Minister can understand a proverb in Tamil. Which means, * "Beautiful hairdressing with flowers in it, but when we open it, we find insects in it."

This is the eighth Budget and the same story continues. It has not done any good to the people. It has not created faith in the minds of the common man. He still feels that this Government is not for him. That is the way this Budget is also there.

Sir, the SARFAESI Act has to be revisited by this Government. I am against the SARFAESI Act. This has eliminated the human element in it. I have seen in Chennai, in two industrial estates, there was inundation due to flood. Almost all small-scale industries were closed down. For more than three-four months, they could not reopen the industry, and they could not pay back the loans because there was no production. Earlier, the bank managers used to go to the industry, find out the problem, talk with them, sit with them and even help them with a little more finance to set right things and start production. But here, under the SARFAESI Act, if money is not returned within 91 days, it becomes a bad debt, a non performing asset.

So, that kills the industry. It has to be re-visited. Otherwise, you cannot make any industry survive. Because of Government's policies, many industries have closed down. I have seen this. When there was change in policy, most of the SSI units were closed down. Because of natural calamities, most of the small industries could not function. What does the bank do? Earlier the bank managers used to go directly to the industry and ensure that somehow these industries again start production. When I start a small-scale industry, it is my bread and butter. I will not allow it to die. Otherwise, I will die. So, that is the situation. Whatever amount is pumped into these industries, whatever amount is spent to help these industries, it will not do good unless the SARFAESI Act is revisited and certain provisions are amended.

* English translation of the original speech delivered in Tamil.

Further, our founder leader usually says that his economic policies are to tap the rich and pat the poor. This Government is tapping the poor and patting the rich. That affects the whole country. I had said that 70 per cent of the daily wagers were not supported by this Budget. Every time we see the figure of two crore or three crore of unemployment or loss of jobs. Who supported those people? Have the Budgets presented since 2014 supported these people? No. The Government should see who needs support.

The Government should find out who needs support. But this Government does not care about general welfare. In a thickly populated country like ours, the Government should concentrate on the poor. Only then can our economy survive. It is not the U.S.A. It is India. You cannot compare them. My colleague was talking about per capita income of Rs.1.47 lakh. What is the percentage of people who live Below the Poverty Line? What is the percentage of people who are earning Rs. 5,000-6,000? Income of some 10-15 people is calculated to say that the per capita income is Rs.1.47 lakh. That is quite funny. That is not the way to do it. The ten per cent people are continuously getting richer with the support of the Government. But the rest of the people are not supported by the Government. We feel that the Government does some good to us. When COVID started, the Government announced a fund called 'PM CARES Fund'. When it was asked as to what this Fund is going to do, they said, 'We need not reply.' If you go to Tamil Nadu and ask the people about it, they will say that it was started as 'PM CARES Fund', but today it is 'PM doesn't care fund'. That is the result of that. What did the Government do? Nothing. Every State is suffering for want of revenue. We could not plan our progress. We could not plan our expenditure in infrastructure. They shut off the Planning Commission. NITI Aayog's only advice is to sell all the PSUs. This Government has once again failed in managing the PSUs. It is the Government's failure or incapacity that it is not able to manage the PSUs. PSUs have been supporting us. They are the backbone of the economy of this country. Now they are all being closed. I have to repeat whatever I had spoken about the Budget of 2016-17. The same thing is happening. The Budget is beautiful. Its presentation is beautiful. But the result is zero. With these words, Sir, I conclude. Thank you.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, at the outset, I would like to express my highest regard for hon. Finance Minister. I have great respect for her. However, I will have to express the concerns over the Budget. I could find only one positive aspect in the Budget. The Finance Minister has increased the limit on PF contributions, from Rs. 2.5 lakh to Rs. 5 lakh, which will have tax-exempt interest

income. There are about 6 crore PF depositors and 99 per cent of them are covered. We applaud hon. Finance Minister for that.

The Finance Minister has put it very intelligently. The senior citizens, who are over 75 years, who have income only from pension and interest, are exempted. From what? From filing income tax returns. Not from income tax. You have reduced only the compliance burden, not the tax burden. I request your good self to kindly reconsider it and exempt the senior citizens from income tax.

Sir, the Finance Bill proposes to make the Income Tax Appellate Tribunal faceless, virtual. Okay. All the hearings, if necessary, will be virtual and only documents can be presented and evidence could be submitted and thereafter the cases would be decided. But I would like to bring this to the hon. Finance Minister's notice. Personal hearing is the basic stepping stone in the process of delivering well-reasoned and judicious ruling.

Sir, this is not at all advisable. The Supreme Court, in the case of Eswara Iyer *versus* Registrar, emphasized the importance of oral hearing. Written submissions could be made; it is an option that has been given. An advocate can either give written representation or could give an oral hearing. It observed the principle of *audi alteram partem*, which means hearing the other side. We need to hear the other side before we decide the matter. That is the basic value of the judicial system and is deeply embedded in our constitutional order. I request you to kindly reconsider this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Vijayasaiji, please address the Chair.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Yes, Sir. Public sector disinvestment is made easier. Finance Minister Madam has made it very easy.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Vijayasaiji, you can address her through the Chair.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, I can always refer to Madam. You can't prevent me from addressing Madam. Of course, I am addressing you only.

Section 2 sub-section (19AA) of the Income Tax Act has been suitably amended to facilitate disinvestment of public sector companies. In fact, I expected the Finance Minister Madam to harden her stance in so far as disinvestment is concerned but it is very much disappointing. Now, the reconstruction or splitting up of PSUs into separate companies will be deemed to be a merger. Then, Section 72A

has been amended to facilitate further in the case of carry forward of accumulated depreciation and also accumulated losses only to facilitate disinvestment. Sir, the first casualties will be Shipping Corporation of India and Bharat Earth Movers Limited. They will be the first two casualties of this amendment to the Income Tax Act. I request the hon. Minister to reconsider this.

Sir, going by publicly available information -- it is available on the websites also -- 31 public sector enterprises have so far got approval of the Union Cabinet for privatization. Many notable names feature in this list. I would like to highlight a few, namely, BPCL, Air India, Shipping Corporation of India, Container Corporation of India, IDBI Bank, BEML, Pawan Hans, Neelachal Ispat Limited, etc. Of course, you are aware about Vizag Steel Plant. They are all expected to go under the hammer in 2021-22. Sir, it is very, very unfortunate that the Government has taken a decision to disinvest such very good PSUs. In fact, that cannot be the source of generating revenue. You can always seek alternative mechanism to generate revenues and not disinvest PSUs. In fact, for 40 days, Vizag Steel Plant employees have been agitating and the Government is just not bothered about them. Vizag Steel Plant is a steel plant which was realized after sacrificing 32 lives and the steel plant was making profit from 2002 to 2015. It is only after 2015 that it has started incurring losses for two reasons. One is that it has gone for expansion and huge debt has been borrowed. Debt is borrowed at the rate of 14 per cent interest. If debt is converted into equity and if the Central Government is generous, it can happen and it can be converted from loss-making to profit-making. Second reason is non-allocation of captive iron ore mines. It is in the hands of Ministry of Mines, Government of India. It is in Madam's hands. Madam can always allocate captive mines and also convert debt into equity. Then, this company can convert from loss-making to profit-making. There is absolutely no necessity whatsoever to private the Vizag Steel Plant. Further, two years' moratorium on interest burden can be considered in the interest of the company. Therefore, our slogan is that it is the pride of Andhra Pradesh. It is the sentiment of the people of Andhra Pradesh. Which means, *"Visakha Steel is pride of Andhra."

I request the Finance Minister Madam -- in fact, Madam is the daughter-in-law of Andhra Pradesh; Madam knows about the sentiments of the people of Andhra Pradesh -- to kindly reconsider privatization of Vizag Steel Plant.

Madam Finance Minister would be aware, -- in fact, Madam is aware as I have told she is daughter-in-law of Andhra Pradesh -- South Indian women, particularly,

* English translation of the original speech delivered in Telugu.

would not sell the gold. They would not sell the family gold. It is never in the case of women. In fact, Madam has decided to sell the gold of Andhra Pradesh, that is, a Navratna PSU, Visakhapatnam Steel Plant. It is very, very unfortunate. It is our sentiment. So, I request the hon. Madam to reconsider this.

The Central Government has the target of Rs. 1.5 lakh crore disinvestment next year. As I have pointed out, simply selling the PSUs is not the solution. These are the Public Sector Undertakings formed over years. In fact, when this Steel Plant was formed, myself and Madam were all studying in the colleges probably. It is the great effort of many people that has gone into the PSUs and because of that, we have inherited that. So, I urge upon the Government to look into alternative resources for revenue generation such as widening the tax base etc. and not the disinvestment of a Public Sector Undertaking.

The next issue, Sir, is about standard deduction. I request your good self to increase the standard deduction from Rs.50,000 to Rs.1 lakh. It will benefit many of the employees.

Sir, my next point is about interest rates on savings schemes. Sir, PPF rate was cut from 7.9 per cent to 7.1 per cent. Senior Citizens Savings Scheme rate was cut from 8.6 per cent to 7.4 per cent. National Savings Certificate also saw a big cut from 7.9 per cent to 6.8 per cent. Sukanya Samriddhi Account Scheme rate was cut from 8.4 per cent to 7.6 per cent. Interest rate on Kisan Vikas Patra was lowered to 6.9 per cent which extended maturity period by 11 months, that is, to 124 months. These savings schemes are the social objectives. They are meant to create a sense of safety and security for the families. I, therefore, request the hon. Finance Minister to increase the rates and thereby save the families living below the poverty line and the middle class and not the rich and pro rich.

Madam Finance Minister, there is a very important issue; you were not present in the House and I wanted to bring it to your notice, and now I have got an opportunity. Yesterday, you have given the reply to the Finance Bill in Lok Sabha and said that GST Council is responsible for GST and not the Finance Minister. Tirumala Tirupati Devasthanam is in Andhra Pradesh. In fact, I have pointed out, BJP claims to be the torchbearer of Hindus and Hindu temples. I expect this favour from hon. Finance Minister. Regarding Tirumala Tirupati Devasthanam, during the pre-GST regime, there was absolutely no GST. Now, after GST regime is introduced, Tirumala Tirupati Devasthanam is paying about Rs.120 crore GST and it can claim back only Rs.9 crores and, ultimately, the net amount being paid is Rs.111 crores. It is charging GST even from the pilgrims who are staying in the cottages. It is not a hotel business. These are all pilgrim services, services to the God. Yesterday, Sir, our floor leader

from YSR Congress Party in Lok Sabha, also raised this issue of GST with hon. Finance Minister. The reply of the Finance Minister was that the Finance Minister of AP is also a member of GST Council. I would like to bring it to the notice of the Finance Minister Madam that in GST Council, the Central Government is holding one-third votes. All 28 States put together have only two-third votes. Eventually, it is the Central Government which is deciding. Most of the States today are being ruled by BJP and not other parties. And the YSR Congress Party cannot do anything with single vote.

Therefore, I request your good self to kindly consider and grant appropriate relief for Tirumala Tirupati Devasthanam. In fact, Madam Finance Minister is well aware of the coins and foreign currency that is lying and she is addressing that issue.

Sir, the last point is about the share of Andhra Pradesh. Sir, I have another three minutes to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): No; only one minute.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Pardon, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): One minute.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, you have given me fifteen minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): No; you have already consumed fourteen minutes.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, the share of Andhra Pradesh in taxes devolved by the Centre is falling. In the 14th Finance Commission, the share of Andhra Pradesh was 4.3, in the 15th Finance Commission, it was 4.11 and 15th Finance Commission (2021-26), it is 4.04. The reason that has been given is the share of States in Central taxes remains the same as in the last year, that is, 41 per cent. Sir, it is absolutely correct, whereas, the share of Andhra Pradesh is continuously declining. ...*(Time bell rings)*...

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, two more minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): One minute.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Population was given the second highest weightage, 15 per cent, in the devolution of funds and, therefore, punishing the South Indian States which are controlling the population. In fact, it is the South Indian States which are controlling the population. Controlling the population, though not an offence, but you are punishing them by reducing the devolution of State's share, and 12.5 per cent weightage is given to demographic performance. I request the hon. Finance Minister, Madam, to re-consider the methodology of devolution of State share from the central pool of taxes. ...(*Time bell rings*)... Sir, now, this is very important.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please conclude.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: This is the reason why we have been asking for the Special Category Status and as enshrined in the AP Reorganization Act.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Thank you, Shri V. Vijayasai Reddy. Thank you.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, therefore, I request the Government of India to consider granting Special Category Status for the State of Andhra Pradesh so that justice can be done to the people of Andhra Pradesh. Thank you very much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Now, Prof. Ram Gopal Yadav.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, अभी इस विधेयक पर जब चर्चा शुरू हुई तो सत्तापक्ष की तरफ से..(**व्यवधान**)..

एक माननीय सदस्य: सर, आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है।

प्रो. राम गोपाल यादव: क्या बात है, हमारे समय में गड़बड़ी हो जाती है?

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): आपका माइक तो ऑन है।

प्रो. राम गोपाल यादव: माइक ऑन है, फिर आवाज क्यों नहीं आ रही है?

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): आवाज आ रही है।

प्रो. राम गोपाल यादव: यह प्रफुल्ल पटेल जी ..(**व्यवधान**)..

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र सिंह नागर): कुछ लोग अभी आए हैं, इसलिए आवाज नहीं आ रही है।

प्रो. राम गोपाल यादव: बिल पर चर्चा शुरू हुई, दीपेन्द्र जी ने चर्चा शुरू की, सत्ता पक्ष की तरफ से माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने अपनी बात रखी। मोदी जी बहुत अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं और काबिल भी हैं, इसमें दो राय नहीं हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट टैक्सेज़ को लेकर और अन्य विषयों पर कुछ बातें की हैं, मैं अपनी बात वहीं से प्रारम्भ करता हूं।

[**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वन्दना चव्हाण)** *पीठासीन हुईं*]

महोदया, जहां तक इनकम टैक्स का सवाल है, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि देश के जितने नौकरीपेशा लोग हैं, जब भी बजट आता है तो वे यह उम्मीद करते हैं कि इनकम टैक्स का जो स्लैब इन्होंने बना रखा है, आप उसमें राहत देंगे और उसमें और ज्यादा डिडक्शन की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि ये वे लोग हैं, जो अपना कुछ भी पैसा छिपा नहीं सकते - जो छिपा सकते हैं, उनके पास छिपाने के तरीके हैं, लेकिन जो छिपा नहीं सकते हैं, आप उन्हें तो राहत दीजिए। ये तो कुछ छिपा ही नहीं सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ लिखा-पढ़ी में है और सब कुछ income-tax return में है। अब तो छठे वित्त आयोग के बाद जो class IV का employee है, वह भी income-tax की सीमा में आ गया है।

महोदया, मोदी जी ने जो कहा - मोदी जी माने सुशील मोदी जी ...(**व्यवधान**)... मोदी जी ने जो कहा कि हिन्दुस्तान में income-tax के rates सबसे कम हैं, अमेरिका में यह आमदनी का 40 परसेंट है - वहाँ आमदनी कितनी है और हमारे यहाँ कितनी आमदनी है, यह भी तो देखना पड़ेगा। वहाँ तो 40 परसेंट इनकम टैक्स देने के बाद भी इतना बच जाता है कि आराम से लोग अपना काम कर सकते हैं, अपना खर्चा चला सकते हैं और उनके जो अन्य कार्य हैं, वे सब भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो अगर 40 परसेंट इनकम टैक्स कट जाये, तब जो बचेगा, उसमें तो आदमी अपना पेट नहीं भर सकता, इसलिए उससे compare मत कीजिए। आप सब जानते हैं कि अभी एक सप्ताह पहले ही American Congress ने, Senate ने प्रेज़िडेंट बाइडेन के 1.9 trillion dollar का जो stimulus pandemic के लिए दिया है, उसमें लोगों को कितना दिया है? अगर एक व्यक्ति की आमदनी सालाना 75,000 डॉलर है या 75,000 डॉलर से कम है, तो उसको प्रति माह 800 डॉलर मिलेंगे और अगर परिवार में दो लोग हैं, उनका भी 75,000 है, तब भी इतना और अगर उसे दो बच्चे हैं, तो उनको भी 800-800 डॉलर प्रति माह और मिलेंगे। क्या हम ऐसा कुछ दे सकते हैं? हमारे यहाँ भी यह pandemic है, हमारे यहाँ भी pandemic की वजह से हमारी economy पर बहुत adverse असर पड़ा है, लेकिन हमने क्या दिया? इस Finance Bill में, इसके ज़रिए हमने जो Consolidated Fund से पैसा निकाला - कल Appropriation Bill पास हुआ, अब उसके आधार पर आप जब इसको खर्च करने का तौर-तरीका बतायेंगी कि किस पर कितना खर्च कर रहे हैं, तो क्या इसमें कोई ऐसा provision है कि जो इससे दुखी हुए, जो उजड़ गये, जो बेरोज़गार हो गये, उनके लिए कुछ देने की व्यवस्था इसमें आप कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? मुझे तो लगता

नहीं कि कुछ कर रही हैं, जबकि करना चाहिए और नहीं कर रही हैं, तो महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीया वित्त मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि वे इस पर विचार करें।

महोदया, जब मैं आपका बजट भाषण सुन रहा था, तो उसमें हम लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई कि जो senior citizens हैं, 75 साल से ऊपर वालों को income-tax return नहीं भरना पड़ेगा। बाद में मुझे पता चला कि ये 75 साल वाले लोग तो वे हैं, जो सिर्फ नौकरी-पेशा हैं। तो इसमें क्या वे senior citizens नहीं हैं, जो 75 साल से ज्यादा की उम्र के हैं और किसी पान की दुकान पर बैठे दुकान चला रहे हैं या छोटी सी पंसारी की दुकान चला रहे हैं? इन सबको आप कुछ राहत देंगे या नहीं देंगे? गवर्नमेंट ने अपनी परिभाषा में उन्हें senior citizen माना या नौकरी से रिटायर होने वाले लोगों को ही माना और उनकी ही आमदनी को माना? पहले तो लगता था कि कुछ नहीं है, लेकिन उसमें यह rider लग गया कि इतनी आमदनी होगी, तब नहीं भरना पड़ेगा और इससे ज्यादा होगी तो फिर भरना ही पड़ेगा। अभी जो विजयसाई रेड्डी साहब कह रहे थे कि इसमें केवल income-tax return भरने में छूट दी है, income-tax में कोई छूट नहीं दी है, तो क्या राहत दे दी? Income-tax तो अब digitally भर जाता है, कौन सा उसे दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं! इन्कम टैक्स विभाग और उसके अधिकारियों का काम करने का जो तौर-तरीका है -- देखिए, लोग व्यापार करते हैं, लोग व्यापार जितना freely करेंगे, उनका व्यापार जितना बढ़ेगा, देश के राजस्व में उतना ही ज्यादा वे योगदान कर सकेंगे, लेकिन अगर वे आतंक के माहौल में जिएँगे, अगर उनको यह लगेगा कि हर वक्त इन्कम टैक्स की raid का खतरा है, तो फिर आदमी ज्यादा काम क्यों करेगा, वह क्यों ज्यादा कमाएगा, टैक्स देने के लिए क्यों काम करेगा? वह अपना पेट भरने, अपना परिवार चलाने, गाड़ी के लिए डीज़ल-पेट्रोल खरीदने तक का पैसा उसके पास रहे, इतना ही काम करेगा। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो सामान्य आदमी हूँ, लेकिन लोगों के मन की जो बात है, वह मैं आपको बता रहा हूँ। लोग धीरे-धीरे विरत हो रहे हैं, अपने आपको अलग कर रहे हैं कि इतना कमाने से क्या फायदा है, इससे क्या बचता है? अनावश्यक raids और जितना है नहीं, उससे ज्यादा declare करने के लिए कहा जाता है। यह तो आपकी जानकारी में भी होगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जो मुझसे परिचित हैं, जिनकी आमदनी 50 करोड़ रुपए तक की नहीं है और raid होती है, तो कहा जाता है कि आप अपनी आमदनी 200 करोड़ रुपए declare कीजिए। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे, तो वे जेल जाएँगे, उन पर मुकदमा होगा, उनका केस ED में भेज दिया जाएगा। मैडम, यह आए दिन हो रहा है। अगर यह चलता रहा, तो देश में बिज़नेस का सारा माहौल खत्म हो जाएगा, लोग काम करना बंद कर देंगे।

महोदया, सुशील कुमार मोदी जी ने दूसरी बात यह कही कि डीज़ल और पेट्रोल पर जो टैक्स लगा है, इसके कारण पेट्रोल और डीज़ल बहुत ज्यादा महंगा है। जो टैक्स लिया जाता है, वह राज्यों और केन्द्र में विकास के कामों में ही लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पेट्रोल और डीज़ल दो सौ रुपए प्रति लीटर कर दें। क्या इससे लोग adversely प्रभावित नहीं होंगे? अगर वह विकास के काम में लगता भी है, तो वह महसूस नहीं होता है, लेकिन जब आप एक रुपया भी बढ़ाते हैं, तो देश के करोड़ों लोगों की जेब पर उसी दिन से असर पड़ने लगता है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) : यादव जी, अब आपको conclude करना पड़ेगा, इसलिए कृपया आप conclude कीजिए। आपके पास एक मिनट का समय है।

प्रो. राम गोपाल यादव : मैडम, क्या मैं दो मिनट ले सकता हूँ?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) : ठीक है।

प्रो. राम गोपाल यादव : मैडम, गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही है -- आपको 38-40 रुपए पड़ता है और 60-62 रुपए के आस-पास उस पर टैक्स लगाया जाता है। यह सही है कि इसे राज्य सरकारें भी लेती है और केन्द्र सरकार भी लेती है। केन्द्र से ज्यादा राज्य सरकारें लेती हैं, लेकिन इससे व्यक्ति को तो परेशानी होती ही है। राज्य का काम क्या होता है? राज्य का काम यह होता है कि वह अपनी जनता को ज्यादा-से-ज्यादा सहूलियत दे, ताकि उस पर बोझ न पड़े, इसलिए राज्य सरकारें उतना ही टैक्स लगाएं। माननीय सदस्य दीपेन्द्र जी ने इस ओर इशारा किया था, इशारा ही नहीं किया था, बल्कि साफ कहा था, बहुत बढ़िया बात कही थी। जब उन्होंने रामचरितमानस का एक दोहा, एक चौपाई पढ़ी और यह कहा कि राजा जब टैक्स ले, तो सूर्य की तरह ले, जैसे मालूम ही पड़ता है कि किस तरह से पानी सोख लेता है और दे, तो सबको हरा-भरा कर दे, सबका मन प्रसन्न कर दे। यह टैक्स किस काम का कि कोई व्यक्ति घर से दो सौ रुपए लेकर चला, पेट्रोल पम्प पर पहुँचा, अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि रात में दाम बढ़ गए, अब पम्प वाले ने कहा कि इतना पैसा हुआ, इस पर उसने कहा कि इतना कैसे हो गया? वह बोला कि मेरी जेब में तो इतना पैसा नहीं है, गाड़ी में से पेट्रोल वापस निकाल लो - यह स्थिति होती है। चूँकि मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तुलसी दास जी ने लिखा है **:**

'दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि ब्यापा।।'

आप इस तुला पर तोलिए कि क्या यह जो आपकी रामराज्य की अवधारणा है, वह सही है? क्या व्यक्ति दैहिक ताप से बचा? पीठ पर लाठियाँ पड़ रही हैं या नहीं पड़ रही हैं? मैडम, दैविक pandemic आ गया और भौतिक अर्थशास्त्र आप देख ही रही हैं। आर्थिक व्यवस्था को रोज़ चोट पहुंच रही है। कोई रोज़ पिट रहा है, भूखा मर रहा है और किसी के पास इतना पैसा है और आप उन्हें छूट दिए चले जा रहे हैं! आप इन सब बातों पर विचार कर लीजिए। राज्य सभा के पास फाइनेंस बिल में न संशोधन करने का अधिकार है, न इसे रोकने का अधिकार है। ये इसे पास न भी करना चाहें, तब भी यह 14 दिन बाद वैसे ही पास हो जाएगा, इसमें कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी बात कह सकते हैं। इसी के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे दो मिनट दिए और माननीय वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को सुना, चाहे वे उस पर अमल करें या न करें।

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार) : महोदया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण वित्तीय पहलू पर सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया।

मैडम, सरकार का यह बजट 'आकांक्षी भारत' और 'आत्मनिर्भर भारत' के दो महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ लाया गया है। इसमें एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए ठोस पहल की गई है। इस बजट के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को पाँच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के

लिए मजबूत नींव रखने का काम किया गया है। कोरोना महामारी के चलते आर्थिक गतिविधियों में संकुचन के बावजूद इस बजट में उन क्षेत्रों के आवंटन में वृद्धि की गई है, जिन पर चलकर भारत विश्व की आर्थिक महाशक्तियों की पंक्ति में शामिल हो सकता है। इस बजट की एक महत्वपूर्ण पहल यह है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए इसमें 2,23,846 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ताकि पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना की जा सके। महोदया, कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को पंगु बना दिया था, इसलिए यह जरूरी है कि स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचों के विकास पर विशेष बल दिया जाए, ताकि हम किसी भी आपातकालीन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। इसमें टीकाकरण के लिए विशेष आवंटन किया गया है, ताकि हम लोगों को इस महामारी से बचा सकें। इस वर्ष के बजट में देश की अवसंरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। चाहे रेल नेटवर्क हो, राजमार्ग हो या हवाई यातायात का विकास हो, पूरे देश में हर क्षेत्र पर सम्यक् ध्यान दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए 1,18,101 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही, 'भारतमाला परियोजना' के लिए 35 लाख रुपए का आवंटन किया गया है और 13,000 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए अवार्ड कर दिए गए हैं। वैस्टर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा किया जा रहा है, ताकि माल की ढुलाई का काम तेजी से हो सके। रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें 1,07,100 करोड़ रुपए पूँजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं, ताकि निर्माण संबंधी गतिविधियों में कोई बाधा न आए। कोच्चि, चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर और नासिक में मेट्रो चरण - 2 या नई मेट्रो लाइंस बनाने के लिए आवंटन किया गया है, ताकि मेट्रो निर्माण के काम को तेजी से पूरा किया जा सके। इस बजट में आर्थिक गलियारा बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके, नए शहर बनें और लोगों के जीवनस्तर में सुधार हो। इन निवेशों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा, लोगों को रोटी-रोज़गार मिलेगा, समृद्धि आएगी तथा लोगों का जीवन खुशहाल होगा। इस सरकार ने कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए 16.5 लाख रुपए की 'किसान क्रेडिट कार्ड' योजना बनी है। इसके द्वारा पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मछली के उत्पादन को बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। 'ऑपरेशन ग्रीन योजना' बनाई गई है, ताकि किसानों के जो उत्पाद तेजी से नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बचाकर उनके भंडारण की समुचित व्यवस्था की जा सके।

सरकार ने 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' के माध्यम से देश के प्रवासी मज़दूरों तथा अन्य गतिविधियों में शामिल श्रम-वर्ग की कठिनाई को दूर करने की एक ठोस पहल की है, ताकि यदि गरीब लोग रोटी-रोज़गार की तलाश में कहीं बाहर जाएँ, तो उन्हें राशन लेने में कठिनाई न हो, उन्हें आसानी से अनाज मिल पाए और वे भूखे न रहें।

महोदय, सरकार ने कोरोना महामारी से क्षेत्र को उबारने के लिए ठोस पहल की है। देश के व्यय-बजट के आकार को बढ़ाकर सरकार ने गरीब लोगों हेतु रोज़गार सृजन के लिए एक विशेष पहल की है, ताकि कोई भी रोज़गार के अभाव का सामना न करे। चाहे कृषि क्षेत्र हो, अवसंरचना-विकास का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य क्षेत्र हो, सरकार ने इन सभी पर विशेष ध्यान दिया है, ताकि इन क्षेत्रों की तरक्की हो और देश विश्व की सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों वाला राष्ट्र बन सके।

महोदय, कोरोना का टीका बनाने के बाद हमने विश्व के सम्पूर्ण मानव समाज को इसे देने का संकल्प लिया है, ताकि हम अपने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के पुरातन आदर्श पर दृढ़ता से कायम रहें। भारत का यही आदर्श है कि हमारे पास जो है, हमने जो पाया है, अनुसंधान और विकास के माध्यम से, अपने वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम से हमने जो अर्जित किया है, वह सम्पूर्ण पीड़ित मानवता के कायम आए - यही हमारा मूल सिद्धांत सदियों से रहा है, जिस मार्ग पर हम चलें। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) : धन्यवाद, राम नाथ ठाकुर जी। अब, श्रीमती झरना दास बैद्य। आपके पास 11 मिनट्स हैं।

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (Tripura): Thank you, Madam, for giving me the time to speak. The Finance Minister in her Union Budget Speech stated that there were three instances earlier where the economy contracted, with the fourth being under this Government. The Indian economy has witnessed a sharp contraction of 23.9 per cent year-on-year in the first quarter of 2020. This was the largest contraction on record in independent India's history intensified, of course, by the nationwide lockdown. The impact of the pandemic and associated health measures has been unique as they have affected every sector of the economy. But the silver lining in all this has been the agricultural sector, thanks particularly to the hardworking farmers and farm labourers of the country. It is these farmers who are still sitting patiently and peacefully for getting their due justice for their demands.

As per The Economic Survey 2020-21, India's GDP is estimated to have contracted by 7.7 per cent in 2020-21. According to the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE), the country's unemployment rate rose sharply from 8 per cent in March 2020 to 24 per cent in April 2020. This, of course, was an immediate impact of the lockdown. The biggest hit of the Covid crisis has been taken by the poor and the lower middle class.

Not only has there been a big shortfall in corporate and income taxes in 2020-21, the Government is also keen to acknowledge the 'distress' of the corporate sector and the rich by not expecting them to pay in 2021-22 even the taxes they paid in the pre-Covid period.

While the Budget Estimates for Corporate Tax and Income Tax in 2020-21 were Rs. 6.81 and Rs. 6.38 lakh crores respectively, the same figures for 2021-22 are Rs. 5.47 and Rs. 5.61 lakh crores. This Budget has been formulated in the context of the worsening hunger and malnutrition and is reflected in the fall in ratings of India on the Global Hunger Index. Currently India is placed at 98 out of 112 countries and the National Family and Health Survey-5, 2020, shows that there is growing malnutrition

among women. The Budget reflects intensification of neo-liberal policies and exploitation. It is a direct attack on the basic rights of women, and reflects the conservative and anti-women attitude. However, as per International Labour Organization's assessment, even before the Covid-19 crisis, India had been experiencing slower economic growth and rising unemployment. According to IMF, between 2015 and 2019, economic growth fell from eight per cent to four per cent. By 2018, unemployment rate exceeded 6 per cent, and the youth unemployment rate doubled from 10 per cent to 23 per cent. This is even backed by the ILO's assessment of our economic recovery being more sluggish and uncertain, with damage, persisting throughout the whole country, most notably in the unorganised sector.

What the Finance Minister's speech did not reveal was that under several heads, expenditure in 2020-21 was actually lower than budgeted. These include Agriculture, Education, Social Welfare, Women and Child Development, Scientific Departments, Urban Development, Pensions and Disability Affairs, etc. Not only are these cuts being carried forward into the next year too, even in the few heads of increased expenditure in 2020-21, like Health and Rural Development, the Budget proposes to cut down expenditures. Despite the Finance Minister's claim that health expenditure is being increased significantly, the Budget documents show otherwise. The budget allocation for Health for 2021- 22 is Rs. 74,600 crores which is Rs. 8000 crores less than the last year's revised estimates. In order to strengthen the situation of the people of State, it is humbly requested to provide extra Budget to Tripura Tribal Areas Autonomous District Council (TTAADC) so that the State will witness maximum development throughout and introduce special schemes for Tripura State tea workers as there are 48 Tea Gardens in Tripura. Altogether, there is no increase in other welfare schemes in the Budget. Their only objective is to help the corporate.

The other thing has been a tokenistic aid to the senior citizens. While the hon. Finance Minister was giving her Budget speech, she said, 'We shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns. The paying bank will deduct the necessary tax on their income.'

With these words, I would like to conclude. This Budget clearly upholds the interests of the market. It has no place for women. It is once again a blatant attack on the poor and the oppressed. This is a Budget to appease the rich accentuating the problems of unemployment and rising inequality.

Madam, I hope, our hon. Finance Minister will agree to some of the suggestions that have been put forward, through you. I hope that some of the points will receive a favourable consideration of the Government and the States which are also reeling under this economic crisis will be given their due share. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Prof. Manoj Kumar Jha. You have eleven minutes.

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): शुक्रिया वाइस चेयरमैन महोदया, आज तो मैं धनी हूं। Madam Finance Minister, first, let me tell you that it is very difficult to sit through the entire discussion. But, I can see that you have been sitting here right since morning. Thank you very much.

मैडम, मैं आज सुबह जब morning walk के लिए गया, तो मैं सोच रहा था - अक्सर उस वक्त आदमी सोचता है कि क्या बोलना है, कैसे अपनी बात रखनी है। असल में दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट, चाहे मैंने वोट न किया हो, मैंने न चाहा हो, तो भी यह मेरी भी सरकार है, यह हमारी सरकार है। अगर हमारी सरकार फेल होती है, तो हम भी फेल होते हैं। हमारी आलोचना में सुझाव के तत्व भी तलाशे जाएं, सलाह के तत्व भी तलाशे जाएं, क्योंकि आलोचना महज आलोचना के लिए नहीं होती है, कई दफा उसके अंदर मायने होते हैं। मैं पहले इस बात को सामने रखना चाहता था।

उपसभाध्यक्ष महोदया, आज सुबह फिर एक दूसरा वाक़या हुआ। मैंने एक प्रमुख अंग्रेज़ी दैनिक समाचार-पत्र में दो खबरें पढ़ीं। पहली खबर थी, 'share in workforce already falling' and 'COVID job losses hit women harder.' यह खबर केवल मैंने ही नहीं पढ़ी, बल्कि कई और लोगों ने भी पढ़ी होगी। मैं चाहता हूं कि इसका संज्ञान लिया जाए, क्योंकि बहुत गंभीर मसला है।

उसी अखबार में एडिटोरियल पेज पर एक पीस है, जो कहता है, 'What they lost in lockdown?' आज एक साल हो रहा है, संभवतः if I am not wrong , आज ही के दिन 24th March को lockdown declare हुआ था। It says, 'a year since migrant disorder, social nets for poor have weakened further.'

मैडम, असल में यह Finance Bill है और Finance Bill के बारे में जब मैं देखता हूं, Clause 72(a) of the Bill provides measures to facilitate disinvestment of public sector. Need to raise revenue is understandable. हमारे खर्चे कैसे चलेंगे, प्राथमिकताएं कैसे तय होंगी, तो समझ में आता है कि हमें रेवेन्यू चाहिए, लेकिन is it necessary? Is it necessary — I am putting forth an argument — to do it by entering into a brazen sale of public assets? मुझे अक्सर यह लगता है कि हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि इसमें disinvestment होने जा रहा है, हम यह बात भूल जाते हैं, क्योंकि आजकल एक बहुत गंभीर आरोप लगता है कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। मेरे सामने जो माइक है, यह संभवतः 70 सालों की ही देन होगी - मैं जिस माइक से बोल रहा हूं और जिस माइक से वे यह बात कहते हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा

हूं कि विजयसाई रेड्डी जी ने ज़िक्र किया है, तो वे तो उस राज्य से आते हैं। मैंने पहले भी इस सदन में कहा है कि हर तीसरे दिन मुझे steel plant का representation आता है, bank employees representation देते हैं और हम यहां उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि जब कभी आप इस प्रकार का कोई निर्णय लें, तो वह स्वामित्व में बदलाव का निर्णय नहीं होता है, वह उस organization में काम करने वाले लोगों के रिश्ते, उनकी पहचान पर भी असर करता है। उनसे संवाद क्यों नहीं होता है, यह मेरा आग्रह होगा। अगर आपने disinvestment के बारे में सोच लिया है और अगर आप कुछ सोच लेते हैं, तो आप पीछे नहीं हटना चाहते हैं - चाहे लोग दिल्ली के borders पर बैठकर कराहते रहें। दूसरी चीज़, मेरा एक डर है कि such privatisation, probably,-- I would want the hon. Finance Minister to clarify-- lead to the kind of crisis which the US faced in 2008. I am just worried. I hope my worry is wrong. आप आज विदेशों में अच्छे से दवाइयां भेज रहे हैं और गुडविल कमा रहे हैं। आपने 'वैक्सीन मैत्री' का नाम दिया और भी कई नाम हैं, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि 70 साल में पब्लिक सेक्टर की फार्मा कंपनीज़ ने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। आप अगर इस बात को भूलकर सीधे तय कर रहे हैं कि सब कुछ निजी हाथों में दे देना है, तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि I wish you good luck. कल भी कमरे में off the record चर्चा हो रही थी और यह कहा गया कि बिल पर चर्चा कर लीजिए, आप वोट करवा लीजिए। साहब, आपका नंबर है, लेकिन नंबर ही लोकतंत्र में एक माध्यम है, it is not an end; it is a means. आप 'means' और 'end' का फर्क खत्म कर रहे हैं। इसलिए वर्ष 1952 में विपक्ष नहीं था। मैं जब पढ़ता हूं कि वर्ष 1952 में विपक्ष को कितना वक्त मिलता था, तो विपक्ष की बात सुनी जाती थी और सरकार के अंदर ही विपक्ष था। कांग्रेस के बाहर के लोग बहुत कम थे-- कांग्रेस के अंदर ही विपक्ष था। वह विपक्ष आपके यहां नहीं है और हो भी नहीं सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वह विपक्ष चाहिए। अगर हमारी संख्या कम है और यह बात आपके दिल को छूती है, तो आपको भी बोलना चाहिए, आपको कहना चाहिए। मैं तो यह पहले भी मानता हूं कि कोई भी दल, कोई भी विचारधारा अमृत पीकर नहीं आती है कि हमेशा रहेगी। मैंने कहा, एक विज्ञापन है- 'Diamonds are for ever.' 'हीरा सदा के लिए'। हीरा सदा के लिए हो सकता है, लेकिन व्यक्ति सदा के लिए नहीं होता है, दल सदा के लिए नहीं होता और विचारधारा सदा के लिए नहीं होती है। हमने विचारधाराओं का ख़ात्मा देखा है, पार्टीज़ का ख़ात्मा देखा है। फाइनेंस बिल का क्लॉज 101 और 102 कहता है "..proposes changes to audit regime for GST to apparently ease the burden on businesses." मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कभी बुरा नहीं मानता हूं, 'Ease of Doing Business'. मैंने आज तक 'Ease of working conditions' नहीं सुना है। मैं बिज़नेस विरोधी नहीं हूं और हो भी नहीं सकता हूं। उससे मुल्क नहीं चल पाएगा, देश नहीं चल पाएगा, लेकिन safety net होना चाहिए। वह safety net खत्म होता जा रहा है और यह ख़ात्मा दुखद है। मैं समझता हूं कि हमारे विपक्ष के लोग, ट्रेज़री बेंच के लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। मैं बिहार से आता हूं और बीते दिनों में बिहार के बारे में कई दफ़ा एक बात कही गई है। मैडम, बिहार सामूहिक चिंता का विषय हो चुका है। वहां के सदन में कल क्या हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। बिहार में रोज़गार की स्थिति बहुत दयनीय है। मैं जब गांव जाता हूं, अपने शहर जाता हूं, तो नज़र छुपानी पड़ती है। कई लोग यह कहते हैं कि कहीं नौकरी दिलवा दीजिए, नौकरी दिलवा दीजिए।

कोई अवसर ही नहीं है। वहां बच्चे बाल्यावस्था से युवावस्था में आने के बाद सीधे वृद्धावस्था में जा रहे हैं। Aging fast हो रही है। उसका कारण यह है कि कुछ है नहीं - धूल, धूप, वर्षा है, वह भी कहर लेकर आती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि आप स्पेशियली बिहार पर फोकस करिए। यह कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा कमज़ोर हो, तो उस कमज़ोर बच्चे को अच्छी नज़र से, दूसरो से अलग, व्यापक नज़र से और विशाल हृदय के साथ देखने की जरूरत है, क्योंकि बिहार को उसकी जरूरत है। अगर बिहार में रोज़गार के अवसर नहीं होंगे, निवेश के अवसर नहीं होंगे, बिहार में बहार नहीं होगी, तो देश में कभी बहार नहीं आएगी। अगर आप देश का सर्वांगीण विकास चाहते हो, तो आप बिहार पर एक्स्ट्रा फोकस कीजिए, चाहे एक्स्ट्रा पैकेज या go back to your commitment of a special State. यह मैं बार-बार कह रहा हूं कि ख़ैरात नहीं है, लेकिन मैं आज याचक की तरह आपसे मांग रहा हूं कि बिहार को अलग नज़रिए से देखिए, थोड़ा ज्यादा देखिए, क्योंकि बिहार बहुत पीछे छूट गया है। मैंने कल ही सदन में कहा था कि बिहार इस देश का, वह जो होता है, under-development की economic theory में metropolitan-satellite, वह सैटेलाइट बन गया है। वह थर्ड वर्ल्ड है, तो उस थर्ड वर्ल्ड के नज़रिए से उसको निकालिए। मैडम, मैं कुछ छोटी-छोटी चीज़ों पर थोड़ा अलग से कहना चाहता था। मेरे बाकी बहुत सारे साथी अलग-अलग विषयों पर बोल चुके हैं। मैं मैडम फाइनेंस मिनिस्टर के सामने शिक्षा पर थोड़ा अलग से अपनी बात रखना चाहता हूं। तकरीबन 320 मिलियन बच्चों की शिक्षा कोविड में प्रभावित हुई है। ये कौन बच्चे हैं, इसके लिए हमें रॉकेट साइंस का ज्ञान नहीं चाहिए। ये बच्चे दलित, पिछड़े और गरीब वर्गों से आते हैं। इनमें लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है। इनके लिए आपके budgetary allocation में कुछ ज्यादा व्यवस्थाएं होनी चाहिए थीं, जिसका अभाव हमने देखा है, बल्कि यह कहूं कि पिछले साल के बजट के अनुपात में 6.13 per cent lower है, जो कि ज्यादा होना चाहिए था।

मैडम, दूसरा मामला कुपोषण का आता है। कोरोना के दौरान कुपोषण की जो अवस्थिति है, वह और भी गंभीर होती गई। ये कुपोषित बच्चे कौन हैं? फिर मैं यह कह रहा हूं कि रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Hon. Member, you will have to start concluding. You have a minute.

प्रो. मनोज कुमार झा: मैडम, मैं कोशिश करूंगा। मैं गारंटी नहीं देता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण): कोशिश नहीं, I have just been told that we have to be very strict with time. That is why ...

प्रो. मनोज कुमार झा: मैडम, मैं कोशिश कर रहा हूं। मैंने देखा है कि आज बाकी लोगों के साथ थोड़ा उदार रवैया रहा है, तो मैं भी...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Please continue.

प्रो. मनोज कुमार झा: मैडम, malnutrition और कोविड को लेकर, सभी चार को rationalize करके एक योजना बना दी गई है - 'पोषण 2.0', इसमें भी 18.5 प्रतिशत का डिक्लाइन है। हैल्थ के बारे में मैं पहले कह चुका हूं, उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं रूरल इकोनॉमी पर जरूर कहना चाहता हूं। आप बहुत तरह के crisis फेस कर रहे हैं। मैंने कल ही कहा था, हमारे MoS Finance यहां पर थे, मैंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था चिंता का विषय है और चूंकि चिंता का विषय है, तो जहां से चिंताएं दूर हो सकती हैं, उन विषयों पर हमें कार्य करना चाहिए। आपको अगर सबसे ज्यादा सिल्वर लाइन दी है, तो वह आपके रूरल सेक्टर ने दी है, अग्रेरियन सेक्टर ने दी है, जिसने आपको कोविड के दौरान इतना दिया है, इसलिए आप उसके पक्ष में और गंभीरता से खड़े होंगे, तो बेहतर होगा। एक चीज़ जो मैं बीते कई दिनों से सोच रहा था - मैंटल हैल्थ को लेकर हमारा नज़रिया। आप मैंटल हैल्थ के कम्पोनेंट में ऐलोकेशन देखिएगा, जब devolve करते हैं, मैडम, बस एक मिनट और दे दीजिए। मैं समझता हूं कि अगर psychiatrists और psychologists का ratio देखिए, तो यह खतरनाक है। मैं बजट में एजुकेशन को लेकर ओवरऑल कह रहा हूं - स्कूल एजुकेशन में 54,874 करोड़ रुपये दिए गए हैं, which is Rs. 5,000 crores less than Rs. 59,845 crores.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Please conclude.

प्रो. मनोज कुमार झा: मैडम, बस एक मिनट दे दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): That is why I told you one minute before so that you conclude.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: I am just requesting for a minute. I hope you grant me that. इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन क्यों आवश्यक है - क्योंकि जब आपके संविधान के चरित्र को देखते हैं, Preamble को देखते हैं, 'The idea of equity, justice and democracy cannot be achieved without greater investment in education.' Madam, finally, मैं फिर से कहता हूं कि बाजार का जो एक नव उदारवाद का दौर है, मैं जानता हूं कि बाजार की अपनी शर्तें होती हैं, अमेरीका से लहर शुरू हुई थी, लेकिन वहां Bernie Sanders..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Thank you, hon. Member.

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Madam, just thirty seconds. Thirty seconds, Madam. Excuse me, please. Thirty seconds. Bernie Sanders की जो लहर है, उससे इस देश में भी हमें कुछ सीखना चाहिए। मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि जुगल जी ने कहा था, मैं वहीं खत्म कर दूंगा-

"शाम-ए-ग़म कुछ उस निगाह-ए-नाज़ की बातें करो
बे-ख़ुदी बढ़ती चली है राज़ की बातें करो
कुछ क़फ़स की तीलियों से छन रहा है नूर सा
कुछ फ़ज़ा कुछ हसरत-ए-परवाज़ की बातें करो।"

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Thank you, hon. Member. Shri Praful Patel.

SHRI PRAFUL PATEL (Maharashtra): Madam, the Budget has been delivered by the hon. Finance Minister in very difficult times. We all recognize that. While we are very happy that the recovery, the 'V' shape recovery, has started for which we all acknowledge, we also must not forget that the Covid problems still exist and it is coming back, at least, as we are seeing the numbers in the last few weeks even from my State Maharashtra where it is really a cause of concern.

Therefore, the Covid problem should be factored in for the entire financial year 2021-22. The GST is, of course, now the main source of revenue collection for our country. Even the States need the GST and timely recovery of GST money, which, unfortunately, has been a great problem in the whole of the last one year. The States have not been able to receive their share of GST. My State and most other States have faced the problem of delays in the payment of GST. Even as we speak, there are a large number of recoveries of GST to be made by the States.

Madam, I would like to remind you of something else on the GST. In this very House, when the GST Council Bill was passed, there was a categorical assurance by the Centre that the States will not be worse off. I think, somewhere down the line, we have reneged on that assurance, because the States are getting only their share of what is being collected. There is nothing to protect the States, especially the States which were initially objecting, like Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka and Gujarat, which wanted to at least assure their revenue. That is not being met as we speak. We categorically put this question, in the Finance Committee, to your officers and we have been very categorically told that nothing of that sort exists, that we will get whatever is collected and that there is no guarantee of the minimum collection which would have been given to the States, as was promised in this House during the passage of the GST Council Bill. So, I just want to remind you this. I would like you to reflect on that and see what corrective action can be taken. On Direct Taxes also, there has been this assurance of a faceless assessment. I hope it works well. There is nothing to complain as of now. The objective and the thought process is good, but I hope the attitude of the people who are assessing changes. Even in a faceless

assessment the person who is going to assess would be assessing with the same old attitudes. I hope that attitudinal change comes, because more often than not, the Department looks at it from the point of revenue. It does not look at the concerns of the tax payers. I hope that attitude changes, at least, on the appellate side. Why should we have this virtual and faceless assessment or appellate process? That should also be taken up. Some other Members here have already mentioned it. So, I don't want to go much into the details of it, but I hope, at least, the appeals and the tribunals do not remain virtual or faceless. At least there, there should be a process where the assessee has the chance to appear in person or through his nominee.

Then Madam, more often than not, in direct taxes we have seen that if there is any tribunal ruling that is in favour of the assessee, 99.9 per cent of the time, the Department goes into appeal in the High Courts. There are three layers of the whole process. If a tribunal has ruled in favour of an assessee, why should the Department go to the High Court in every such case? Even if they lose in the High Court, they go to the Supreme Court. This is something where I think a relook has to be done, where we are able to get a relief or remedy at a particular stage. Otherwise, this would be an unending process. I hope you will look into that very seriously.

Divestment or disinvestment is something that is very integral to this Budget. Privatization and disinvestment has been the core theme of this Budget. I am not against disinvestment or divestment at all. But, at the same time, I would just like to remind you that in the last one or two years, if you look at your divestment process, you have said sometimes that your collections have been as per targets. But if you really go into the fine print, who has bought the companies, from where the proceeds have come, etc., it is either from LIC or another public sector undertaking. There is hardly any money that you have recovered from the market or from a private source. So, the divestment process, or disinvestment, as you call it, has not been a resounding success so far.

This year you have put an extraordinary emphasis on disinvestment and divestment. But, because of the Covid situation, I really worry you may not be able to realise the proper or full value. Therefore, I think, you should go cautiously into it. While I am not opposing the process *per se*, I am questioning the timing which may not yield the best possible results which you are hoping for.

We were talking about petroleum products. Others have also mentioned about it. I would only like to say that we have a certain percentage of tax, both by the States and the Centre, on petroleum products. That tax remains constant. But as the base price of petroleum products is changing, as it was 30 dollars and has now become, say, 60 dollars or 65 dollars, the tax is also going up on *pro rata* basis.

Therefore, the collection of taxes is going up phenomenally, both by the States and the Centre causing a huge burden on the common men. It is also driving the prices of so many commonly used products and items consumed by, I would say, not-so-very-wealthy people. So, we have to look at taxes on petroleum products in real terms, not in percentage terms. Today, if you really see, everybody is talking of petrol prices touching the mark of Rs.100. If you really break it down between the State and the Centre, more than 50 per cent of Rs.100 would be coming from taxes. So, that has to be relooked at in real terms, not in tax percentage *pro rata* terms. I would request you to look at that and that would definitely earn you also good brownie points. It will help the common men; it will help in controlling prices.

I think, in the last one year, tourism, hospitality, aviation and transportation sectors have been the most badly affected sectors. But no relief has really been gien to these sectors at all. I emphasise the words 'at all'. Crores of people in tourism and hospitality sectors have been suffering. I am talking not only of hotels, look at small restaurants. Half the restaurants in the country have closed down after the Covid pandemic and they are not likely to reopen, ever again. I will just give you an example. Say, in the UK or in the US, if somebody was running a restaurant and had ten employees, all the ten employees were paid 80 per cent of the wages by the State. Therefore, the restaurants could continue to remain functional, if not open, and came back to business as and when the situation improved. That situation has not arisen at all and I don't see even in this whole year of 2021-22, Covid problems are going to ease for these sectors, at least. I hope and urge that you have a relook at these sectors very, very meaningfully.

You have announced Rs.3 lakh crores financing package for the MSMEs upto 20 per cent of the loans which were already obtained by them. But there was no mention about an MSME, which really was not taking a loan but needed a loan now. What would be the relief or what would be the measures for financing that additional requirement of that MSME? There is no mention about it. I can tell you that there are thousands and thousands of cases where this kind of relief has not been availed by them. Secondly, on the MSME front, you have talked of restructuring. The banks have asked you for restructuring. But how many banks have actually been able to restructure the loans? It has been a very difficult situation for most of the MSMEs when banks ask for personal guarantees, collaterals, and other comforts which most of the MSMEs are unable to provide. As a result, the restructuring of the MSME loans has not been very easy. Though the banks are flushed with money, they are not willing to finance people's requirement the way they wanted. There is so much rigidity. I don't know whether they are Public Sector Banks or private sector banks,

but all of them are not very willing in financing new companies or giving additional finances to existing companies. So, these are the few things which, I think, you need to look into.

When you talk of the two Public Sector Banks being privatised, I would rather say why you don't merge those two weaker Public Sector Banks, which you want to disinvest, into a regular bank or a Public Sector Bank, which is healthy.

You have done it in the past. What is the objective you are going to serve by only divesting two PSBs? Rather, you should encourage more private sector banks to come up. You have HDFC, you have ICICI and you have so many other private banks which have come up and have done amazingly well. Why don't you encourage more private sector banks, instead of disinvesting two public sector banks? And, I can assure you that it will lead to a lot of trouble and chaos because there are going to be strikes, there are going to be lot of churning, upheaval, which I think you should try to avoid.

Lastly, Madam, on infrastructure, I would say, we have very good focus, good thrust on infrastructure. But, I hope that infrastructure doesn't only mean roads because we collect the cess from petroleum products and we pump it into road building programme. That is fine. The other sectors in infrastructure, like power, water, sanitation, these are all the sectors, which, in urban areas, require a lot of thrust, but there is very little money available for them. So, I would request you to also look at that infrastructure as a very important piece in the whole matrix. With these words, I would only say that whatever the good intention is there in the Budget, the challenges, which you will face in this year, are going to be tremendous and I hope that you will address them in a very meaningful way. Thank you, Madam.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Now, Shri Narain Dass Gupta, not present. Then, Shri Rajeev Satav.

श्री राजीव सातव (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे फाइनेंस बिल पर अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। संविधान के निर्माताओं ने जब लोक सभा और राज्य सभा का गठन करने की बात सोची, तब उनकी यह सोच थी कि मनी बिल को छोड़ कर दोनों सदनों का equal role हो। यह हमारे संविधान निर्माताओं की सोच थी। लेकिन पिछले छः सालों से यदि इस सरकार का कार्यकाल देखा जाए, तो ऐसे कई सारे non-Money Bills का प्रोविज़न मनी बिल के रूप में लाने का इनका tradition रहा है। दोनों सदनों में scrutiny करने की संविधान निर्माताओं की जो सोच थी, उस प्रोविज़न का misuse करने का काम इन्होंने किया है।

जब मैं लोक सभा का सदस्य था, उस समय 'आधार' को मनी बिल के रूप में लाने की इन्होंने कोशिश की थी, जबकि 'आधार' दूर-दूर तक कोई मनी बिल नहीं था, identify verification process था। इसी तरह से electoral bonds के बारे में भी इन्होंने मनी बिल लाने का प्रावधान किया। दो साल पहले फाइनेंस बिल में Reserve Bank of India Act, the National Housing Bank Act, ये सभी बिल आपने मनी बिल के रूप में संसद में पेश किए और Insurance Act को भी मनी बिल के रूप में लाया गया।

दो-तीन साल पहले की बात अलग थी, उस समय आपके पास राज्य सभा में बहुमत नहीं था। अब आपके पास राज्य सभा में भी और लोक सभा में भी बहुमत है। जब दोनों सदनों में आपका बहुमत है तो आप चर्चा से क्यों दूर जा रहे हो, यह हम सबके मन में सवाल उठता है। सिर्फ आपके ही मन की बात सुनना, कभी आपको भी दूसरे सदस्यों के मन की बात सुननी चाहिए। आप इन सभी बिल्स को जो मनी बिल के रूप में लाए, अगर ये स्टेंडिंग कमेटी को जाते तो कई सारे deliberations इनमें होते। इस फाइनेंस बिल में भी आप देखें, आप एलआईसी ऐक्ट, 1956 में संशोधन प्रस्ताव लाए हैं, जबकि इसका फाइनेंस बिल से क्या सम्बन्ध है? आपने Security Contracts Regulation Act, 1956 की बात यहां पर कही है, इसका फाइनेंस बिल से क्या सम्बन्ध है? जो टैक्सेशन से रिलेटेड नहीं है, ऐसे प्रोविज़न्स भी इस फाइनेंस बिल में हैं। यह फाइनेंस बिल 300 पेज का है। उसमें 50-60 पेजेज़ ऐसे हैं, जिनका टैक्सेशन से कोई लेना-देना नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं राज्य सभा की अथॉरिटी को bypass करने का सरकार का planned agenda दिखाई देता है। SEBI Act,1992 में संशोधन की आपने बात की, इसका भी मनी बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर ये सभी बिल्स स्टेंडिंग कमेटीज़ में जाते, वहां पर चर्चा होती और इस सदन में भी हम उस पर अलग से चर्चा कर सकते थे, लोक सभा में भी अलग से चर्चा होती, तो परिपूर्ण तरीके से एक लॉ बनकर सामने आता।

मैडम, जब हम पुराने रिकार्ड्स देखें, लोक सभा के पहले स्पीकर मावलंकर जी ने मनी बिल के बारे में बड़े स्पष्ट रूप में कहा था कि मनी बिल से रिलेटेड बातें रहें तो ही उसे लाना चाहिए। इसी तरह से अय्यंगार जी ने बहुत क्लियरली कहा था -"The procedure should be followed and no other provision should be given attention to unless they are absolutely consequential." मनी बिल के संदर्भ ये स्पष्ट बातें लोक सभा के अध्यक्षों ने कही थीं।

इसमें बहुत ही clear है कि आप ये provisions इसलिए ला रहे हैं कि राज्य सभा के हक से राज्य सभा को बाजू करने का कहीं न कहीं आपका agenda है। क्या आप राज्य सभा को second class House के रूप में चलाना चाह रहे हैं? इसमें राज्य सभा का महत्व पूरी तरह से कम करने का एक agenda दिख रहा है। यही गलती आपने तब की, जब किसानों के बारे में तीन Bills आए थे। उस वक्त भी हम कह रहे थे कि आप इन Bills को Standing Committee में भेजिए, ताकि इनके बारे में चर्चा हो, देश के किसान संगठन इनके बारे में बात करें, देश के किसान के मन में क्या है, यह चर्चा हो, लेकिन आपने माना नहीं। दोला जी यहाँ पर बैठी हैं, हमारे कई सदस्य यहाँ पर थे। आपने हम सात लोगों को suspend किया। हम दिन भर बाहर बैठे, रात भर भी बाहर बैठे। उपसभापति जी का धन्यवाद कि वे चाय लेकर आए थे। उस वक्त चाय पर भी चर्चा हुई, लेकिन क्या उससे सार्थक बात निकली, क्या बाद में आपने उस कानून में बदलाव करने की बात की? नहीं की। उसकी वजह से पिछले कई दिनों से, 100 दिनों से भी ज्यादा समय से किसान वहाँ पर

बैठे हैं, वहाँ पर 25-25 किलोमीटर का धरना है। आप दूर-दूर तक किसान की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर यह Standing Committee के पास जाता, तो आज यह आंदोलन खड़ा नहीं होता। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि दोनों सदनों में आपके पास बहुमत है, आप जो चाहे पास कर सकते हैं, लेकिन कम से कम चर्चा करने से आप क्यों डर रहे हैं या चर्चा करने से आपको परहेज क्यों है, यह भी यहाँ पर सरकार के सामने हमारा सवाल है।

अब आप इस बिल में cess की बात लाए हैं। आपने यह कहा है कि आप Agriculture Infrastructure Development Cess लगाना चाहते हैं। जब कभी भी चर्चा होती है और अगर health के बारे में बात होती है, तो आप कहते हैं कि 'health' State subject है। इसी तरह से जब agriculture की बात होती है, तो 'agriculture' State subject है। जब 'agriculture' State subject है और जब आप agriculture के ऊपर cess लेते हैं, तो आप राज्यों को पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं, इसमें यह भी सवाल है। अभी तक आपका cess का जो इतिहास रहा है, वह यह है कि आप इसीलिए cess लगा रहे हैं, क्योंकि आपका track record है। आपने 2017-18 में cess के माध्यम से लगभग 2 लाख, 3 हजार करोड़ का revenue earn किया। अभी पिछले साल आपने इसके माध्यम से 4.5 लाख करोड़ का revenue earn किया है, लेकिन आप उसमें से एक रुपया भी स्टेट को देना नहीं चाह रहे हैं। यह cess लगा कर राज्यों के अधिकारों को कहीं न कहीं कम करने का आपका agenda इसमें दिख रहा है। RBI ने यह observe किया है कि 2013-14 में आपको cess से 9 प्रतिशत के आस-पास tax revenue मिल रहा था। पिछले 6 साल में आप cess बढ़ा-बढ़ा कर 15 परसेंट का revenue earn करने की दिशा में जा रहे हैं। इसमें से एक नया रुपया आप राज्यों को नहीं दे रहे हैं और आप संघ-राज्य की बात करते हैं! इसमें संघ-राज्य के रूप में राज्यों को दूर-दूर तक मदद करने का आपका agenda नहीं है और यह बहुत गलत बात है।

अब जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर पेट्रोल और डीज़ल की बात हुई थी। मैं यहाँ पर एक साल पहले के आँकड़े बताना चाहूँगा। पिछले एक साल के बारे में हम कुछ भी बात करते थे, तो आप कहते थे कि कोविड है, कोरोना है और इसलिए हम मदद नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। एक साल पहले पेट्रोल का भाव क्या था? 1 मार्च, 2020 को पेट्रोल का भाव 71.75 रुपए था। एक साल में आप उसको 92 रुपए तक लेकर गए। करीब 20 रुपए की बढ़ोतरी सिर्फ एक साल में हुई। डीज़ल में 1 मार्च, 2020 के आस-पास आपका भाव 66 रुपए था, अब 81 रुपए के आस-पास डीज़ल का भाव आया है। LPG में 750 रुपए से करीब 820 के आस-पास भाव हुआ है। इससे स्पष्ट है। अभी परसों ही international market में crude oil का price कम हुआ है। यह करीब 4 डॉलर के आस-पास कम हुआ है। अभी international crude oil का price 64 डॉलर प्रति बैरल है। जब इसका international price कम हो रहा है, तब भी आप लोगों को राहत नहीं देना चाह रहे हैं। इस प्रकार का जो agenda है, इससे आम आदमी को परेशानी हो रही है। Corporate tax को तो आपने पिछले साल कम किया, इसके बारे में हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन इस indirect tax से आम आदमी, गरीब आदमी परेशान हो रहा है और इसके बारे में यह सरकार बात करना नहीं चाह रही है। इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य, जो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने बीच में एक बड़ी अच्छी बात कही थी। हाँ, मैं भाजपा के ही नेता, सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि पेट्रोल तो 40 रुपए लीटर पर देना चाहिए। ऐसी बात सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कही थी, यह Twitter पर भी है। भूपेन्द्र यादव जी

इस तरफ देख रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को इसे 40 रुपए पर देना चाहिए। उसके आगे उन्होंने बड़ी अच्छी बात रखी और यह बात उन्होंने कही कि राम के देश से सस्ता पेट्रोल सीता और रावण के देश में है। मेरा सरकार से यह आग्रह है कि अगर वह कभी-कभी अपनी पार्टी के नेताओं के मन की बात भी थोड़ा सा सुन लेगी, तो सचमुच सही मायने में सरकार को अपनी नीतियों के बारे में ध्यान रखने में फायदा होगा।

आप सैस लगा रहे हैं, तो जरूर लगाइए, लेकिन जब हम सैस का रिकॉर्ड देखते हैं, तो आपका सैस का रिकॉर्ड क्या कहता है? यह CAG की observation है, यह मेरा कहना नहीं है। CAG का यह कहना है, 2018-19 में 2,74,592 करोड़ रुपये आपको 35 cesses and levies से मिले हैं। इन 2,74,592 करोड़ रुपयों में से 1,64,322 करोड़ रुपये आपने reserve fund में transfer किए। इसका दूसरा अर्थ यह है कि 1,10,270 करोड़ रुपये आपने अपने purpose के लिए यूज़ किए। आपके पास जिस बात के लिए पार्लियामेंट का mandate था, उस mandate के खिलाफ जाकर आपने 1,10,270 करोड़ रुपये का यूज़ किया। यह पार्लियामेंट के mandate का उल्लंघन है, यह CAG की observation है।

अभी यहां पर माननीय प्रफुल्ल पटेल जी ने GST compensation की बात रखी, बाकी नेताओं ने भी अपनी-अपनी बातें रखीं। GST Compensation में आपने 47,272 करोड़ रुपये का short-transfer किया, यह CAG का कहना है, और फिर उस 47,272 करोड़ रुपये का आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। जहां पर आपको grant-in-aid के रूप में नहीं देना था, वहां आपने grant-in-aid के रूप में दिया और यह observation में आया है कि ये सभी बातें GST Compensation Cess Act, 2017 का उल्लंघन करती हैं। आप सैस को जमा करना चाह रहे हैं, लेकिन जो जमा कर रहे हैं, उसको खर्च तो ठीक तरह से करिए। यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, यही बात CRF और CRIF cess में रही है। जो CRF और CRIF cess है, उसके 10,000 करोड़ रुपये आपने अलग जगह पर इस्तेमाल किए, यह CAG की observation है। इससे भी गम्भीर बात यह है कि 2018-19 में आपने health and education cess जमा किया। कितना जमा किया? आपने 41,309 करोड़ रुपये का heath and education cess जमा किया, लेकिन उसमें से एक रुपया भी आपने heath and education sector में खर्च नहीं किया। यह बड़ी गम्भीर बात है कि आप health and education के नाम पर सैस जमा कर रहे हैं, लेकिन एक साल में एक रुपया भी heath and education sector के ऊपर खर्च नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जिस बात के लिए आप सैस ले रहे हैं, उस चीज़ पर वह खर्च नहीं कर रहे हैं? CAG की यह observation है, 'no expenditure was incurred for the health sector out of the cess, nor was any dedicated fund created for the purpose.' यह क्या हो रहा है? आप नाम बता रहे हैं health sector का, लेकिन उसके ऊपर एक रुपया भी खर्च नहीं कर रहे हैं। अब जब आप agriculture cess लेंगे और किसान के हित के लिए उसको खर्च नहीं करेंगे, अपना deficit कम करने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। पार्लियामेंट ने आपको मेन्डेट दिया है और पार्लियामेंट के सामने आप बात रख रहे हैं, लेकिन सही मायने में कहीं न कहीं आप तथ्यों से परे जा रहे हो।

यही बात universal service obligation की levy के सम्बन्ध में भी है। यह बात भी अभी सामने आई है कि आपने discontinued/abolished cess से भी पैसा जमा किया, लेकिन उसको उस purpose के लिए खर्च किया या नहीं किया, इसके बारे में आपने कोई तथ्य नहीं दिया है। कृषि कल्याण सैस में आपने 170 करोड़ रुपये जमा किए थे, लेकिन यह किसी को पता नहीं है कि उन रुपयों का क्या हुआ। ये CAG के द्वारा की गई observations हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से यह कहना चाहूंगा कि आप सैस लेना चाह रहे हैं, लीजिए, लेकिन उसमें से राज्यों को आप कितना पैसा देंगे? कल माननीय वित्त मंत्री जी ने लोक सभा में जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम agriculture infrastructure पर इसको खर्च करेंगे। आप ज़रूर करिए, लेकिन इसमें से राज्यों को directly आप कितना पैसा देंगे? मैडम ने यह कहा था, 'most of the agriculture cess will be going to the States because it is for improving the infrastructure in the APMCs.' अच्छी बात है, अगर आप राज्यों को directly यह सैस देंगे, तो उससे ज्यादा फायदा होगा।

महोदया, आपके माध्यम से सरकार से मेरा यह आग्रह है कि सैस के बारे में जो transparency होनी चाहिए, वह दूर-दूर तक नहीं दिखती है। अभी हमारे वरिष्ठ साथी, मनोज झा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। यह सरकार और इस सरकार के सभी नेता पिछले कई सालों से एक ही बात कह रहे हैं, वे कहते हैं कि पिछले 70 सालों में आपने क्या किया? अब पिछले 70 साल में हमने जो किया, वही बेचने का प्रयास पिछले छः सालों से आप कर रहे हैं, लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं। छः सालों से आप disinvestment की बात कह रहे हैं। इस बार आपने fiscal deficit का टारगेट 6.8 प्रतिशत के आस-पास रखा, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि आपने 1.75 लाख करोड़ रुपये का disinvestment का target रखा है। आपका 1.75 लाख करोड़ रुपये का disinvestment का target तो है, लेकिन क्या आपका 1.75 लाख करोड़ रुपये का disinvestment हो पाएगा?

पिछले 6 साल के आंकड़े निकालें और यदि दो साल छोड़ें तो पिछले 6 में से 4 साल में आप पूरी तरह से डिसइनवेस्टमेन्ट नहीं कर पाये। 2015-16 में 69 हज़ार, 500 करोड़ रुपये का आपका टारगेट था, 34 परसेन्ट का आपका टारगेट अचीव हुआ। 2016-17 में आपका डिसइन्वेस्टमेन्ट का टारगेट 56,500 करोड़ था, सिर्फ 81 परसेन्ट आपका टारगेट अचीव हुआ। 2017-18 और 2018-19 में आपका टारगेट अचीव हुआ है, लेकिन 2019-20 में आपका 47 परसेन्ट टारगेट अचीव हुआ, 2020-21 में 15 परसेन्ट टारगेट अचीव हुआ, तो इससे स्पष्ट है कि आप यहां जो इतना एम्बिशियस टारगेट रखकर चल रहे हो, उसमें सही मायने में क्या उतनी अचीवमेन्ट होगी, यह भी एक सवाल है। अगर वह अचीवमेन्ट नहीं होगी तो डेफिसिट और बढ़ेगा, जब डेफिसिट और बढ़ेगा तो आंकड़ों का झोल और बढ़ेगा, यह स्पष्ट दीखता है।

इसके अलावा 'कैग' के बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्ज़र्वेशन इस डिसइन्वेस्टमेन्ट के बारे में हैं। 'कैग' ने बड़ा क्लियरली इसमें कहा है और 2020 को जो 'कैग' की रिपोर्ट टेबल हुई थी, उसमें 'कैग' ने यह कहा है कि "Such disinvestments only resulted in transfer of resources already with the public sector to the Government and did not lead to any change in the stake of the public sector/Government in the disinvested PSU." एक कम्पनी से पैसे लेकर दूसरी कम्पनी की तरफ दे रहे हो, इसमें वह एक्चुअल रियल डिसइनवेस्टमेन्ट नहीं है, यह

'कैग' का ऑब्ज़र्वेशन है। जो 2019 की रिपोर्ट टेबल हुई है, उसमें 'कैग' ने Instances of wrong calculations, misleading figures, incorrect accounting procedures के बारे में मेन्शन किया है। यही बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूटीआई के मामले में करीब 1,400 करोड़ रुपये का आपने डिसइनवेस्टमेन्ट बताया है - स्पेसिफाइड अन्डरटेकिंग ऑफ यूटीआई, जो डिसइनवेस्टमेन्ट ही नहीं है, ऐसा 'कैग' का ऑब्ज़र्वेशन है। यही बात स्ट्रेटेज़िक डिसइनवेस्टमेन्ट के बारे में भी है कि जो 24 सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राइज़ेज़ हैं, उनमें आप 2017-18 में सिर्फ एक का डिसइनवेस्टमेन्ट कर पाये हो। एचपीसीएल से ओएनजीसी की तरफ वह हुआ था। इसमें क्या हो रहा है कि Sale of one CPSE to another CPSE हुआ है। आपने 51 परसेन्ट स्टेक एचपीसीएल का लिया और वह ओएनजीसी को दे दिया। आपने 52 परसेन्ट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का स्टेक लिया और वह पावर फाइनेन्स कॉरपोरेशन को दिया, आपने 100 परसेन्ट स्टेक टू इलेक्ट्रिक युटिलिटी कम्पनीज़ का एनटीपीसी को दिया। इससे क्या है, एक सरकारी कम्पनी से दूसरी सरकारी कम्पनी को आप पैसे दे रहे हो, इस तरह से आप इसमें घर-घर खेल रहे हो। यह कोई एक्चुअल डिसइनवेस्टमेन्ट नहीं है। यह जैसे बच्चे घर-घर खेलते हैं, वैसे आप घर-घर खेलने की कोशिश कर रहे हो और इसमें सही मायने में आपका डिसइनवेस्टमेन्ट का टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है और स्टैन्डिंग कमिटी ऑन फाइनेन्स ने 2018 में आपको बड़ी अच्छी बात कही थी - उन्होंने कहा था -"Please don't set up ambitious disinvestment target." उससे ड्यू डिलिजेन्स नहीं होता है, यह स्टैन्डिंग कमिटी की ऑब्ज़र्वेशन है, लेकिन आपने किसी की बात सुननी ही नहीं है, ऐसा आपका एजेन्डा होगा तो सही मायने में काम नहीं हो सकता है। इसीलिए आप न तो ठीक से डिसइनवेस्टमेन्ट कर पा रहे हो, न संघ राज्य की जो बात है - संघ राज्य की बात हमने बहुत बार सुनी, संघ राज्य व्यवस्था में राज्यों के हित की रक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन वह भी आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो। इसलिए जो सही मायने में आंकड़े रखने चाहिए थे, वे आप रख नहीं पाये।

माननीय वित्त मंत्री जी ने कल लोक सभा में जो बात की, राज्यों के जीएसटी के बारे में बात हुई थी। अभी भी महाराष्ट्र के हिस्से का करीब 20 हज़ार करोड़ रुपये का जीएसटी पेन्डिंग है, वह आप कब देने वाले हो, इसका जवाब हमें आपसे चाहिए। यह सब करते वक्त आपने इनडिविजुअल को टैक्स में कोई राहत नहीं दी। हमें अपेक्षा यह थी कि एक साल से कोरोना की महामारी में लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, इनडिविजुअल को मदद मिलेगी, राहत मिलेगी, लेकिन वह राहत दूर-दूर तक इसमें मिली नहीं है।

महोदय, पेट्रोल और डीज़ल से अगर देखा जाए तो 2014-15 में आपको 78 हज़ार करोड़ रुपये मिले और अभी लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपये आपको मिले। जब भी पेट्रोल, डीज़ल के दाम कम करने की बात होती है, तो आप कहते हो कि राज्यों को कम करना चाहिए। पिछले 5-6 सालों में राज्यों ने टैक्स नहीं बढ़ाया है तो राज्य कहां से कम करेंगे, आपने राज्यों को टैक्स बढ़ाने का मौका ही नहीं दिया। आप ही हर वक्त टैक्स बढ़ाते चले गये और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ कम होने के बाद भी अगर आप पेट्रोल, डीज़ल और गैस के दाम कम नहीं करोगे तो सही मायने में आम लोगों के साथ यह राहत की बात नहीं है, यह बात पूरी तरह से आम लोगों के खिलाफ है।

इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं यहाँ पर एक बात रखना चाह रहा हूँ कि इस कोरोना की महामारी में इस सरकार द्वारा जो मदद होनी चाहिए, वह नहीं हुई। किसानों को जो राहत देनी चाहिए - पिछले कई दिनों से किसान वहाँ पर बैठे हैं। न उनकी बात आप सुन रहे हैं और न जो एक्ट पास हुए हैं, उसमें बदलाव की बात आप कर रहे हैं। किसान परेशान है, गृहिणी परेशान है, आम आदमी परेशान है और आप कह रहे हैं कि यही अच्छे दिन हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात है कि जहाँ पर लोगों को राहत देनी चाहिए, वह राहत आप दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं आपके सामने यहाँ पर राहत इंदौरी जी का एक शेर रखना चाहूँगा और अपनी बात को यहाँ पर खत्म करूँगा। राहत इंदौरी जी ने कहा था कि:

"कुछ और काम उसे आता ही नहीं शायद
मगर वह झूठ बहुत शानदार बोलता है।"

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। आदरणीय उपसभाध्यक्षा जी को और सभी साथियों को यहाँ पर मेरी बात सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे वित्त बिल पर सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

महोदया, मैंने पूर्व में भी इस सदन में कहा था कि भारत कोविड की महामारी से एक अमर पक्षी के रूप में उजागर हो रहा है। इस कोविड महामारी ने जहाँ एक तरफ विश्व की महाशक्तियों की अर्थव्यवस्था को कुचल कर रख दिया, जहाँ विश्व के कई नेताओं ने इस कोविड के सामने अपने घुटने टेक दिये, वहीं भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 6 महीने के अन्दर भारत की अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर आ रही है। यह केवल दोबारा पटरी पर नहीं आ रही है, बल्कि विकास के पहिये आगामी विकास के लिए निरन्तर अग्रसर हो रहे हैं और आंकड़े भी इसी बात की पुष्टि करते हैं।

आज बड़े गर्व की बात है कि विश्व में वैक्सीन का जो उत्पादन हो रहा है, उसका 60 प्रतिशत उत्पादन हमारे भारत की माटी से हो रहा है। यह वैक्सीन एक स्वास्थ्य-सेतु के रूप में - हमारा भारत विश्व के सारे देशों को मोतियों की एक ही माला में पिरोकर एक स्वास्थ्य-सेतु के रूप में उभर रहा है, क्योंकि हमारा भारत 72 देशों को वह वैक्सीन निर्यात कर रहा है। आज दिन-प्रतिदिन हमारे देश के 25 से 30 लाख नागरिकों का टीकाकरण किया जा रहा है और आने वाले दिनों में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा कि विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान अगर कहीं रचा जा रहा है, तो वह हमारे भारत में रचा जा रहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, केवल यही नहीं, आज अगर हम अर्थव्यवस्था को देखें, तो हम लोग करीब-करीब 96 प्रतिशत pre-Covid level तक पहुँच चुके हैं। International Monetary Fund ने भी अपने statement में कहा है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में, 2021-22 में पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश होगा, जहाँ हम लोग double digit growth का अनुभव करने वाले हैं। यूके जैसा देश केवल 4.5 प्रतिशत तक सीमित रहेगा, फ्रांस केवल 5.5 प्रतिशत तक सीमित रहेगा, यूएस केवल 6 से 7 प्रतिशत तक सीमित रहेगा, लेकिन भारत में 11 से 12 प्रतिशत घरेलू विकास

की दर की वृद्धि हम अगले वर्ष में अनुभव करने वाले हैं। यह आगामी जीत का पहला पड़ाव है। हम वे green shoots देख रहे हैं, जैसा वित्त मंत्री जी कह रही थीं। पिछली तिमाही में आधा प्रतिशत घरेलू उत्पाद की दर की वृद्धि हम देख चुके हैं और अब मैं मानता हूँ कि हमारा भारत दोबारा पीछे नहीं देखने वाला है। मुझे स्वामी विवेकानन्द जी के शब्द याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था, and I quote, "Arise, awake and stop not till the goal is reached." यही हमारी सरकार का मूल मंत्र है।

[**उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा)** *पीठासीन हुए*]

महोदय, अंग्रेज़ी में एक कहावत है, 'Smooth seas do not make skillful sailors', और यह असलियत है। सरकार की असली पकड़, सरकार की असली क्षमता, सरकार का असली इम्तिहान तब होता है, जब हम लोग एक तूफान से निपट कर भारत की 130 करोड़ जनता की रक्षा कर पाते हैं। प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार ने इस समय को एक सुनहरे अवसर के रूप में इस्तेमाल करके केवल reforms की छड़ी नहीं लगाई, बल्कि reforms की छड़ी के साथ-साथ जो उतना ही आवश्यक था कि इस महासंकट के समय में हम लोग अधिक-से-अधिक खर्च करें, ताकि हम लोगों को इस मंदी के दलदल से उबार पाएँ - वह भी किया। संसाधन की कमी जरूर रही हो, लेकिन सम्बल देने में हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं रखी।

महोदय, अभी काँग्रेस के मेरे साथी ने डिमांड की बात कही। यह सत्य है कि डिमांड उत्पन्न करनी है और उसी लक्ष्य के साथ हमारी वित्त मंत्री, हमारे प्रधान मंत्री जी ने 5 mini Budget की घोषणा की। उसके बाद बजट और वित्तीय बिल आया। इस तरह से आठ महीने के अंदर 27 लाख करोड़, यानी GDP का 14 प्रतिशत देश की आम जनता के खर्चे के लिए अपने शासन के आधार पर आवंटित किया। यह वही सरकार कर सकती है, जिसका प्रण, जिसका पथ अंत्योदय हो, जिसकी सोच-विचारधारा, जिसकी वास्तविकता दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों का उत्थान हो।

महोदय, आज aggregate demand के बारे में बात की गई। जब आर्थिक संकट आता है, तो उसका प्रभाव aggregate demand पर जरूर पड़ता है। महामारी जैसा आर्थिक संकट तो इस विश्व के इतिहास में किसी देश ने नहीं देखा, विश्व ने नहीं देखा। जब ऐसा महासंकट आता है, तो उसका प्रभाव aggregate demand पर जरूर पड़ता है, लेकिन मैं वित्त मंत्री जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बुद्धिमत्ता के साथ एक ऐसा बजट, एक ऐसा Finance Bill पेश किया, जिसमें उन्होंने तय किया कि ज्यादा-से-ज्यादा धनराशि हमारे देश के गरीबों की पॉकेट में, किसानों और महिलाओं के पास पहुँच पाए।

महोदय, यहाँ पर demand के बारे में बात की गई थी। 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' के तहत हमारी सरकार के द्वारा 1 लाख, 70 हज़ार करोड़ रुपए 40 करोड़ गरीबों के खाते में पहुँचाये गये। lockdown के समय से 80 करोड़ गरीबों को निशुल्क अनाज दिया गया, ताकि उनका चूल्हा उस समय भी जल सके। 5 हज़ार करोड़ रुपए 50 लाख street vendors, रेहड़ी वालों के लिए आरक्षित किए गए और 3 महीने हमारी 20 करोड़ महिलाओं को अधिक से अधिक

राशि मिल पाए, इसके लिए 1,500 रुपए एक-एक महिला के खाते में पहुँचाये गये - यह संवेदनशीलता का परिचय है।

महोदय, इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि Income Tax rates में एक प्रतिशत बढ़ोतरी भी नहीं की गई। बजट के पहले बड़े अनुमान लगाए जा रहे थे, मैं भी सुन रहा था, मेरे विपक्ष के साथी भी सुन रहे थे - आपातकाल की स्थिति है, कोविड टैक्स लागू किया जाएगा, गरीब की पॉकेट पर और बोझ डाला जाएगा, लेकिन देश के गरीबों की तरफ से मैं वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि इस बजट में इन्कम टैक्स रेट्स में एक परसेंट भी बढ़ोतरी नहीं की गई। केवल यही नहीं, बल्कि खर्च की कोई चिंता नहीं की गई, पूरा खर्चा किया गया - Fiscal deficit साढ़े नौ प्रतिशत तक भी बढ़ पाए, लेकिन पूरा खर्चा किया गया, ताकि माँग बढ़ जाए, अर्थव्यवस्था ठीक हो पाए।

महोदय, अब काँग्रेस के मेरे साथी कहते हैं कि बजट केवल अमीरों के लिए है। अब जो काँग्रेस पार्टी अपनी जी-23 की पीड़ा न समझ पाए, वह देश के गरीबों की पीड़ा क्या समझ पाएगी! आँख मूँदकर विरोध करना, क्या यह विपक्ष की भूमिका है? ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please, please. ...*(Interruptions)*...

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : आप टीका-टिप्पणी जितनी भी करिए। ...(**व्यवधान**)... हमने आपकी बात पूरी तरह सुनी, आपको भी हमारी बात सुनने की क्षमता रखनी होगी। ...(**व्यवधान**)... क्या विपक्ष का दायित्व यही है कि रिफॉर्म्स पर स्पीड ब्रेकर लगाया जाए। उपसभाध्यक्ष महोदय, अब विपक्ष के द्वारा बयानबाजी बहुत होती है। मोदी टैक्स, मोदी टैक्स, मोदी टैक्स! यह मोदी टैक्स क्या है, मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूँ। जब 2013-14 में इनकी सरकार थी ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य : आप मंत्री थे। ...(**व्यवधान**).

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please, please. ...*(Interruptions)*...

श्री ज्योतिदादित्य एम. सिंधिया : हाँ, मैं मंत्री था। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष महोदय, 2013-14 में जिस व्यक्ति की आय पाँच लाख रुपए थी, उसे 30,000 रुपए टैक्स में देने होते थे और आज वही व्यक्ति, जिसकी आय पाँच लाख रुपए है, उसे शून्य रुपए टैक्स में देने होते हैं। यह है मोदी टैक्स। ...(**व्यवधान**)... इन्होंने 75 साल में हमारे 75 वर्ष की आयु के बुजुर्गों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, लेकिन आज मोदी सरकार के समय में 75 वर्ष की आयु के लोगों का टैक्स शून्य कर दिया गया है, यह है मोदी टैक्स। वे नौजवान, जो स्टार्टअप से शुरुआत करते हैं, उन्हें एक साल की रियायत दी गई थी, उस रियायत को एक साल के लिए और बढ़ाया गया है, यह है मोदी टैक्स और जो छोटे लोग अपना घर खरीदते हैं, उन्हें होम लोन्स पर डेढ़ लाख रुपए की रियायत दी जाती थी, उसे भी एक साल के लिए और बढ़ाया है, यह है मोदी टैक्स।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ आम आदमी की पीड़ा की बात करने से उनकी पीड़ा कम नहीं होती, बल्कि ठोस कदम उठाने से उनकी पीड़ा कम होती है। एक मशहूर अर्थशास्त्री, जिन्हें विश्व भर के economists follow करते हैं, John Maynard Keynes, उन्होंने कहा था कि अगर हमें आर्थिक संकट के समय चक्रव्यूह से निकलना है, तो हमें अधोसंरचना पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करना होगा। क्यों? क्योंकि, इसका multiplier effect होता है, इससे डिमांड बढ़ती है और इसी एक concept, इसी एक सोच, इसी एक विचारधारा को अपनाकर हमारी सरकार ने बजट और वित्तीय बिल, दोनों में अधोरंचना को मूल मंत्र मानकर सामाजिक बुनियादी ढांचे और भौतिक मूल ढांचे, दोनों को प्राथमिकता दी। जैसे सड़कों के क्षेत्र में, पावर ग्रिड के क्षेत्र में।

महोदय, मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के बजट में हमारी सरकार पूँजीगत व्यय में 35 प्रतिशत की वृद्धि लेकर आई है। इस साल Capital Expenditure 4,12,000 करोड़ से बढ़ाकर साढ़े पाँच लाख करोड़ किया जाएगा। डिमांड के लिए जो माँग की जा रही थी, यह Capital Expenditure में 34 प्रतिशत की ग्रोथ, उस डिमांड को लेकर आएगी। अगर हम सड़कों के क्षेत्र की बात करें, तो 2013-14 में सड़क परिवहन विभाग के लिए 33,264 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और इस साल के बजट में सड़कों के क्षेत्र के लिए 1,08,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह तीन गुना ज्यादा है। अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र को भी देखें, क्योंकि कोविड का समय है, यूपीए सरकार ने 2013-14 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 33,280 करोड़ रुपए आवंटित किए थे और इस वर्ष मोदी जी की सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह छः साल में 570 प्रतिशत वृद्धि है। केवल यही नहीं, जहाँ एक तरफ 'आयुष्मान भारत' था, वहीं दूसरी तरफ उसी के साथ बजट में स्वास्थ्य की एक नई योजना 'आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत' की घोषणा की गई है। 35 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति लाई गई है। अभी मेरे साथी, मनोज झा जी शिक्षा की प्रणाली के बारे में कह रहे थे। यह नई शिक्षा नीति उस शिक्षा की प्रणाली को एक नई सोच और विचारधारा के साथ आगे बढ़ाएगी।

केवल यही नहीं, बल्कि कृषि के क्षेत्र के बारे में भी बहुत चर्चा की गई। उसकी बार-बार चर्चा की जाती है और वह होनी भी चाहिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में कई लोग उठकर कृषि और किसान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2004 में स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट उस समय की सरकार को पेश की गई थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग आज यहाँ उठकर किसानों की दुहाई की बात चिल्ला-चिल्लाकर कर रहे हैं, उन्होंने 10 साल सरकार में रहकर स्वामीनाथन रिपोर्ट का क्रियान्वयन क्यों नहीं किया? ...(**व्यवधान**)... ये 10 साल सरकार में थे।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please. *...(Interruptions)...* Nothing is going on record. *...(Interruptions)...*

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, जब सच्चाई बोली जाती है,...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, address the Chair. ...*(Interruptions)*...

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको ही देख रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please. ...*(Interruptions)*... Dola*ji*, please. ...*(Interruptions)*... Please address the Chair. ...*(Interruptions)*...

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... and I am not yielding. जब सच्चाई बोली जाती है, *...(**व्यवधान**)... मैं समझता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

यहाँ एमएसपी की बात की गई। मैं बताता हूँ कि हमारी सरकार ने एमएसपी के लिए छः साल के अंदर क्या किया है। छः साल के अंदर एमएसपी की लागत में डेढ़ गुना बढ़ोतरी की गई है। हम लोग उत्पादन की बात करते हैं। यूपीए सरकार, कांग्रेस की सरकार के समय में गेहूँ के लिए 23,880 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जबकि इस वर्ष 75,000 करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया है, जो ढाई गुना ज्यादा है।

अब हम दालों की बात करें। यहाँ किसानों के बारे में बहुत बातें की जा रही हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, जब मैंने ये आँकड़े देखे, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि वर्ष 2013-14 में दालों के लिए केवल 236 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जबकि इस वित्तीय वर्ष में दालों के लिए किसानों को 10,530 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जो कि 40 गुना ज्यादा है।

हम कपास की बात करें, क्योंकि अभी महाराष्ट्र के मेरे भाई बोल रहे थे। महाराष्ट्र कपास का उत्पादन-क्षेत्र है। यहाँ कराड़ साहब बैठे हुए हैं। वर्ष 2013-14 में कपास के किसानों को 90 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, जबकि आज इस वित्तीय वर्ष में, मोदी सरकार के नेतृत्व में कपास के किसानों को 25,980 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। यह 300 गुना ज्यादा है। 'किसान सम्मान निधि' के तहत एक-एक गरीब किसान के खाते में 1,13,000 करोड़ पहुँचाया गया। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव सातव : 15 लाख रुपये का क्या हुआ? ...(**व्यवधान**)...

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : किसानों का जो फसल का नुकसान हुआ है, ...(**व्यवधान**)... 15 लाख की बात करें, तो मैं महाराष्ट्र की बात करूँगा, जो पिछले तीन-चार दिनों में आपकी सरकार की रिपोर्ट निकल रही है ...(**व्यवधान**)... राजीव जी, मेरा मुँह मत खुलवाना, नहीं तो मैं शुरू हो जाऊँगा। ...(**व्यवधान**)...

---

* Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please address the Chair. ...*(Interruptions)*...

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : * ...(**व्यवधान**)... मेरा मुँह मत खुलवाना। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय सिंधिया जी, ...(**व्यवधान**)...

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : आप 15 लाख की बात करते हो! ...(**व्यवधान**)... आप 100 करोड़ का हिसाब दो। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member ...*(Interruptions)*.. Scindia*ji*, please ...*(Interruptions)*... Karad*ji*, please sit down. ...*(Interruptions)*... Hon. Members, please sit down. ...*(Interruptions)*... Scindia*ji*, please address the Chair. ...*(Interruptions)*...

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : यह केवल एक शहर मुम्बई की बात है, बाकी प्रदेशों का क्या हाल होगा? ...(**व्यवधान**)... आप मेरा मुँह मत खुलवाना। ...(**व्यवधान**)... क्या मैं आपकी बात सुनकर बैठ जाऊँ? ...(**व्यवधान**)... मैं तो अपना मुँह और भी खोलूँगा। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Leader of the House ...*(Interruptions)*... Please take your seats. Excepting what the hon. Member says, nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... Priyanka*ji*, please. *(Interruptions)*... Hon. Member, please address the Chair. ...*(Interruptions)*...

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : ये तो गरीब लोगों से, रेस्टोरेंट वालों से वसूली कर रहे हैं और 15 लाख की बात करते हैं! ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please address the Chair.

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सदन में पेट्रोल और डीज़ल के दामों को लेकर बात उठायी गई थी ...(**व्यवधान**)... पेट्रोल और डीज़ल के दामों का बहुत मुद्दा उठा था। यह असलियत है कि दाम बढ़े हैं, पर यह भी असलियत है कि जो बढ़ोतरी हुई है, उसका बंटवारा क्या हुआ है? लोगों की आंखों में धूल झोंकने की भी एक सीमा होती है। ...(**व्यवधान**)... आज पेट्रोल और डीज़ल के दाम की जो राशि मिलती है, उसका अगर आप खर्चा निकालें, तो खर्चा निकालने

* Expunged as ordered by the Chair.

के बाद 40 प्रतिशत राज्य को मिलता है और 60 प्रतिशत केन्द्र को मिलता है। यहां वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं, अगर मेरे आंकड़ों में कोई गलती हो, तो वे मुझे ज़रूर सही करें। 40 प्रतिशत राज्य को मिलता है, 60 प्रतिशत केन्द्र को मिलता है, लेकिन जो 60 प्रतिशत केन्द्र को मिलता है, उसमें से भी फाइनेंस कमीशन के नियम के अंतर्गत 42 प्रतिशत दोबारा राज्य को जाता है। असलियत यह है कि राज्य को 40 प्रतिशत नहीं मिलता है, बल्कि राज्य को उस राशि का 64 प्रतिशत मिलता है और केन्द्र को केवल 36 प्रतिशत मिलता है। आज पेट्रोल और डीज़ल के दाम की जो दुहाई दी जाती है, विपक्ष अपने राज्यों में पेट्रोल और डीज़ल के दाम क्यों नहीं कम करता है? ...(**व्यवधान**)... आप क्यों कम नहीं करते? ...(**व्यवधान**)... महाराष्ट्र में तो पेट्रोल और डीज़ल के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please.

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : आप लोग यहां सरकार को दुहाई दे रहे हैं ...(**व्यवधान**)... स्वयं कोई कदम नहीं उठाते।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, you please address the Chair; ....*(Interruptions)*... Hon. Members, please take your seats. ...*(Interruptions)*... Scindia*ji*, please address the Chair. ..*(Interruptions)*... Hon. Members, please. Thank you.

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिनके ...(**व्यवधान**)... जिनके घर शीशे के होते हैं, वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते।

उपसभाध्यक्ष महोदय, विषय यह है कि हमने कृषि क्षेत्र में भी आयात की कुछ वस्तुओं पर the Agriculture Infrastructure and Development Cess (AIDC) ज़रूर लागू किया है, उसका कारण यह है कि हम कृषि की अधोसंरचना में बढ़ोतरी कर पाएं, हम उत्पाद की food value chain में किसानों को आगे बढ़ा पाएं। सरकार ने यह नीति बनायी है कि अधोसंरचना ही 'आत्मनिर्भर भारत' की नींव हो सकती है। महोदय, अगर मकान मज़बूत करना है, तो उसकी नींव भी मज़बूत होनी होगी। इसलिए International Monetary Fund ने भी अपने वक्तव्य में सरकार के बजट के बारे में कहा है, "The Union Budget rightly focusses on health, education, public infrastructure and, if fully implemented, can help increase India's growth potential. We welcome the Indian Government Budget's focus on growth". महोदय, सिर्फ डिमांड बढ़ाने से हमारा कार्य समापन नहीं होता, डिमांड के साथ हमें सप्लाई साइड और उत्पादकता को भी बढ़ाना होगा। Modern Monetary Theory (MMT) भी इसी की वकालत करती है कि हर देश को रोज़गार उत्पन्न करने के लिए अधिक से अधिक goods and services का उत्पादन करना होगा और यही एक संतुलन हम वित्तीय बिल में देखते हैं, जहां हम demand side measures and supply side measures का संतुलन देख रहे हैं। हम लोग सप्लाई साइड में क्या कदम उठा रहे हैं। Ease of Doing Business प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक मुख्य अंग होता है। वर्ष 2014 में

भारत का रैंक Ease of Doing Business में 142 पर था, पिछले वर्ष भारत का रैंक 63 पर पहुंच चुका है और आज भी वह विकास और प्रगति कर रहा है। हमारे MSME sector के लिए, छोटे, मध्यम एवं लघु उद्योगों के लिए 20 हज़ार करोड़ रुपये का सरल ऋण हमारे द्वारा उपलब्ध कराया गया है और 14 साल बाद MSMEs की भी परिभाषा इस सोच और विचार के आधार पर बदली गई है कि आज का SME कल का MNC बन सकता है।

हम चाहते हैं कि एक सिस्टेमिक परिवर्तन हो और वह सिस्टेमिक परिवर्तन तभी संभव हो पाता है जब हम जटिल टैक्स फाइलिंग प्रोसीजर्स को सरल बना पाएं। हम बिजली, इश्योरेंस, रक्षा के क्षेत्र में FDI ले आए हैं, GST का क्रियान्वयन हुआ है, Insolvency and Bankruptcy Code और इन सभी दूसरे-दूसरे अंगों का एक ही मकसद है, वह यह कि व्यवसायों को दक्षता या efficiency में हम बढ़ोतरी कर पाएं। यदि हम efficiency and competitiveness की बात करें, तो यह किसी भी संस्था या सरकार की नींव होनी चाहिए। अगर मार्किट में सरवाइव करना है, तो दक्षता और competitiveness के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। यही कारण है - क्योंकि efficiency and competitiveness में कमी हुई कि आज हमारे कई PSUs assets के बजाय liability बन चुके हैं। महोदय, सरकार ने पांच public sector companies का विनिवेश करने का फैसला लिया है, लेकिन इस पर भी बहुत विरोध और चिंता है। यह चिंता जायज़ है, लेकिन मैं विरोध की परिभाषा समझ नहीं पाया हूं, क्योंकि 2007 में जब यूपीए सरकार ने अपना National Common Minimum Programme जारी किया था - मैं अभी अपने भाई राजीव जी, दीपेन्द्र जी, प्रफुल्ल पटेल जी को सुन रहा था और प्रफुल्ल पटेल जी ने तो कहा कि "I am not against disinvestment."

महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं National Common Minimum Programme का एक अंश पढ़ना चाहता हूं, and I quote, "The UPA will induct private industry to turn around companies that have potential for revival."

यूपीए सरकार सरकारी कम्पनियों के निजी निवेश को लाएगी।

"The UPA Government believes that privatization should increase competition, not decrease it." *...(Interruptions)..* यूपीए सरकार की विचारधारा है कि privatization के आधार पर ही competition increase हो। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Members, please. *...(Interruptions)..* Hon. Jairamji. *...(Interruptions)..* Hon. Member, please continue. *...(Interruptions)..* Jairamji, please. *...(Interruptions)..* Hon. Member, please continue. *...(Interruptions)..*

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं repeat करूंगा। These lines are worth repeating for all that we have been hearing from them for the last three hours, "The UPA will induct industry to turn around companies that have potential for revival." This is sentence number one. The sentence number two is, "The UPA Government believes that privatization should increase competition not decrease it."

Sentence number three is, which is most important, "Public sector companies and nationalized banks will be encouraged to enter the capital market to raise resources and offer new investment avenues to retail investors." ...*(Interruptions)*.. महोदय, अब इनका ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें ...(**व्यवधान**)....

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Jairamji, please.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, he is quoting me. ...*(Interruptions)*.. I have a right to reply. ...*(Interruptions)*..

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : इतने बड़े विशेषज्ञ हैं, मैं इनके सामने क्या कह सकता हूं?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please address the Chair. ...*(Interruptions)* ...

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : जो ऑथर हैं, वे स्वयं कह रहे हैं कि मैं ऑथर हूं। ...(**व्यवधान**)... उपसभाध्यक्ष महोदय, 1991 से 1996 तक इनका क्या रिकॉर्ड रहा - Disinvestment proceeds 9,961 करोड़ रुपए। कितनी कम्पनीज़ बेचीं? 31 कम्पनीज़ बेचीं, IOC, BPL, BPCL, HPCL, GAIL, BSNL. अगला कार्यकाल 2004 से 2009, 8,516 करोड़ रुपए। कौन से PSUs बेचे - NTPC, Power Finance Corporation, Power Grid Corporation' Rural Electrification Corporation, Hindustan Petroleum Corporation, Bhart Petroleum Corporation ... (**व्यवधान**)....

श्री जयराम रमेश : गलत बोल रहे हैं ...(**व्यवधान**).... He is distorting. ...*(Interruptions)*..

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया: जयराम जी, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं?...(**व्यवधान**)... आप इतना उत्तेजित मत होइए। ...(**व्यवधान**)... 2004 से 2009, फिर आप 2009 से 2014 पर आइए। एक लाख करोड़ रुपये का विनिवेश, कौन-सी कंपनीज़, ऑयल इंडिया लिमिटेड...(**व्यवधान**)... Disinvestment का मतलब विनिवेश होता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री जयराम रमेश: प्राइवेटाइज़ेशन का ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : ऑनरेबल मेम्बर जयराम जी...(**व्यवधान**)...प्लीज़

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं रिपीट कर रहा हूं कि 2009 से 2014 तक एक लाख करोड़ रुपये का विनिवेश किया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया

लिमिटेड, हिन्दुस्तान कॉपर, नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीएचईएल, ...(**व्यवधान**)... इसके बाद हम यहां भाषण सुन रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान) : जयराम जी, रूल 235 (2) के अनुसार आप interrupt नहीं कर सकते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया: उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मैं तो इनसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार आपके अधूरे सपनों को ही पूरा कर रही है। विनिवेश का क्या कारण होना चाहिए? यह मूल मंत्र है, जिसमें मुझे लगता है कि आपको भी कोई आपत्ति नहीं होगी। Capital Assets का विनिवेश तभी होना चाहिए, जब हम लोग सामाजिक और भौतिक अधोसंरचना और मानव संसाधन का विकास कर पाएं, ताकि उस विनिवेश के आधार पर सरकार जो निवेश करेगी, उससे सरकार और हम देश में नए capital assets पैदा कर पाएंगे। महोदय, इस सरकार की सोच और विचारधारा है कि विनिवेश देश बेचने की नहीं, बल्कि देश बनाने और बढ़ाने की नीति है। मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है, क्योंकि यहां सरकार इस कोरोना की महामारी के वातावरण में आपदा में विकास के अवसर ढूंढ़ रही है और विपक्ष वहां पर बैठकर आपदा में राजनीति करने का अवसर ढूंढ़ रहा है। अब वास्तविकता यह है कि इन्होंने केवल पीएसयूज़ को ही खोखला नहीं किया, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का भी यही हाल किया। मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। वर्ष 2010 से 2015 तक महंगाई की दर -- आज जो महंगाई की बात की जा रही है, उन पांच सालों में महंगाई की दर 10 प्रतिशत होती थी और मोदी जी की सरकार आने के बाद से, 2015 से आज तक महंगाई की दर एवरेज चार प्रतिशत रही है। हम महंगाई की दर की बात करें, bad-loans की बात करें, तो पुरानी कहावत यह है कि "लम्हों ने ख़ता की थी और सदियों ने सज़ा पाई।" सर, bad-loans कि प्रक्रिया की शुरुआत यूपीए सरकार के समक्ष हुई थी और आर.बी.आई. के पूर्व गवर्नर श्री रघुराम राजन जी को मेरे कांग्रेस के साथी बार-बार क्वोट करते हैं, उनका ही क्वोट मैं उनके समक्ष रखना चाहता हूं, 'Most bad loans were from the UPA era.' और पार्लियामेंटरी पैनल को हमारे former Reserve Bank of India के Governor ने स्टेटमेंट दी, मैं उसको भी क्वोट करता हूं, 'A large number of bad loans originated in the period of 2006 to 2008.' उस समय किसकी सरकार थी? इसका जवाब इन्हें देना होगा और अपनी गलतियों का पोथा दूसरे पर मढ़ देने की आदत से विपक्ष को उबरना होगा। महोदय, मैं मानता हूं कि देश का हर नागरिक देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी "भारतीय जीवन बीमा निगम" का हिस्सेदार बनेगा, तो उसे गर्व महसूस होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इसी सोच के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ के लिए आवश्यक 27 संशोधन हम लोग इस वित्तीय बिल में लेकर आए हैं। इसके तीन फायदे हैं। पहला फायदा है कि हर खाताधारक और आम जनता को निवेश करने का मौका एलआईसी में मिलेगा। दूसरा फायदा यह कि प्राइवेट पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा, जो कि आज समय की सबसे ज्यादा आवश्यकता है और तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि एलआईसी में भी जो बाकी विदेशी स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक जवाबदेही और

पारदर्शिता है, वह पारदर्शिता और जवाबदेही भी आईपीओ के बाद हम एलआईसी में ला पाएंगे, इसकी भी बहुत आवश्यकता है। इस सदन में भी बहुत सारी चिंताएं उठी हैं और वे जायज़ हैं, पर उन सभी चिंताओं पर वित्त मंत्री जी ने विराम लगाया है, जब उन्होंने कहा कि आईपीओ के बाद भी बहुसंख्यक शेयरधारक सरकार ही रहेगी और एलआईसी कम्पनी का प्रबंधन और नियंत्रण भी सरकार के पास ही रहेगा। इसके साथ एक और चिंता है, जिसे मेरे साथियों ने उजागर नहीं किया, लेकिन मैं उजागर करना चाहता हूं। अनुच्छेद-37 के आधार पर, जो LIC Act का अनुच्छेद-37 है, उसमें एक sovereign guarantee का प्रावधान है कि खुदा न करे, लेकिन अगर कभी भी default हो, तो हर खाताधारक का पैसा सरकार चुकाएगी। यह विश्वास इस सदन में वित्त मंत्री जी ने दिलाया है कि अनुच्छेद-37, sovereign guarantee का वादा बरकरार है और एक-एक खाताधारक का अधिकार सुरक्षित रखा जाएगा, यह सरकार का प्रण और संकल्प है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस वित्तीय बिल में एक और महत्वपूर्ण पहलू है। सरकार की चाहत है कि टैक्स सिस्टम को हम जड़ से मजबूत करें। इसके कई पहलू हमें देखने को मिले हैं। उदाहरण के तौर पर जनवरी के माह में जीएसटी कलेक्शन 1 लाख, 20 हज़ार करोड़ रहा, जो राजस्व संग्रह के इतिहास में आज तक सबसे अधिक रहा है। यह इसलिए नहीं हुआ कि हमने टैक्स रेट्स बढ़ाए हैं। यह इसलिए हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने दक्षता बढ़ाई है, efficiency बढ़ाई है - electronic invoicing के द्वारा, Artificial Intelligence जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके, कर की चोरी में कमी लाकर। उसी के साथ दूसरा अंग है कि देश में आज कोर्ट्स में लगभग 4 लाख, 83 हज़ार टैक्स के केसेज़ अभी भी लम्बित हैं। इस मुश्किल को भी पार करने के लिए 21 जनवरी, 2021 तक 1 लाख, 20 हज़ार लोगों ने 'विवाद से विश्वास' स्कीम के अंतर्गत 95 हज़ार करोड़ रुपये के tax disputes का समाधान करके सरकार को वह राशि उत्पन्न करने का काम किया है। हमारी सोच और विचारधारा यह भी है कि हमें करदाताओं की संख्या बढ़ानी होगी, जो tax GDP ratio की बात की गई है, लेकिन हमारी सोच यह भी है कि संस्कृत में लघु सूत्र है - 'अति सर्वत्र वर्जयेत्' - अति करने से भी कभी-कभी हानि हो जाती है। इसलिए tax friendly measures को आगे लेते हुए 'विवाद से विश्वास' नीति की तरह एक Dispute Resolution Committee भी बनाई गई है, ताकि छोटे करदाताओं को अपीलीय प्रक्रिया से गुज़रे बिना हम लोग मामलों का समाधान कर पाएं। हम tax assessment में भी बहुत तरीके से changes लाए हैं, जैसे हमने 6 साल से 3 साल tax assessment की अवधि कम की है, tax compliances को भी सरल बनाने की कोशिश की है, पांच करोड़ के टर्नओवर - जिन कंपनियों के 95 प्रतिशत digital transactions होते हैं, उनको audited tax statements/accounts देने की जरूरत नहीं होती है, उसकी अवधि को हमने 10 करोड़ के टर्नओवर की कम्पनियों तक भी बढ़ा दिया है। हमारी सोच और विचारधारा है कि हम लोग सरलता और पारदर्शिता लाएं। जब पारदर्शिता की बात की जाती है, मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस बजट में और वित्तीय बिल में हमें जो पारदर्शिता देखने को मिली है, चाहे fiscal deficit के बारे में हो, जहां हमने साढ़े नौ प्रतिशत दिखाया है, चाहे food subsidy के बारे में हो, जो food subsidy का loan NSSF के द्वारा मिलता था, वह कभी भी बजट में दिखाया नहीं जाता था।

इस साल पूरा फूड सब्सिडी बिल दिखाकर साढ़े नौ प्रतिशत हमने फिस्कल डेफिसिट दिखवाया है। हमने जनता को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पारदर्शिता भेंट की है। उपसभाध्यक्ष

महोदय, इसी के साथ जो off-budget borrowings होते थे - यूपीए सरकार के समय में कोई भी off-budget borrowings बजट स्टेटमेंट में दर्शाया नहीं जाता था, उदाहरण के तौर पर जो oil bonds खरीदे जाते थे, oil marketing companies को बकाया राशि देने के लिए subsidies का उल्लेख कभी बजट में नहीं किया जाता था। इस साल उन oil bonds की भी पूरी राशि बजट में दिखाई गई है और पारदर्शिता का एक परिचय सरकार के द्वारा दिया गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह वित्त बिल, 2021 एक चुनौतीपूर्ण और असाधारण वातावरण में हम लोगों ने तैयार किया है। मुझे विश्वास है कि कोरोना एक setback देश के लिए, विश्व के लिए हुआ, परन्तु विश्व और देश इसे setback के रूप में नहीं, बल्कि इसे reset के रूप में देखेगा। इसके कई उदाहरण भी हैं। एक नई सोच, एक नई नीति, एक नई कार्यशैली लेकर हम लोग आगे आए हैं। सन् 1929 में जब great depression दुनिया में आया था, उस समय एक modern welfare State का परिचय विश्व में किया गया था। सन् 1945 में जब विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद International Monetary Fund and the World Bank जैसी संस्थाएं बनी थीं और मुझे विश्वास है कि इस कोरोना काल से जैसे हम उभर रहे हैं, उस reset बटन के साथ हमारी सोच में, विचारधारा में, प्राथमिकताओं में एक क्रांतिकारी बदलाव आयेगा और एक paradigm shift को मुख्य अस्त्र बनाकर हमारी सरकार आगे बढ़ेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि देश के लिए नीति बनती है, नीति के लिए देश नहीं और आत्मनिर्भरता हमारा संकल्प है। उसी के आधार पर "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" के मंत्र पर हमारी सरकार आगे कार्य करेगी। यह 2021 का भारत है, यह 2013 का भारत नहीं है। आज भारत को मान-सम्मान के दृष्टिकोण से पूरे विश्व में देखा जाता है। आज विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की एक सम्मानजनक जगह स्थापित हो चुकी है। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी और मुझे विश्वास है कि यह वित्तीय बिल, जो दमदार शुरुआत और दूरदर्शिता के साथ पेश किया गया है - 3Rs – Reform, Relief and Refresh की जुगलबंदी के साथ भारत में एक नई ऊर्जा की शुरुआत करेगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का संकल्प है - मैं तीन लाइनों से अपने भाषण को समाप्त करता हूं - हमारी सरकार का संकल्प है,

'आरजू बस यही है, मेरी हर सांस देश के नाम हो,
जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो,
जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, now Ms. Arpita Ghoshji. You have seven minutes and you will be speaking in Bengali.

सुश्री अर्पिता घोष (पश्चिमी बंगाल): सर, इनके तो आठ मिनट हुए थे हमारे पास 26 मिनट का समय है, हम समय को आपस में बांट लेंगे। हम कम ही बोलेंगे। Thank you very much Sir. अभी मेरे लोक सभा के कांग्रेस दोस्त राज्य सभा में आते-आते बीजेपी वाले बन गए। वे अभी एजुकेशन

बजट के बारे में बोल रहे थे। ...(**व्यवधान**)... आप मेरी बात सुनिए। आप बीच में क्यों बोलते हो? ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please address the chair.

सुश्री अर्पिता घोष: अभी माननीय सदस्य एजुकेशन बजट के बारे में बोल रहे थे। हम उनको एक छोटी सी चीज़ याद दिला देते हैं कि 2014 से 2020 तक एजुकेशन बजट में कितनी कटौती हुई है, शायद यह उनको पता होगा। एजुकेशन बजट में सिक्स परसेंट कटौती हो गई है लास्ट थ्री ईयर्स में - वे जो बोल रहे थे, वह सही नहीं है। अब मैं बंगाली में बोलूंगी, अपनी मातृभाषा में बोलूंगी, क्योंकि कुछ दिनों से हम इतना सोनार बांग्ला सुन रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम भी अपनी बंगाली भाषा में बोलेंगे। सर, आप बंगाली समझते भी हैं।

3.00 P.M.

* "I shall start from where my colleague, Ms. Dola Sen had concluded her speech. I will tell about how West Bengal has been deprived by the politics of the party in power that is BJP, which has already been mentioned by Ms. Dola Sen.

Firstly, it is not just about Bengal, rather elections are being conducted in five States at the moment; still, Parliament session is going on. It is very strange and it was not thought of in Parliament. If you kindly remember, during Corona epidemic, the lockdown was not declared at the proper time when it was needed because the act of toppling Madhya Pradesh Government was going on. This is their character and this is what they do. I wanted to highlight these two points to show that they reap political benefit from everything.

Ms. Dola Sen has said how Bengal has been deprived on every front – be it in the matter of allocation of funds or other factors. They are acting as 'Kalpaturu' – generous only because elections are being held in West Bengal. I have noticed that there has been no allocation in railways for Bengal in the budget, not even for the last year. 12 projects initiated by Mamata Banerjee, when she was Railway Minister, have been stopped including the wagon factory in Buniyadpur in Balurghat within my district of South Dinajpur. Every year since 2014 only a small amount of Rs.1000 is being allocated. What is the point of giving it?

Who has given the right to the BJP Government at the Centre to show disrespect to Bengal? They should have continued with these 12 projects but they did not do that. Now that elections are being held in Bengal, they have become 'Kalpataru' and very generous. You will understand the meaning of 'Kalpataru.'

* English translation of the original speech delivered in Bengali.

Many things are being said about the power of women in Bengal, about 33% reservation and all. Our Hon'ble Chief Minister, Mamata Banerjee started 'Kannyashree' project in 2013 and has spent Rs. 9400 crores so far on this account. But it is ironical that not a single rupee has been allocated for the Central Scheme of 'Beti Bachao, Beti Padhao' in this budget. All the expenditure is directed towards advertisement only.

Now let us have a look at the extent of politics and deprivation faced by Bengal. The Centre is depriving Bengal in the matter of procuring food grain from the States. While it procures 71 lac tonne from Uttar Pradesh, 64 from Haryana, 82 from Andhra Pradesh, 111 from Telangana, and 162 lac tonnes from Punjab, it procures less than 1 lac tonne from Bengal, though it produces about 2.5 Crore lac tonnes of food grain. And they are shedding tears for Bengal!" ... Did you say something, Sir?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Yes, I said, please address the Chair.

MS. ARPITA GHOSH: * "Yes, Sir, I am addressing the Chair, not anyone else. Sir, the important Ministers in the Central Government are shedding tears for the farmers in Bengal, but they cannot see the farmers in distress waiting for 100 days at the Singhu borders. 300 people have already died; still they do not shed tears for them as no election is being held in that area. It is just politics and it is all about Bengal only. There is a proverb in Bengali: "*Oti bar bero na, jhore pore jabe*" (Don't grow too high lest a storm makes you tumble down). If you grow too much, you may fall down within a minute. There is another proverb: "T*omare bodhibe je, Gokule barichhe se*" (the person who will kill you is getting brought up at Gokul). The farmers who are sitting there will bring an end to you.

Sir, almost everyone is saying that given the low GDP figures, the economic condition will go worse by 2025. Still, they are talking about big things and development. All of this is on paper only. If you put a question like what happened to the assurance given by the Prime Minister, there will be no answer. I had a look at this fact: when the Hon'ble Prime Minister was the Chief Minister of Gujarat in 2012, he tweeted about the rise of price of petrol and said that paying so much was impossible for the common man and that it was the greatest failure of the Congress-led UPA government at the Centre. Then why is it not a failure on their part now when the price of petrol has gone up so much?"

* English translation of the original speech delivered in Bengali.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, you have one minute.

MS. ARPITA GHOSH: One minute. We will manage. इतना कुछ किया है।

*"So, why is the States being asked about what they did? Sir, One minute. We will manage. I will conclude within a minute. Sir, we have been hearing that so much have been done for Corona. Have you heard anything being done for Bengal? We faced the devastating Amphan cyclone and how little we have got in aid for that! You know about PM Cares Fund but we do not know how the money in it has been spent."

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please. No cross talk, please …. *(Interruptions)* …. You address the Chair.

सुश्री अर्पिता घोष : सर, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगी। *"Sir, I will conclude now. Sir, the MPLAD amount was also there for two years and we do not know under which heads this money was spent. If it were given to Bengal, we could have used it for Bengal. They are doing politics only on the basis of numbers. I shall conclude with a final observation. Sir, the name 'Bikash' is being constantly used all over Bengal. Things have come to such an extent that people are not naming their children as 'Bikash', which is a popular name, as they cannot repose faith in the meaning of the word anymore." Thank you very much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you, hon. Member. Now, Shri Sujeet Kumar; you have three minutes.

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, we had 19 minutes, of which my Party colleague has taken 15 minutes. So, 19 minus 15 is 4.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): It is 16 minutes. Anyway, please continue.

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, we do recognize that the hon. Finance Minister had to present the Budget in very difficult times. We also appreciate that she did a balancing act with very good intentions. In fact, during the discussion on the Budget in this august House, I had conveyed my hon. Chief Minister, Shri Naveen Patnaik's appreciation of the growth focus of the Budget, of course, with some concerns.

---

* English translation of the original speech delivered in Bengali.

Sir, there are several good and progressive proposals and propositions in this Budget. In the interest of time, I will very quickly summarize some of the good direct tax proposals.

A reduction in time-limit for reopening of the income-tax assessment from six years to three years will definitely reduce tax terrorism, as they say, and give peace of mind to the taxpayer. The threshold for exemption from audit has been hiked from Rs. 5 crore to Rs. 10 crore for the business entities who have 95 per cent of their business in digital form. This will definitely incentivize more businesses to go digital and give a fillip to the digital ecosystem of the country.

Sir, the constitution of Dispute Resolution Committee will definitely help small and medium taxpayers from litigation. Much has been said about faceless ITAT. Extending the tax relief on affordable housing scheme is a welcome relief for the affordable housing customers. I will definitely make a special mention of the start-up incentive because I have been deeply involved in promoting the start-up ecosystem of the country and I definitely applaud the hon. Finance Minister for extending the relief to the start-ups.

But, Sir, I will be failing in my duty if I do not flag some of the concerns which I and my Party have, and I urge and request the hon. Finance Minister to reflect on some of these concerns.

Sir, the first concern which I have is regarding the increase in cess and surcharge which has increased ten-fold in the last couple of years which is definitely not in the spirit of cooperative federalism. In fact, it is a direct assault on the federal structure of the country, direct assault on the basic structure. Federalism is a part of the basic structure of our Constitution and this ten-fold hike in cess and surcharge is an assault on the federal structure.

Sir, a lot has been said about augmenting the tax base and increasing the efficiency in the tax administration. So, I need not repeat it. Sir, I will certainly make mention of the noise which has been made about giving tax relief to senior citizens. Sir, as the hon. Member from Andhra Pradesh was mentioning, it is only concession in the compliance; it is not concession in the tax. I would like to correct an hon. Member who previously said that there is no tax applicable for senior citizens above 75 years of age. That is incorrect, Sir. They have to definitely file tax and even the relief that has been announced comes with a lot of fine print and catch. It is applicable only to senior citizens who have interests on pension and interest from income. So, a lot more could have been done for the senior citizens.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, you need to conclude.

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, give me just one minute more.

Sir, my next concern is regarding the high petrol and diesel prices, which has been spoken about umpteen times in this House. This Government may consider reducing the excise component in the prices of diesel, which is currently as high as 39 per cent. This will hugely give relief to the common citizen.

Sir, I would like to certainly conclude by mentioning one important element. Though this discussion is on the Finance Bill and not on the Budget *per se*, I would like to highlight two points here. I had highlighted these during the discussion on the Budget as well.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, I would take just 30 seconds more. Sir, allocation for education has been reduced by six per cent over the last year. Way back in 1964, the Kothari Commission had recommended spending six per cent of India's Budget on education. Instead of allocating six per cent, you have reduced six per cent vis-a-viz the previous year. This is the year when we are rolling out the New Education Policy (P). This is the post Covid year. What message are we conveying to the country? Is it that the Government is not serious about education?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you, hon. Member.

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, as you know, education is the backbone of this country.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, you have made your point.

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, the worst part is, out of the Rs. 6,000-odd crore which has been reduced vis-a-viz last year, Rs. 5,000 crore has been reduced in the primary education sector.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. I will have to move on.

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, given that education, particularly primary education, is the backbone of any nation, I sincerely and fervently appeal to the hon. Finance Minister to reconsider this reduction in the budget for education.

SHRI NARAIN DASS GUPTA (National Capital Territory of Delhi): Thank you very much, Sir, for giving me an opportunity to speak on this important Finance Bill, 2021-22. I would just start with a few observations, drawing from the speech made by the earlier speaker. उन्होंने कहा कि विकास का पहिया बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर विकास का पहिया इतनी तेजी से बढ़ रहा है, तो महारत्नों को क्यों बेचा जा रहा है, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर अगर यह तेजी से बढ़ रहा है, हम मान लेते हैं कि यह तेजी से बढ़ रहा है, तो 73 per cent wealth one per cent residents के पास क्यों है? यह तेजी से बढ़ने का benefit किसको जा रहा है?

यहाँ income tax के बारे में कहा गया, यह कहा गया कि किसकी जेब पर टैक्स नहीं पड़ रहा है और उसका example भी दिया गया कि 5 लाख रुपए तक शून्य टैक्स हो गया है, जब कि पहले यह 30 हज़ार था। यह नहीं बताया गया कि लोगों की income भी 25 परसेंट कम हो गई है और रुपया 5 लाख से depreciate होकर 4 लाख पर रह गया है। अगर उस तरह से calculation करें, तो किसी को कोई benefit नहीं गया है। इसलिए ये बातें भी साथ-साथ बता देनी चाहिए।

सर, मैं tax collection के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। Reason for less collection of taxes. यहाँ बताया गया कि corporate पर tax 25 per cent कर दिया गया। उस समय यह कहा गया था कि इससे देश की बहुत growth होगी, industries बहुत बढ़ेंगी, investment बहुत आएगा, लेकिन उसके बाद न कोई investment हुआ, न कोई industry बढ़ी, rather Corporate Tax कम हो गया। मैं Corporate Tax के बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूँगा। Corporate Tax कम करके 25 per cent किया गया। छोटी-छोटी business companies, छोटी-छोटी SMEs partnership firms चलाती हैं। उनमें भी tax rate वही होता है, जैसा Corporate Tax में होता है, कंपनियों में होता है। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। जब उनका एक रुपया भी profit होता है, तो उस पर टैक्स लगना शुरू हो जाता है। इसमें उनको कोई रियायत नहीं दी गई, जबकि वे parallel उतना ही टैक्स देती थीं। सबसे पहले छोटे आदमियों को, छोटी SMEs को, छोटे traders को benefit देना चाहिए, न कि corporate को। अभी भी जो tax collection है, वह उन्हीं की वजह से ज्यादा बढ़ रहा है। 75 per cent employment भी वे SMEs ही दे रही हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि जिस प्रकार से Corporate Tax को कम किया गया, उसी प्रकार से जो partnership firms हैं, proprietary concerns हैं, जो employment भी generate करती हैं, देश की manufacturing activities भी बढ़ाती हैं, trading activities भी बढ़ाती हैं, उनको भी consider किया जाए और उनको tax में benefit दिया जाए। सर, कल भी मैंने पेट्रोल-डीज़ल के ऊपर बात की थी, लेकिन फिर से मैं इस विषय पर बात करना चाहूंगा। यह टैक्स लोगों की जेब पर लग रहा है, गरीब से गरीब आदमी के ऊपर लग रहा है, क्योंकि आज हर आदमी गाड़ी में भी चलता है, स्कूटर में भी चलता है और बस में भी चलता है। ट्रक के भाड़े पर भी कहीं न कहीं इसका असर हुआ है। मेरे पास गवर्नमेंट की ही एक फिगर है,

जिसमें दिया हुआ है - Contribution of petroleum sector to the exchequer. Besides the customs duty and excise duty, there are a number of other items which are paid on petroleum, and this includes service tax, IGST, and cess. Excise duty in the year 2018-19 was Rs.2,14,368 crores, whereas on account of corporate tax, dividend tax, dividend distribution tax and share of profit, it was about Rs.68,000 crore, which comes to 30 per cent of the total excise duty. Since you are taking this 30 per cent benefit, otherwise also, my suggestion to the hon. Minister is: Why don't you reduce excise duty? This is my suggestion and it will give a lot of relief to the poor, जिसे गरीब आदमी या आम आदमी बोलते हैं, हम खुद भी 'आम आदमी पार्टी' से हैं। एक काम तो आपको यह करना चाहिए।

Now, I come to the amendment in direct tax. For the last forty years, there was one provision of the Settlement Commission in the Income Tax Act. It has been proposed to be abolished and it will be abolished. What is the benefit of it? Is it to reduce the litigation? Is it to collect tax at a faster rate? Is it to settle the disputes at the earliest, particularly in search cases? What is the benefit of it? The number of appeals was minimum because of the Settlement Commission and the Government was getting more taxes. How? In search cases, they used to come to the Settlement Commission. अभी प्रो. राम गोपाल यादव जी ने भी बताया कि जिस पर raid करते हैं, 50 करोड़ की उसकी इनकम है, लेकिन 200 करोड़ रुपया surrender करके ले जाते हैं, उसके बाद income-tax head का violation करते हैं। There is a provision under Section 138 of the Income Tax. It says, "You cannot share the particulars of the tax payer with anybody, except the taxpayer." जब वे raid करते हैं, तो immediately, next day papers में आ जाता है कि फलां-फलां व्यक्ति के यहां raid हुआ, उसने इतने टैक्स का disclosure किया, वह चोर पकड़ा गया। यह Income-Tax के Section-138 का violation है। हालांकि लोग इसको फाइल नहीं करते हैं, लेकिन मेरा suggestion यह है कि इसके लिए Income Tax Department को सख्त से सख्त instructions दी जाएं कि जो Section-138 का प्रोविज़न है, उसका violation न किया जाए, लेकिन search cases में यह every day हो रहा है। Section-138 में Settlement Commission को एक फायदा यह भी था कि search cases में वह व्यक्ति ऑफर करता था, लेकिन उसका एक advantage और भी है। जब मैं Settlement Commission के पास settlement application file करता हूं, before that, I will have to pay income tax; I will have to pay interest and then my income is decided, and the income is decided or settled at more than I offer. So, the Government is getting benefit. So, my suggestion is that this provision should not be abolished. This is against the principle of natural justice.

There is a new provision of Purchase Tax that has been introduced. It will increase the voucher work and compliance work. It will not give much benefit to the

Government. It will cause only inconvenience to the traders or businessmen. I think the Government should withdraw it.

Then, I was talking about the abolishment of the Settlement Commission. I would like to say because अभी पिछले साल ही 'विवाद से विश्वास स्कीम' आई और उसकी समय-सीमा बढ़ा दी गई है, अभी भी 31 मार्च तक का टाइम बचा है। इसका कारण एक ही था कि टैक्स जल्दी आ जाए, विवादित डिस्प्यूट्स जल्दी से सैटल हो जाएं और असेसी अपने काम में लग जाएं। उसी को देखते यह सैटलमेन्ट कमीशन का प्रावधान हुआ था और पैरेलल था। अगर आज सैटलमेन्ट कमीशन नहीं होता तो जितनी अपीलें आज पेन्डिंग हैं, इससे कई गुणा ज्यादा पेन्डिंग होतीं। अगर आप सैटलमेन्ट के प्रोविज़न को हटायेंगे तो कुछ सालों बाद आपको 'विवाद से विश्वास स्कीम' वापस लेकर आनी पड़ेगी।

महोदय, 'फेसलैस स्कीम' का मैं स्वागत करता हूं, यह स्कीम आपने चालू की और मैंने अपने सीए से शेयर किया, तो they are very happy and it is working very well. मैं यहां पर एक सजेशन दूंगा, जिस प्रकार हमने फेसलैस असेसमेन्ट किया है, हम इस सिस्टम की स्कीम लाये हैं, इसी तरह से अगर फेसलैस इलेक्शन सिस्टम भी हम शुरू कर दें, इतनी बड़ी-बड़ी रैलियाँ होती हैं, इतने बड़े-बड़े खर्चे होते हैं, इतने बड़े-बड़े लोगों को असुविधा होती है, अगर उसे भी फेसलैस कर दिया जाए तो यह भी बहुत स्वागत योग्य होगा।

महोदय, प्रपोज़्ड बजट में हमेशा फाइनेन्स मिनिस्टर एक मीटिंग लेते हैं, लेकिन वे बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज़ के लिए लेते हैं, सिर्फ उनसे ओपिनियन लेते हैं। मेरा सुझाव यह है कि जो एसएमईज़ हैं और जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो छोटे इंडस्ट्रीज़ वाले लोग हैं, वे इनकम भी ज्यादा जेनरेट करते हैं, इम्प्लॉयमेन्ट भी ज्यादा जेनरेट करते हैं, तो उनके साथ भी फाइनेन्स मिनिस्टर को एक प्री-बजट मीटिंग करनी चाहिए और उनकी सलाह भी इसमें लेनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हम एक्सपोर्ट में बहुत पीछे जा रहे हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं - पर्टिकुलरली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, हम बंगलादेश के साथ भी कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं और भी कितनी इंडस्ट्रीज़ हमारे पड़ोस में हैं, जिनसे रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा है और एक्सपोर्ट में भी उसकी वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज का भी कहीं न कहीं घाटा हो रहा है। उसी का कारण है कि हर बार हम कोई न कोई एक नया विधेयक लेकर आ जाते हैं, जिसमें हम मांगते हैं कि हमें 74 परसेन्ट का इनवेस्टमेन्ट करने की परमिशन दी जाए। एक्सपोर्ट इस समय बहुत ही दयनीय पोज़िशन में है, इसलिए ऑनरेबल फाइनेन्स मिनिस्टर से निवेदन है कि इसमें भी कोई न कोई इन्सेन्टिव का प्रावधान किया जाए, ताकि इसकी प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। इसके अलावा आज हमारे महारत्न को बेचने में प्रॉब्लम आ रही है, उसे रोका जा सकता है, जिसे हम निजीकरण कहते हैं।

अब मैं किसानों के बारे में भी बात करूंगा। एमएसपी के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, हालांकि वायदे किये गये हैं कि हम एमएसपी रेट देंगे, कानून बनाने की जरूरत नहीं है, आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए। उसके लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है कि कितने रुपये एमएसपी के लिए हैं, ताकि किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदी जा सकें। आज के दिन जो पोज़िशन है, वह टोटल प्रोडक्शन का 6 परसेन्ट परचेज़ किया जा रहा है, उसके अलावा कोई प्रावधान इस बजट में देखने को नहीं मिलता है कि किसानों को एमएसपी देने के

लिए कोई बजट एलोकेशन लाना है, इसलिए मेरा सुझाव है कि एमएसपी के लिए भी इसमें प्रावधान किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नीरज डांगी (राजस्थान)ः महोदय, आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देश की अर्थव्यवस्था को निर्धारित करने के लिए यह तय किया जाता है कि आर्थिक व्यवस्था देश के उन सभी तबकों के लिए हो, जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, मध्यमवर्गीय हैं, वेतनभोगी हैं, पूंजीपति हैं और उद्योगपति हैं। इनके माध्यम से ये इस व्यवस्था के चलते अपने जीवन को सुचारु रूप से और बेहतर रूप से चला सकें, अर्थव्यवस्था को निर्धारित करते समय यह तय किया जाता है। यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की व्यवस्था देश के तमाम तबकों के लिए लागू करे। परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि मौजूदा सरकार ने देश की इस धरोहर को देश के निचले तबकों के हितों में न रख कर देश के पूँजीपतियों के हाथों में सौंप दिया है। ऐसी परिस्थितियों में जहाँ कांग्रेस सरकारों ने देश को 70 सालों तक सम्भाल कर रखा था, वहीं इस बजट ने यह दर्शा दिया है कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था इस बजट से निश्चित रूप से चरमरा जायेगी। बैंक्स बिकेंगे, पोर्ट्स बिकेंगे, एयरपोर्ट्स बिकेंगे, रेलवे स्टेशंस पहले ही बिक चुके हैं, सम्पूर्ण रेलवे और जितनी भी सरकारी कम्पनीज़ हैं, जिनके पास लाखों एकड़ जमीनें हैं, उनको भी औने-पौने दामों में इन पूँजीपतियों को बेचा जायेगा। बीमा क्षेत्र में एलआईसी जैसी मुनाफा कमाने वाली कम्पनी को भी प्राइवेट भागीदारी दी जा रही है। ऐसे में जब पूरे देश में पूँजपति प्रधानी होगी और देश की आर्थिक गतिविधि का क्षेत्र निजी हाथों में चला जायेगा, तब निश्चित रूप से आरक्षण को भी समय के साथ खत्म करने की कोशिश ये लोग करेंगे, चूँकि निजी क्षेत्र में आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं है। वित्त मंत्री जी का यह भी कहना था कि बेकार पड़ी बड़ी सम्पत्तियों का 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए कोई योगदान नहीं है, इसलिए इनके मौद्रीकरण के लिए इन्हें सीधे बेच कर या रियायत देकर अथवा ऐसे ही कुछ साधनों के माध्यम से इनका मौद्रीकरण किया जायेगा। मैं समझता हूँ कि ऐसे वक्तृत्व का यह निष्कर्ष निकलता है कि एयर इंडिया, बीएसएनएल, भारत पेट्रोलियम, शिपिंग कॉरपोरेशन जैसे अनेक उपक्रम 'आत्मनिर्भर भारत' के बीच में रोड़ा बन रहे हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर हम वर्ष 2020 की पहली तिमाही को लेकर बात करें, तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से, 23.9 प्रतिशत की दर से सिकुड़ी थी, जबकि गिरावट का जो पूर्व अनुमान था, वह लगभग 18.3 प्रतिशत था, तो यह उससे भी कहीं अधिक है। यह आज के देश के सांख्यिकी के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। इस गिरावट का असर देश का जीडीपी निर्धारित करने वाले सभी आठों सेगमेंट्स पर नज़र आ रहा है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान इस पर बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा था।

महोदय, कोरोना काल में जब इस तरह की व्यवस्था थी, उसमें दूसरी और तीसरी तिमाही में भी अर्थव्यवस्था का संकुचन क्रमशः 7.5 प्रतिशत और 8 प्रतिशत की दर से जारी रहा। बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियाँ चली गयीं, बेरोज़गारी ने देश को चारों तरफ से जकड़ लिया, जिस पर इस बिल में किसी तरह की कोई बात नहीं की गयी है। देश में बेरोज़गारी की दर मार्च, 2020 में 8 प्रतिशत थी, वहीं अप्रैल, 2020 में, सिर्फ एक महीने में ही यह 24 प्रतिशत पर पहुँच गयी थी। वर्ष 2020 के सितम्बर से दिसम्बर माह के मध्य में 9 ट्रिलियन लोगों ने अपनी नौकरियाँ खो दीं। वर्ष

2021 का बजट, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 100 वर्षों में ऐसा बेहतरीन बजट कभी नहीं देखा जायेगा, लेकिन ऐसे में यह बजट देश के हालात बदलने वाला, समृद्धि वाला न होकर देश की जनता के सपनों को तोड़ने वाला बजट साबित होगा।

वित्त विधेयक में उन सभी विधेयकों को शामिल किया जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से सरकारी आमदनी एवं सरकारी व्यय से सम्बन्धित होते हैं तथा राजकीय कोष में आय एवं घाटा होने के निर्धारण में वे उपक्रम अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हम 2021 के वित्त विधेयक पर नज़र डालें, तो मौजूदा fiscal deficit से निजात पाने के लिए इस विधेयक में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जो कि देखा जाना चाहिए था।

महोदय, इसी कड़ी में मैं कुछ ऐसे बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा, जिनसे इस वित्त विधेयक की खामियों को न सिर्फ उजागर किया जायेगा, बल्कि इस फाइनेंस बिल की पोल भी खुलेगी। वेतनभोगी वर्ग के लिए किसी तरह की कोई राहत प्रदान नहीं की गयी है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान 2.1 करोड़ से अधिक नौकरियाँ खत्म हुईं। इसके बावजूद केन्द्र सरकार ने न तो आम जनता की मनोदशा को समझा और न ही उसके आर्थिक हालातों पर चिन्ता जताते हुए इस विधेयक में कोई बात रखी। परिस्थितियों के मुताबिक आयकर स्लैब और उसकी दरों में कोई बदलाव नहीं लाया गया और न ही बुनियादी छूट सीमा में कोई बदलाव किया गया। उन्हें नौकरी एवं आमदनी, दोनों ही न होने के बावजूद जो इन्कम टैक्स भरना पड़ेगा, वह पिछले वर्ष की तरह ही है।

दूसरा, सीनियर सिटिज़न्स के लिए जो व्यवस्था की गई है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। बजट भाषण में कहा गया कि वरिष्ठ नागरिकों, यानी जो 75 वर्ष की आयु या उससे अधिक आयु के लोग हैं, उन्हें आयकर विवरणी भरने में शिथिलता प्रदान की जाएगी। ऐसे लोग, जिनकी पेंशन एक ही बैंक में जमा हो रही है, उन्हें आयकर रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। इसमें शर्त यह रखी गई है कि वैसे वरिष्ठ नागरिक, जिनके पास एक से अधिक बैंक खाते हैं, अलग-अलग बैंक में खाते हैं, पेंशन के अलावा भी आय के साधन और स्रोत हैं, उनको आयकर विवरणी न भरने की रियायत नहीं मिलेगी। उनकी सारी जमा पूँजी, यानी पेंशन और तमाम आय एक ही specified bank में होनी चाहिए और उनका संबंध इस तरह से होना चाहिए, जिससे उनकी total income, corresponding tax liabilities और TDS, इन तीनों की ठोस जानकारी और आकलन हो सके, तभी उनको यह रियायत मिल सकेगी। ऐसे में अगर पेंशन, अन्य आय तथा ब्याज एक ही बैंक में आ रहे हों, तो भी वरिष्ठ नागरिक को एक शपथ-पत्र देना होगा, जिसके सत्यापन के लिए उसे बहुत सारी कागज़ी कार्रवाई करनी होगी। 75 वर्ष की आयु में यह कैसे संभव होगा, यह देखने वाली बात है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसी बोझिल रियायत देने की आवश्यकता ही क्या थी, जब आईटीआर-सहज फॉर्म available है? मैं समझता हूँ कि व्यक्ति उस पर ज्यादा फोकस करेगा और चल रही व्यवस्था का ही चयन करेगा। ऐसी परिस्थितियों में वित्त विधेयक द्वारा दी गई रियायत की उपयोगिता नगण्य साबित होगी।

इसी प्रकार faceless जाँच स्कीम के बारे में भी है, कुछ साथियों ने इसको सराहा भी है, लेकिन मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि आयकर विभाग की भविष्य में चेहराविहीन आकलन व्यवस्था लागू करने पर नज़र है। किसी भी केस की अपील प्रक्रिया अब online होगी और इसमें सिर्फ एक शिथिलता प्रदान की गई है कि जिन मामलों में अधिक गहन जाँच और सम्पर्क की

जरूरत होगी, सिर्फ उन मामलों की ही video conferencing के माध्यम से सुनवाई होगी। ऐसे में मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह faceless प्रणाली बहुत जल्दी लागू नहीं हो रही है, जब कि गत वित्तीय वर्ष ही faceless assessment scheme प्रस्तावित हुई है एवं उसका भी पूर्ण रूप से अभी तक समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में जो चेहराविहीन आयकर आकलन व्यवस्था है, क्या वह आज के हालात की चुनौतियों को झेलने के लिए तैयार है? The challenges in faceless mode of operation will include lack of adequate infrastructure for uploading data, lack of competence of front-end staff and lack of coordination between the staff and the tax officials, potential for greater rigidness in flexibility, limitation on the file size, number of documents, difficulties in explaining complex facts, business structures and intricate legal aspects, etc.

महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि न्यायकरण प्रणाली में व्यक्तिगत सुनवाई की अहम भूमिका होती है। यहाँ इस फेसलैस प्रणाली ने natural justice पर एक question mark लगा दिया है और यह पूर्ण रूप से natural justice के विपरीत है। इस व्यवस्था में किसी करदाता के आयकर रिटर्न की जाँच, देश के किसी भी हिस्से में, कोई भी returning officer द्वारा की जा सकती है। ऐसे में किसी भी पीड़ित को अपील की संपूर्ण सहायक प्रक्रिया में अपनी बात तक रखने का मौका न दिया जाना, पारदर्शिता न होकर अपारदर्शिता है। इसलिए मैं इसे पारदर्शी नहीं, बल्कि अपारदर्शी श्रेणी में डालना चाहूँगा। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यह फेसलैस नहीं, बल्कि यह heartless scheme है। इसी प्रकार से Settlement Commission को खत्म कर दिया गया है तथा return review और belated return filing की समय-सीमा घटा दी गई है। इसका सीधा असर आम आदमी से लेकर कॉरपोरेट सेक्टर तक पड़ेगा, क्योंकि Settlement Commission ज्यादातर कारोबारियों की अपील के लिए होता है और रिटर्न हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। ऐसे में, Settlement Commission को तत्काल खत्म कर उसकी जगह Interim Board ने ले ली है, जिसकी वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है - जैसे, settlement को संकरित तरीके से सुलझाना पड़ेगा, कुछ part old regime और कुछ part new regime के हिसाब से होगा, जो निश्चित रूप से confusion पैदा करेगा। इसी तरीके से, नए बनाए गए Interim Board के working regulations अभी तक finalize और notify नहीं किए गए हैं, ऐसे में, इस बदलाव के disadvantages ज्यादा हैं। इसी प्रकार से, सी फॉर्म जारी करने पर restriction लगाया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीएसटी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जब कोई पंजीकृत बिक्री करदाता दूसरे राज्य के पंजीकृत बिक्री करदाता से माल खरीदता है, तब उसे बिक्री कर की कटौती को लेकर सी फॉर्म जारी करना होता है। ऐसे में, गौरतलब है कि सी फॉर्म देने पर किसी कंपनी द्वारा खरीदे गए माल पर दो प्रतिशत सीएसटी लगता है, नहीं तो 13.125 के अनुसार पूरा बिक्री कर देना होता है। वित्त विधेयक का यह बदलाव कंपनियों को ज्यादा टैक्स देने के कारण उनकी वर्किंग कैपिटल को कम करेगा। ऐसे में, निश्चित रूप से, नए capital investors पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और कंपनियाँ अपने उत्पादन का input cost बढ़ने की वजह से अपने उत्पादन की जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, निश्चित रूप से, उसमें अपने दाम बढ़ाएंगी, जिसकी मार सीधे consumer, यानी आम आदमी पर पड़ेगी।

इसी प्रकार से, पारस्परिकता के सिद्धांत को override कर दिया गया है। घर के मालिक द्वारा एक आवास समाज का गठन किया जाता है। यह इस समाज के सदस्यों को रख-रखाव सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसी तरह क्लब, निर्माताओं, उत्पादकों के संगठन, निवासियों के कल्याण संघ और कई अन्य संगठन हो सकते हैं, जो पारस्परिकता की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। ऐसे में, सेवाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवास समाज अपने सदस्यों से पैसा एकत्र करता है। इस वित्त विधेयक के द्वारा ऐसे transactions को अब supply के तहत माना गया है एवं इन्हें जीएसटी के Schedule 2 के तहत 1 जुलाई, 2017 से चार्ज देना होगा। मैं समझता हूँ कि यह बदलाव समाज के ऐसे समूह एवं उनके सदस्यों के बीच जो विशेष संबंध है, निश्चित रूप से, उनके लिए हानिकारक कदम साबित होगा।

इसी प्रकार से, वित्त विधेयक में Unit Linked Insurance Policy (ULIP) के विषय में भी है। यह पॉलिसी मैंने भी ली है और निश्चित रूप से, कई साथियों ने भी ली होगी। ULIP plan लेने वाले जो लोग हैं, उनके लिए सेक्शन 10(10D) के तहत एक साल में ढाई लाख रुपए से ज्यादा के प्रीमियम पर टैक्स छूट को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रस्ताव 1 फरवरी, 2021 के बाद ढाई लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट्स पर लागू होगा और निश्चित रूप से, इससे Insurance industry की growth प्रभावित होगी, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ULIP plan मुख्यतः long term investment plan होते हैं और Insurance industry में ULIP plan से आई हुई लगभग 50 प्रतिशत से अधिक आय देश के विकास कार्यों हेतु काम में ली जाती है। अतः आज के हालातों को देखते हुए सरकार को liquid money की आवश्यकता है। शायद वहाँ पर यह कदम उठाना उचित नहीं था। इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

इसी तरीके से, जब कोई कम्पनी वर्षों से अपने उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद या बेहतर सेवा प्रदान करती है, ऐसी कम्पनी की बाजार में एक अलग पहचान बनती है, एक goodwill बनती है। कम्पनी की goodwill अच्छी होने से कम्पनी की प्रतिष्ठा बढ़ती है और इसे बनाए रखने के लिए वह बेहतर से बेहतर कार्य करने पर आमादा रहती है। Goodwill अर्थात् ख्याति, साख या किसी व्यापार का कमाया हुआ नाम, यह एक intangible asset है, जिसकी एक कीमत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी business acquisition करते वक्त goodwill को depreciable assets माना है। ऐसे में, यह प्रस्ताव लाया गया कि goodwill decline नहीं होती है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जब कम्पनी किसी तरह का गलत निर्णय लेती है, तो निश्चित रूप से, उसकी गुणवत्ता में कमी आएगी और उसकी goodwill decline होगी। मैं इस मामले में यह कहना चाहूँगा कि यह निर्णय strategic acquisition एवं internal group restructurings के लिए जोर का झटका होगा। ऐसे में merger और acquisitions के लिए यह एक कड़वा घूँट साबित होगा।

इसी प्रकार, मैं यह कहना चाहूँगा कि basic customs duty के अंतर्गत कुछ वस्तुएँ, जैसे screws, nuts, bolts आदि पर टैक्स 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत किया गया है। High speed rail project पर टैक्स में ज़ीरो से 5 प्रतिशत तथा electronic toy parts पर टैक्स में 5 परसेंट से 15 परसेंट तक की बढ़ोतरी की गई है। इनमें से ज्यादातर items manufacturing units में काम आते हैं, manufacturing में काम आते हैं। ऐसे में, इनके दाम बढ़ने से निश्चित रूप से manufacturing units की production cost बढ़ेगी, जो कि अंततः उत्पादित वस्तु का मूल्य बढ़ाएगी। देश की

जनता, जो पहले से ही गिरती हुई अर्थव्यवस्था की मार झेल रही है, ऐसे amendments की उस पर दोहरी मार पड़ेगी।

इसके अतिरिक्त, जो equalization levy issues हैं, जिन्हें आम भाषा में Google tax कहा जा रहा है, वह एक जून से लागू होने जा रहा है। इसके तहत, देश के कारोबारियों, कंपनियों द्वारा विदेशी online service providers, जिनमें ट्विटर, फेसबुक, गूगल और याहू जैसी कंपनियाँ शामिल हैं, इन कंपनियों में दिए गए online advertisement के लिए भुगतान की गई राशि पर 6 प्रतिशत equalization levy वसूली जाएगी। हालांकि यह केवल तभी चुकानी होगी, जब भुगतान की राशि एक वर्ष के अंदर एक लाख रुपये से अधिक होगी। यह लेवी पूरी तरीके से Business to Business (B2B) transactions पर लागू होगी। भविष्य में इसे लेकर तीन कठिनाइयाँ हो सकती हैं। पहली, इस टैक्स को लागू करने से एक बड़ी दिक्कत यह आ सकती है कि विदेशी कंपनियाँ अपने बिज़नेस डेटा संभवतः शेयर ही न करें। दूसरा, टैक्स की दर उन करों से कम है, जो भारतीय कारोबारियों की income पर लगाया जाता है। तीसरी दिक्कत यह है कि इसके नोटिफिकेशन में जिस electronic signature की बात कही गई है, उसे अभी उचित और पूरी तरह से कानूनी जामा नहीं पहनाया गया है। ऐसे में, मैं कहना चाहूँगा कि पिछले महीने Internet and Mobile Association of India ने कहा था कि online advertisement से होने वाली आय पर यदि विदेशी कंपनियों को टैक्स देना पड़ेगा, तो इससे भारतीय तकनीकी startups के बिज़नेस पर काफी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में, मैं समझता हूँ कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए।

इसी तरीके से, non-tax proposals की बात आती है। संविधान के आर्टिकल 110 के अंतर्गत वित्त विधेयक साधारणतः धन विधेयक को भी शामिल करता है, जिसमें टैक्स से related provisions, सरकारी धन का अधिग्रहण, non-expenditure receipts involving Consolidated Fund of India इत्यादि शामिल होते हैं, किन्तु इस वर्ष के वित्त विधेयक में धन से जुड़े हुए मुद्दों पर ज्यादा ध्यान न देकर non-tax legislations एवं proposals को ज्यादा शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, Foreign Portfolio Investors Act में जो amendments किए गए हैं, उनसे देश में real estate और infrastructure sectors में फंड जरूर बढ़ेंगे, किन्तु यह केन्द्र सरकार के तथाकथित 'आत्मनिर्भर भारत' और 'Self-reliant India' के पूर्णतः विपरीत है और इस तरह से, ये अपने ही मूल्यों को हाशिये पर रख रहे हैं।

इसी प्रकार, वित्त विधेयक के द्वारा LIC Act, 1956 में 27 amendments किए गए हैं। इसके पूर्ण होने की प्रक्रिया को शीघ्र करने के लिए इसे वित्त विधेयक में शामिल किया गया है, जो सार्वजनिक प्रस्ताव को पार्लियामेंट की scrutiny से मुक्त करता है। जब एक कम्पनी अपने स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करती है, तो उसे initial IPO offering कहा जाता है, जिसकी तैयारी केन्द्र सरकार कर रही है। लिमिटेड कम्पनियाँ यह कार्य इसलिए करती हैं, ताकि वे अपने आपको शेयर बाजार में सूचीबद्ध कर सकें। LIC की सम्पत्ति का कुल मूल्य ऐतिहासिक आँकड़े, 31.11 लाख करोड़ को छू गया है। इसी तरह, IDBI बैंक को संकट से उबारने के लिए सरकार ने उसे 9,296 करोड़ रुपये का राहत पैकेज देने का निर्णय लिया है। यह पूँजी सरकार और LIC द्वारा मिलकर दी गई है। इसके साथ ही, LIC सरकार का सबसे बड़ा निवेशक है, जो लगभग 55,000 से 65,000 करोड़ रुपये government securities एवं stock market में invest करता है। ऐसे में यह समझ के बाहर है कि क्यों केन्द्र सरकार अपनी सोने की चिड़िया के शेयर में

से, जो कि सरकारी बजट में एक तिहाई भागीदारी प्रदान करता है, अपनी हिस्सेदारी कम करने पर आमादा है।

सरकार का यह कृत्य पॉलिसीधारकों के लाभ को कम करने का और capital concentration को कुछ पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने जैसा होगा। All India Bank Officers Confederation के former General Secretary, Thomas Franco ने ऐसे disinvestments पर कहा है कि 'Selling the house to have alcohol'.

मैं आगे कहना चाहूंगा कि इस वर्ष के बजट में Agriculture Infrastructure and Developmental Cess लगाने का एलान हुआ है। इसमें commodities की जो लिस्ट शामिल हुई है, उसमें एकरूपता, यानी homogeneity का अभाव है तथा proposed rate में भी significant variations हैं। सेंट्रल एक्साइज़, कस्टम ड्यूटी केन्द्र एवं राज्यों के अंतर्गत विभाजित होती है, जबकि सेस एवं सरचार्ज के द्वारा जो राशि एकत्रित होती है, वह इस divisible pool का हिस्सा नहीं होती है। इस प्रक्रिया में राज्य को कम पैसा मिलता है और करों का भार भी बहुत अधिक बढ़ जाता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज समस्याएं तो अनगिनत हैं, लेकिन जो सबसे ज्वलंत और महत्वपूर्ण समस्या है, वह किसानों समस्या है और इस सरकार ने किसानों की क्या दुर्दशा कर रखी है, वह किसी से छिपी नहीं है।

कोरोना काल में जहां अर्थव्यवस्था पूर्णतया चरमरा गई थी, उस समय इन्हीं धरती पुत्र किसानों ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया था और आज उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, वह देश के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा और पूरे विश्व में जाना जाएगा। किसानों की मांग सिर्फ इतनी है कि खेती पर सरकारी सहायता तंत्र मज़बूत हो और उनकी उपज का सही दाम उनको मिले, यह उनकी मांग है। इसीलिए किसान संगठन लगातार एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं और ऐसे में उनकी जायज़ मांग को अनसुना करते हुए कृषि क्षेत्र का भविष्य निजी हाथों में सौंपने का काम यह सरकार कर रही है।

महोदय, उत्पादन की लागत से नीचे खाद्यान्न की बिक्री पर कानूनी प्रतिबंध लगाकर स्पेन जैसे देश ने एक ऐतिहासिक पहल की है। यह कानून 27 फरवरी, 2021 से प्रभावी हो गया और हिन्दुस्तान के किसान भी यही कानून चाहते हैं, जिसमें उत्पादन की लागत से नीचे खाद्यान्न बेचने के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के साथ कड़े दंड का प्रावधान किया है, जो स्पेन ने 3,000 से 1,00,000 यूरो तक लिया है, वह बढ़कर 1 मिलियन यूरो तक भी हो सकता है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय सदस्य, आपके पास अपनी बात समाप्त करने के लिए दो मिनट का समय है। आपकी पार्टी की तरफ से आपको 25 मिनट का समय allot किया गया है।

श्री नीरज डांगी : महोदय, मुझे 25 मिनट में अपनी बात पूरी करने के लिए कहा गया था।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आपको दो मिनट का समय और मिलेगा।

श्री नीरज डांगी : महोदय, मैंने तो अभी तक शायद 20 मिनट ही बोला है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): आपके 23 मिनट हो चुके हैं। Two minutes.

श्री नीरज डांगी : महोदय, सरकार को किसानों पर ध्यान देना चाहिए। पेड़ जब फल-फूल से लद जाता है तो वह झुकता है, वह देता है। सरकार की वर्तमान मनःस्थिति पर एक शायर ने खूब लिखा है:-

"कद बढ़ता नहीं एड़ियां उठाने से।
ऊंचाइयां तो मिलती हैं, सिर्फ सिर झुकाने से।।"

सरकार को झुकना चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार के झुकने से पूरे देश में और पूरे विश्व में अच्छा संदेश जाएगा।

महोदय, कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई एक मूलभूत व्यवस्था है, इसके लिए मैंने विशेष उल्लेख में भी 'ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना' का ज़िक्र किया था। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' में भी किसानों की अनदेखी की गई है। आज यह फसल बीमा योजना किसानों में कतई लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि किसानों को फसलों का बीमा ही नहीं मिल पा रहा है। कहीं ज्यादा नुकसान हो रहा है, कहीं कम नुकसान हो रहा है, आकलन पूर्णतया नहीं है, इसलिए किसान इस बीमा को नहीं लेना चाहते। सर, स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश - गुजरात और बिहार जैसे प्रदेश भी दूसरी बीमा योजनाएं लागू कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आप conclude कीजिए। आपका 25 मिनट का समय समाप्त हो चुका है।

श्री नीरज डांगी : सर, मैं बहुत जल्दी कन्क्लूड कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते, देश की बात नहीं सुनना चाहते, किसानों की बात नहीं सुनना चाहते, जनता की बात नहीं सुनना चाहते, आप RSS की बात तो मानते हैं। RSS के गुरु गोलवरकर ने सरकार की आलोचना को देशहित में सबसे ऊपरी बताते हुए अपनी बुक 'Bunch of Thoughts' में लिखा है ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : ऑनरेबल मेम्बर, आप कन्क्लूड करें। ...(**व्यवधान**)... समय हो चुका है। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीरज डांगी : सर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I can give you 30 seconds more. आप 30 seconds में complete करें।

श्री नीरज डांगी : उस आलोचना को मानते हुए, कम से कम आप उनकी बात तो मानें। सर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

श्री नीरज डांगी : महोदय, मैं अंत में कृषि और धरती-पुत्र किसानों के वर्तमान हालात पर कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा।

'चीर के जमीन को, मैं उम्मीद बोता हूं।
मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं।
कहां छुपा के रख दूं, मैं अपने हिस्से की शराफ़त,
जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं।
क्या खूब तरक्की कर रहा है, अब देश देखिए,
खेतों में सौदागर और सड़कों पर किसान खड़े हैं।'

धन्यवाद, जय हिन्द।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, hon. Member, Dr. Santanu Sen. You will be speaking in Bengali. You have about six minutes to speak.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Before starting my speech in Bengali, I would like to quote World Bank, statement given by them on 7th October, 2020."India's economic situation is 'much worse' than ever seen before."

I would like to quote, IMF, that is, International Monetary Fund, statement given on 13th October, 2020, Indian economy likely to fare worse than some global and South Asian peers and Bangladesh a better one than India.

* "Sir, the problem is while selling tea when you got the opportunity to sell a big country like India, from Railway to Airport, from coal to SAIL, BHEL and everything else and while selling, you have brought India to a certain extent that in the name of 'Atmanirbhar Bharat' the whole country has been brought to the abyss and now all that I can think about are two of my friends.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR) *in the Chair.*]

Definitely, I am not here to embarrass ...*(Interruptions)*... "But I would definitely like to know how the income of one of our friends from Bombay, who has

* English translation of the original speech delivered in Bengali.

got helipad on the top of his house and is Asia's richest and the world's fourth richest person, increased by 73%. I would also like to know about one gentleman who lives in Narendra Modiji's Gujarat whose income increased the most in the world for the last one year as compared to others. Actually the problem is that I do not have any ally other than CBI and ED and I do not have any friend other than these two persons. What is the standing of our country, Sir?

If we go through the Global Hunger Index, if we go through the global hunger index, among 107 countries India ranks 94th.

If we go through Multidimensional Poverty Index, out of 107 countries, India stands at 62. If we look at Global Economic Freedom Index, India stands 105 rank in global poverty, again 94 out of 107 countries.

It is a very sad matter that in the last 45 years, India has the highest rate of unemployment and during Covid pandemic time, one crore jobs have been lost. On the other hand, what do we see about the price rise in petrol and diesel? Our respected colleague said few minutes back now - he is not present here - I would like to point out a correction in what he said about State tax.

If you compare West Bengal State tax to Central tax, it increased by 6% on petrol but Central tax increased by 26%; in West Bengal, State tax on diesel increased to 3% and Central tax by 36%. Altogether, in West Bengal the Central tax on petrol is 70% more than State tax and on diesel, it is 193%. Whom are you treating with a step-motherly attitude?

You are saying you will build 'Sonar Bangla' (Golden Bengal), and to build 'Sonar Bangla' — and it has never happened this way since Independence — the Prime Minister, Finance Minister and other Ministers are using the money of our countrymen to visit West Bengal as daily passengers. They are all saying they will build 'Sonar Bangla.' Previous speakers have cited examples of deprivation towards 'Sonar Bangla.' Let me also cite some more.

We have been appealing for a long time that the name of our State may be changed from West Bengal to Bengal. We have followed all the rules and regulations and have sent all the files but due to some unknown reason, West Bengal was not renamed as Bangla.

We have not received Rs.11200 crore till now in tax evolution in the budget of 2019-2020. We have not yet received Rs.37973 Crore 2019-2020 as the grant. We have not received the GST compensation of Rs.13000 crore in that budget. Altogether, West Bengal has not been given Rs.90000 crore. Funds meant for Sarva Shiksha Abhiyan has been curtailed. ICDS fund has been curtailed. We have seen at the time of the national disaster of Amphan cyclone, Hon'ble Prime Minister went

around on helicopter and gave us Rs.1000 crore which was like a lollipop; we did not receive any more money after that.

I remember with a heavy heart that we have completed one year of lockdown for Covid pandemic today. On 23 and 24 February, if we had not put the poor people of Gujarat behind brick walls in order to celebrate 'Namastey Trump' and had we not been reluctant at the time of formation of Madhya Pradesh Government, then today, we would not have such pitiable Covid situation. Even then the Central Government did not extend any cooperation for Covid treatment in West Bengal after July. Not only that, our Hon'ble Chief Minister Mamata Benarjee had said at that time that we would buy Covid vaccine and we will provide vaccine to the 10 crore eligible people of Bengal free of cost. She said that you may sell it at Rs.250. West Bengal is the only State where health facilities are provided free of cost. Even then, the Central Government was not able to provide the said vaccines. We have already mentioned about PM Cares fund. I will not make a lengthy speech; there is one more speaker. I will say only one thing: there is nothing to be said about after 2 May. Please come to West Bengal. Our Chief Minister Mamata Banerjee will tell you the way how she managed things well for 10 years after a misrule of 34 years. You can work for the country in the same way. I would like to conclude my speech with this: I am feeling scared, the country is being sold off, people are visiting Bengal as daily passengers; even a child is asking whether they will sell the Brigade Parade ground."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Please conclude.

DR. SANTANU SEN: Sir, last ten seconds. Today is 24th March 2021 and after three days, the game will commence in Bengal;

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Your party has one more speaker.

DR. SANTANU SEN: *"This will be the semifinal and in 2024 in Delhi the final game will be played. Jai Bangla."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): Now, Shri Abdul Wahab. You have seven minutes.

---

* English translation of the original speech delivered in Bengali.

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, I am just giving the brief of my speech in four points. India's rising inequality should be a matter of concern. Reduce the tax burden on the poor and common people. The Government must consider reducing the Central tax on petrol and diesel. And the fourth one is, tax relaxation to NRIs on MSMEs for, at least, one year. Coming to India's rising inequality, while India is one of the fastest growing economies in the world, it is one of the most unequal countries in the world. The inequality has been increasing sharply. The poor in India are still struggling to earn minimum wage and access to quality education and healthcare services. The Government and its policies have miserably failed to address these pressing problems. We have failed to create equal opportunities for children from poor and marginalised sections. We are unable to break the cycle of poverty and participate in the development of society.

In short, I would like to ask the hon. Finance Minister what policy she and her Ministry have crafted in this Bill to address the grave income inequality between India's rich and poor. To reduce the tax burden on the poor and common people, it is true that the Government has not proposed any increase in the income tax. Shri Jyotiraditya mentioned it, but, it was in the year 2004. Do not compare 2004 income with 2021 income; 5 lakhs, 5 lakhs. But, India's tax system is regressive with heavy dependence on indirect tax; taxing the poor and rich alike. According to the data and reports, indirect tax to GDP ratio remains consistently higher than the ratio of direct tax to GDP. In the economies of developed countries, it is the other way round. For example, in the OECD countries, the average share of direct tax is about two-third of the total tax. In India, it is a little over one-third. Moreover, India's current GST with its highest slab rate of 28 per cent is the second highest among 115 countries and is viewed 'regressive' by tax experts. There is an increasing burden of continued hike in prices of petrol, diesel and LPG. The Government is not controlling the price of petrol, diesel and LPG. Today, people in the borders of Nepal are smuggling petrol and diesel to India for a lesser price. They are taking from here and importing to India in the smuggled way; how is this possible? The Government must consider reducing the Central tax on petrol and diesel. In addition to this, the newly-imposed Agriculture Infrastructure and Development Cess (AIDC) on petrol and diesel at Rs. 2.5 and Rs. 4 per litre will further increase the burden on common people. It is a welcome move, that there is a proposal to notify rules for removing hardships for double taxation to NRIs. It is a welcome move. In addition to this, I request the Government to consider tax exemption for Gulf returnee NRIs who are setting up MSME at least for one year. I have to mention one thing about tax on petrol. Shri Jyotiraditya Scindia was mentioning that State Governments are getting 64 per cent and Central Government

is getting only 36 per cent. I do not know if this is true. My State Government is supposed to do it. But, during our UDF regime, the Oommen Chandy Government was reducing the price, to a certain extent, so that it is balanced. The elections are going on. It is alleged that CPM and BJP relationship is there in the polling. How is this going to happen at the Centre and the State? They are charging taxes on petrol and diesel. During 2004, in Dr. Manmohan Singh's regime, a barrel of crude was almost $160 and now it is only $ 65. So, how can this be related to other countries? In Pakistan, in Bangladesh, in other countries, they are selling petrol for Rs. 60 or Rs. 70. So, why the price of petrol is so high in our country, here, it is almost coming to Rs. 100 per litre. I am not taking much of the time because enough is said about this. I think our Finance Minister will take some good initiatives. My personal request to her, as a Keralite, is that just allocate some funds for Aligarh Muslim University in Malappuram District. It has already been provided with some money, but, some more money is needed at least to run that institution there. Then, as I already suggested to the Minister of State, Shri Anurag Singh Thakur that we are in need of a Central School in our Ponnani Constituency that belongs to Malappuram District. We are fed up with the applications. We can recommend particularly ten students. If this cannot be better, then what you have done with MPLADS, remove it; scrap it, otherwise give us some 20 or 25. Thank you.

MESSAGE FROM LOK SABHA -*Contd.*

The National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill, 2021

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 24th March, 2021, agreed without any amendment to the National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill, 2021, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 16th March, 2021."